इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2009-2010

31.03.2010 तक निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2010

श्री एस.ए.भट अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	**Shri S A Bhat** Chairman and Managing Director
श्री वाई एल मदान कार्यपालक निदेशक	**Shri Y L Madan** Executive Director
श्रीमती नूपुर मित्रा कार्यपालक निदेशक (दिनांक 07.12.2009 से)	**Smt Nupur Mitra** Executive Director (from 7.12.2009)
डॉ.विनीता कुमार भारत सरकार के नामिती निदेशक	**Dr. Vinita Kumar** GOI Nominee Director
श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन भा रि बैंक के नामिती निदेशक	**Smt.Chitra Chandramouliswaran** RBI Nominee Director
श्री नटेसन श्रीधरन कर्मकार कर्मचारी निदेशक	**Shri Natesan Sridaran** Workmen Employee Director
श्री के आनन्द कुमार अधिकारी कर्मचारी निदेशक (दिनांक 26.03.2010 से)	**Shri K Ananda Kumar** Officer Employee Director (from 26.3.2010)
श्री बी. वी. अप्पा राव भारत सरकार द्वारा नामित	**Shri B V Appa Rao** Nominated by the GOI
श्री सूरज खत्री भारत सरकार द्वारा नामित	**Shri Sooraj Khatri** Nominated by the GOI
श्री अशोक कुमार भार्गव शेयरधारक निदेशक	**Shri Ashok Kumar Bhargava** Shareholder Director
श्री चिरंजीब सेन शेयरधारक निदेशक	**Shri Chiranjib Sen** Shareholder Director
श्री ए. वेल्लयन शेयरधारक निदेशक	**Shri A Vellayan** Shareholder Director

श्री के. सुन्दर राजन
उप महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव

Shri K Sundar Rajan
Deputy General Manager & Board Secretary

लेखा परीक्षकगण

1. ओम अग्रवाल ऐण्ड कं.
2. वर्मा ऐण्ड वर्मा
3. पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम
4. भास्करन ऐण्ड रमेश
5. एम. भास्कर राव ऐण्ड कं.
6. मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.

AUDITORS

1. Om Agarwal & Co.
2. Varma & Varma
3. PKF Sridhar & Santhanam
4. Bhaskaran & Ramesh
5. M Bhaskara Rao & Co.
6. Mittal Gupta & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044-28460390 (छह लाइनें),
28460084, 28460395
फैक्स- 044-28460129
ई-मेल :cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1, Club House Road,
Chennai - 600 002
Tel : 044 - 28460390 (Six Lines)
28460084, 28460395
Fax: 044 - 28460129
e- mail : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2009-2010

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.	विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से From the Chairman's desk	4	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	69
शेयरधारकों को सूचना Notice to Shareholders	9	वार्षिक लेखे Annual Accounts	70
परिणाम - एक झलक में Results at a Glance	13	नकद प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	115 117
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	14	लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	142
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण Management Discussion and Analysis	20	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	145 146
वर्ष 2009-10 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the Year 2009-10	37	उपस्थिति पर्ची Attendance Slip ईसीएस अधिदेश फार्म ECS Mandate Form	 149 150

(In this Annual Report in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेण्डर — Financial Calendar

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के लिए		For the Financial Year 1st April 2009 to 31st March 2010	
लेखा बंदी की तारीखें	29. 05.2010 (शनिवार) से 04.06.2010 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं)	Book Closure Dates	29.05.2010 (Saturday) to 04.06.2010 (Friday) (both days inclusive)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	15.06.2010 से 23.06.2010	Posting of Annual Report	15.06.2010 to 23.06.2010
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	15.07.2010 (गुरुवार) 17.00 बजे	Last date for Receipt of Proxy forms	15.07.2010 (Thursday) 17:00 Hrs
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	20.07.2010 (मंगलवार) सुबह 10.00 बजे	Date of AGM	20.07.2010 (Tuesday) 10.00 A.M.
लाभांश की घोषणा	20.07.2010 (मंगलवार)	Declaration of dividend	20.07.2010 (Tuesday)
लाभांश अदायगी तारीख को या उपरान्त	30.07.2010	Dividend Payment date on or after	30.07.2010
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की संभाव्य तारीख	30.07.2010 से 04.08.2010	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants	30.07.2010 to 04.08.2010

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

शेयरधारकों को अनुदेश : अति आवश्यक व तत्काल

1. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 जो 16 10 2006 से प्रभावी है, ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में निम्नलिखितानुसार एक नई धारा 10 (बी) जोड दी है :

   - **यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया है तो बैंक के लाभांश चालू खाते में जमा ऐसी रकम को अलग से "वर्ष ————के लिए आइओबी का अदत्त लाभांश खाता" शीर्षक रूपी एक अलग खाते में अंतरित कर दिया जाएँ।**
   - **अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गयी कोई भी रकम अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ) को अंतरित किया जाना है ।**

   अत: वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए लाभांश, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश और वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए अंतरिम अंतिम लाभांश नहीं मिला है / जिन्होंने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे, फोलियों संख्या (ओं) जैसे ब्योरों सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें ।

2. पब्लिक इश्यू 2000 और अनुवर्ती एवं पब्लिक इश्यू 2003 के वापसी आदेश प्राप्त न होने संबंधी मामलों के बारे में भी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे, यदि कोई हो, तो आवेदन संख्या सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।

3. **इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों द्वारा पते, बैंक खाते में परिवर्तन इत्यादि जैसे अधिदेशित विवरणों में परिवर्तन के लिए संबंधित डी पी को संपर्क करना है, न कि रजिस्ट्रार से।** कृपया नोट कर लें कि रजिस्ट्रार, डी पी द्वारा 28.05.2010 तक उन्हें दिए हुए विवरण के आधार पर लाभांश अधिपत्र (या यदि शेयरधारक ने ईसीएस जमा का विकल्प दिया हो तो उस अधिदेशित खाते में जमा करेगा) भेजेगा ।

4. फोलियो का समेकन : यह पाया गया कि कई शेयरधारकों द्वारा एक से अधिक अर्थात बहुसंख्या में फोलियो रखे हैं। शेयरधारकों को उत्तम सेवा प्रदान करने हेतु हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो के समेकन हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को हमारे रजिस्ट्रार को एवं शेयर अंतरण एजेण्टस को उनके रिकार्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेज दें।

Instructions to Shareholders : Most Urgent and Immediate

1. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16 10 2006 has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which provides as under :

   - Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/claimed the dividend, such amounts lying in the bank Dividend current account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____"
   - Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)established under section 205(1)(C) of the Companies Act, 1956.

   Hence the Shareholders who have not received/encashed the dividend for financial years 2000-01, 2001-02, 2002-03 Interim/Final Dividend 2003-04, Interim / Final Dividend 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and for the year 2008-09 are requested to send their claim along with details of Folio No.(s) to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002.

2. Shareholders are also requested to send their claims, if any, in case of non receipt of refund orders in respect of our Public Issue 2000 and Follow on Public Issue 2003 along with Application Number to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office,763, Anna Salai, Chennai-600 002.

3. **The shareholders, who are holding shares in electronic form have to approach only the DP concerned and not the Registrar for any change in the mandated particulars like change of address, Bank Account, etc.,** Please note that the Registrar would send the dividend warrant (or credit to the mandated account in the case of shareholders who have opted for ECS credit) based on the particulars furnished by DP to the Registrar as on 28.05.2010.

4. **Consolidation of Folios :** It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service to shareholders, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पत्र
LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

श्री एस. ए. भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Shri S.A. BHAT
Chairman & Managing Director

प्रिय शेयरधारको,

वर्ष 2009-10 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं वर्ष के दौरान बैंक के कुछ महत्वपूर्ण बातों और निष्पादक सूचकों पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूँगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई 6.7% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 7.2% - 7.5% की वृद्धि हुई है । अप्रैल 10, 2009 तक विदेशी विनिमय आरक्षितियाँ यू एस डी 279 बिलियन रहीं, जो कि गत वर्ष उसी अवधि के लिए 20 यूएसडी बिलियन की कमी की तुलना में 11 यूएसडी बिलियन की बढ़ोतरी है । देशी मांग में वसूली के मद्देनजर आयात में सुधार हुआ है, अक्तूबर 2009 से निर्यातों में बढ़ोतरी हुई है जो बाहरी मांग में तेजी को दर्शाता है और कुल मिलाकर आर्थिक उगाही में तेजी हुई जो 2009-10 की दूसरी तिमाही में शुरू हुआ । वर्ष 2009-10 के दौरान ईक्विटी बाजार वैश्विक अभियान के चलते आन्तरायिक सुधारों के साथ स्थिर रहा । बी एस ई संसेक्स 1.04.2009 के 9902 की तुलना में 31.03.2010 को 17528 रहा जो वर्ष के दौरान 77.01% की बढ़ोतरी है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की निम्नलिखित विशिष्टताएँ रही हैं :

- 31 मार्च 2010 तक आपके बैंक का वैश्विक कारोबार रु.1,91,577 करोड़ तक पहुँच गया जो कि पिछले वर्ष के रु.1,75,925 करोड़ की तुलना में 8.90 % अधिक है ।

Dear Shareholders,

I present your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2009-10. I would like to briefly highlight some key issues and performance indicators of the Bank during the year.

The Indian economy is estimated to have recorded a growth in the range of 7.2%-7.5% during the year 2009-10 as against 6.7% recorded during 2008-09. As on April 10, 2009, Foreign Exchange Reserves stood at USD 279 billion showing an increase of USD 11 billion as against a decline of USD 20 billion during the corresponding period a year ago. Imports have improved evidencing recovery in domestic demand, exports have turned around since October 2009 reflecting revival of external demand and on the whole, economic recovery which began in the second quarter of 2009-10 is gaining momentum. During 2009-10, equity markets generally remained firm with intermittent corrections in line with the global movement. The BSE Sensex improved by 77.01% during the year from 9902 on 1.04.2009 to 17528 on 31.03.2010.

The performance of the Bank during the year under review :

- Your Bank's global business reached Rs 1,91,577 crore as at 31st March 2010 resulting in an increase of 8.90% over last year's figure ie. Rs. 1,75,925 crore

- वर्ष 2009 - 2010 के दौरान बैंक की जमाओं ने वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.10679 करोड़ (10.67 %) की वृद्धि को दर्ज किया है। वर्ष 2008-09 के रु.1,00,116 करोड़ की जमाओं की तुलना में यह बढकर रु.1,10,795 करोड़ रही ।

- वर्ष 2009 - 2010 के दौरान सकल अग्रिमों ने वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.4,972 करोड़ की (6.56%) वृद्धि दर्ज किया है और यह रु.80,782 करोड़ रही। वर्ष 2008-09 के दौरान यह रु.75,810 करोड़ था।

- 31.03.2009 तक के रु. 2,524 करोड़ के बैंक के परिचालनगत लाभ की तुलना में यह 31.03.2010 तक रु.1845 करोड़ रहा।

- निवल लाभ गत वर्ष के रु.1326करोड़ की तुलना मे वर्षांत तक रु.707 करोड़ रहा ।

- वर्ष 2008-09 के रु.31,215 करोड़ की तुलना में बैंक का निवल निवेश रु.37,651 करोड़ तक बढ.गया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के 40% मानंदडों के प्रति समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का प्रतिशत 40.59 % रहा।

- समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के कृषि उधार पोर्टफोलियो ने रु.1,780 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है जिससे यह रु.10,817 करोड़ से बढ़ कर रु.12,597 करोड़ हो गया। समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में बैंक के कृषि अग्रिम का प्रतिशत 18.77% रहा जो कि निर्धारित 18% मानदंड का अधिगमन है। बैंक ने इस क्षेत्र में उधार प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई पहल किए ।

- 31 मार्च 2010 तक एसएमई क्षेत्र में बैंक का कुल उधार रु.11,660 करोड़ रहा। बैंक ने ऑटो रिक्शा ,व्यावसायिक तिपहिया वाहन ,ट्रक और व्यावसायिक परिवहन वाहन के वित्तपोषण के लिए निजी क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया है।

- रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उधार जमा अनुपात ने 72.91% के स्तर को हासिल कर लिया।

- 31.03.2010 तक के लिए औसत निवल मूल्य की तुलना में बैंक का निवल लाभ 11.97% रहा।

- पिछले वर्ष के रु.2,870 करोड़ की तुलना में इस अवधि के दौरान कुल निवल ब्याज आय बढ़कर रु. 3,168 करोड़ तक पहुँच गयी, जो कि 10.39% की वृद्धि है।

- Deposits of the Bank registered a year-on-year (y-o-y) growth of Rs. 10679 crore (10.67%) during the year 2009-10 and increased from Rs. 1,00,116 crore for the year 2008-09 to Rs. 1,10,795 crore.

- Gross Advances registered a y-o-y growth of Rs.4972 crore (6.56%) and stood at Rs.80,782 crore for the year 2009-10, as against Rs.75,810 crore for the year 2008-09.

- Operating Profit for the Bank was Rs. 1,845 crore as on 31.03.2010 as against Rs. 2,524 crore as on 31.03.2009.

- Net Profit stood at Rs 707 crore at the end of the year as against Rs. 1,326 crore for the previous year.

- Net investments of the Bank increased to Rs. 37,651 crore from Rs. 31,215 crore in 2008-09.

- The percentage of priority sector advances to Adjusted Net Bank Credit was at 40.59% as against RBI norms of 40%.

- The agricultural credit portfolio of the Bank registered a growth of Rs. 1,780 crore from Rs. 10,817 crore to Rs. 12,597 crore in the year under review. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit at 18.77% exceeded the 18% norm. The Bank took a number of initiatives to increase the flow of credit to this sector.

- The total exposure of the Bank as on March 31, 2010 to SME sector stood at Rs. 11,660 crore. The Bank has executed MOUs with the private sector for financing of auto rickshaws, commercial three wheelers, trucks and commercial transport vehicles.

- The CD Ratio registered a level of 72.91% as at the end of the reporting period.

- The Bank's Net Profit as a percentage of Average Networth as of 31.03.2010 stood at 11.97%.

- Total Net Interest Income improved to Rs. 3,168 crore when compared to Rs. 2,870 crore last year, registering a growth of 10.39%.

- वर्ष के लिए निवल ब्याज मार्जिन 2.74% रहा ।
- बैंक की कुल आय गत वर्ष के रु. 11,237 करोड़ की तुलना मे इस वर्ष के अंत में रु.11,389 करोड़ रही ।
- प्रति कर्मचारी व्यापार जहाँ रु.6.89 करोड़ से बढ़कर रु.7.12 करोड़ हो गया, वहीं प्रति कर्मचारी लाभ गत वर्ष के रु. 5.20 लाख की तुलना में 2.63 लाख रहा ।
- मार्च 2010 तक सकल अनर्जक आस्ति रु.3,611 करोड़ रही। प्रतिशत के संदर्भ में 31.03.2009 के 2.54% के प्रति सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 4.47% रहा। वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 31.03.2009 के 1.33% की तुलना मे 2.52 % रहा ।
- वर्ष 2009-10 के लिए निदेशक मंडल ने 35% लाभांश की सिफारिश की है।

31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक का परिचालनगत लाभ 26.91% से गिरकर रु. 1845 करोड़ हो गया और निवल लाभ 46.68 % से गिरकर रु. 707 करोड़ रहा। यह गिरावट अन्य आय जैसे ट्रेजरी आय, अग्रिमों में कम वृद्धि और अशोध्य ऋण और वेतन संशोधन के लिए उच्च प्रावधान के कारण आयी । 2009 में वैश्विक मंदी के कारण हमारे उधारकर्ताओं की चुकतान क्षमता प्रभावित हुई और अशोध्य ऋण प्रमुखत: बुनियादी ढांचे , प्राथमिकता क्षेत्र , कारोबारी वित्तपोषण और भूसंपदा क्षेत्रों में हुआ । अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी के कारण अनर्जक खातों पर ब्याज की गणना नहीं हो सकी जिसके कारण ब्याजगत आय पर दुष्प्रभाव पड़ा ।

आपके बैंक में अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान 48% से बढ़ाकर 54 % कर दिया गया है और सितंबर 2010 तक यह 70% तक पहुँचने की संभावना है या बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक जैसा अधिदेश देता हो वैसा होने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2008 से संशोधित नयी पूँजीगत पर्याप्तता प्रणाली -(बेसल ।।) को हम अपना चुके है। बेसल ।। ढाँचे के अनुसार 31.03.2010 तक के लिए सीआरएआर 14.78% है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की अपेक्षा से अधिक है।

सह बैंकिंग क्षेत्र में बैंक का मुख्य ध्यान हमारे बीमा उत्पादों , स्वर्ण सिक्कों की बिक्री और सूचना प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों के विपणन पर केन्द्रित रहा और हमारी शुल्क आधारित आय में सुधार करने के लिए शाखाओं में नियमित रूप से अभियान चलाए गए । शुल्क

- Net Interest Margin stood at 2.74% for the year.
- The Bank's total income stood at Rs. 11,389 crore as against Rs. 11,237 crore for the previous year.
- While the business per employee has improved from Rs 6.89 crore to Rs. 7.12 crore, the profit per employee stood at Rs 2.63 Lacs as against Rs 5.20 Lacs for the previous year.
- Gross NPA stood at Rs. 3,611 crore in March 2010. In percentage terms, the Gross NPA ratio was 4.47% as at 31.03.2010 as against 2.54% as at 31.03.2009. Net NPA ratio stood at 2.52% for the year under review as against 1.33% as at 31.03.2009.
- A dividend of 35% has been recommended by the Board of Directors for the year 2009-10.

Your Bank's Operating Profit fell by 26.91% to Rs. 1845 crore and Net Profit fell by 46.68% to Rs. 707 crore for the year ended 31.03.2010 due to fall in other income including treasury income, lower growth in advances and higher provisioning for bad debts and for wage revision. The downturn in the global economy that was witnessed in 2009 has impacted the repayment capacity of our borrowers and bad debts were added mainly in the infrastructure, priority sector, trade finance and real estate sectors. Increase in NPAs also results in non reckoning of interest on NPA accounts, adversely affecting interest income.

Your Bank has increased its provisioning for bad debts to 54% from 48% and expects to reach the 70% provisioning norm by September 2010 or later as mandated by Reserve Bank of India.

As a Bank with international presence, we have already moved to the revised New Capital Adequacy Framework (BASEL II) from 31st March 2008 in line with RBI guidelines. CRAR as per BASEL-II framework as on 31.3.2010 works out to 14.78% which is above the requirement of 9% prescribed by RBI.

In the area of para-banking, focus was directed on marketing of insurance products, sale of gold coins and IT enabled products. Periodic campaigns were conducted at our branches to improve our fee based income. The fee based

आधारित आय 31.03.2009 के रु. 15.27 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.3.2010 को 23.47 करोड़ हो गया। गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण हेतु 20.12.2008 से आपके बैंक ने यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्यूरेंस कंपनी (इलाहाबाद बैंक, कर्णाटक बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन और सोंपो जापान इंश्योरेंस इंक. सहित गैर जीवन बीमा संयुक्त उद्यम कंपनी) के साथ कार्पोरेट अभिकरण व्यवस्था नियत की है ।

जहाँ तक विदेशी परिचालनों का मामला है,वहां तो बैंक की विदेश में छः पूर्णरूपेण शाखाएँ हैं - दो हाँगकाँग में और एक - एक सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड में स्थित हैं। बूनले और सेरंगून, सिंगापूर में प्रेषण केंद्र कार्यरत हैं और श्रीलंका में एक उप शाखा भी कार्यरत है।

इसके अलावा गुआंगझाऊ, चीन व कुआलालंपूर, मलेशिया तथा हो चि मिंह सिटी,वियतनाम, अल करामा,दुबई में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय मौजूद हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने दुबई में प्रतिनिध कार्यालय की शुरूआत की है और फरवरी 2010 से कार्यालय पूर्ण रूप से कार्यरत है ।

मलेशिया मे बैंकिंग अनुषंगी खोलने के लिए बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और आन्ध्रा बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम करार पर हस्ताक्षर किया है । अनुषंगी ने मलेशिया के केन्द्रीय बैंक, बैंक नेगारा से लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ।

बेहतर औद्योगिक संबंध का संवर्द्धन हमारे बैंक का मुख्य लक्ष्य है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान अप्रत्याशित आर्थिक मंदी के कारण आधुनिक अर्थव्यवस्था में वसूली धीमी रही है। इस पृष्ठभूमि में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर मुद्रास्फीतिकारी(ई एम ई) दबाव रहने के बावजूद भारत में वसूली के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं । देशी स्तर पर आर्थिक पुर्नलाभ में लगातार सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके वित्तीय क्षेत्र के लचीले होने का परिचायक है। भारत में वैश्विक मंदी के दुष्प्रभाव को कम करने में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप और विनियमन व्यापक रूप से जिम्मेदार हैं । भारत का वृद्धि ग्राफ वैश्विक परिदृश्य से उल्टा है । फिर भी सावधानी के तौर पर यह नोट किया जाना चाहिए कि यद्यपि भारत में वसूली घरेलू मांग द्वारा संचालित होने की अपेक्षा रखता है फिर भी वैश्विक ताकते सुनिश्चित कर सकती हैं कि वैश्विक वातावरण में नकारात्मक विकास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर

income which was Rs.15.27 crores as on 31/3/2009 has gone up to Rs.23.47crores as on 31/3/2010. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into, with effect from 20.12.2008, with Universal Sompo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company of your Bank with Allahabad Bank, Karnataka Bank, Dabur Investment Corporation and Sompo Japan Insurance Inc.) for distribution of non-life insurance products.

As regards our overseas operations, we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. Remittance Centres function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou, China and Kuala Lumpur, Malaysia, Ho Chi Minh City, Vietnam and Al Karama, Dubai. During the year, the Bank has opened Representative Office at Dubai and the office has become fully operational since February 2010.

The Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The subsidiary has applied for license from Bank Negara, the Central Bank of Malaysia.

Promotion of good industrial relations continues to be an objective of our Bank.

During the year under review, globally, recovery in the advanced economies from the unprecedented economic crisis is slow. In this background Emerging Market Economies (EMEs)(of which India is one), although facing inflationary pressures, are showing significant signs of recovery. In the domestic front, the economic recovery, which shows evidence of sustained improvement, stands testimony to the resilience of the Indian economy and its financial sector. RBI's intervention and regulation was largely responsible for mitigating the adverse impact of the global crisis in India. India's growth curve is in sharp contrast to the overall global scenario. However on a note of caution, it is imperative to note that while recovery in India is largely expected to be driven by domestic demand, the forces of globalization could ensure that negative developments in the global environment would

पड़े। डब्लयू पी आइ (थोक मूल्य सूचकांक) सितंबर 2009 में 0.5% की तुलना में मार्च 2010 में 9.9% रहा जिससे वर्ष 2009-10 की आखिरी तिमाही में मुद्रा स्फीति प्रबल रही है। परिणामस्वरूप नीतिगत आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्यान मुद्रा स्फीति को कम करने की ओर हो गया।

भविष्य में आपके बैंक के पास उत्साहजनक अवसर भी हैं । हमारी अर्न्तनिहित शक्ति है हमारी क्षमता, हमारा विस्तृत शाखा नेटवर्क और हमारी दीर्घकालिक दृष्टि। इनके कारण हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और उद्योग में मौजूद चुनौतियों का सामना कर सकते हैं ताकि अपने बाजार स्थिति का समेकन कर सके और हमारे स्टेक धारकों यथा ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य और लाभ का सृजन किया जा सके ।

जैसा कि आपका बैंक सदैव अपने शेयरधारकों के विश्वास और सहयोग को बनाए रखता है,इस अवसर पर बैंक के दर्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए शेयर धारकों के प्रति शुक्रगुज़ार हैं।

आपका ,

एस ए भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

impact the Indian economy. Further, inflation has accentuated in the last quarter of 2009-10 with the Whole Sale Price Index accelerating from 0.5% in September 2009 to 9.9% in March 2010, resulting in RBI's policy focus shifting to the containing of inflation.

Looking forward, your Bank faces exciting business opportunities in future. Our inherent strengths are our potential, our wide network of branches and our long term vision. These will enable us to capitalize on the opportunities and face the challenges in the Industry so as to consolidate our market position and deliver our commitment to generate value and returns for our customers, shareholders and employees.

As always, your Bank relies on the continuing trust and support of our shareholders and we take this opportunity to thank the shareholders for their commitment to the Bank's vision over the years.

Yours sincerely,

S A BHAT
Chairman and Managing Director

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार 20 जुलाई, 2010 को पूर्वाहन 10.00 बजे नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानंद हाल), 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी । म

1. 31 मार्च, 2010 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना ।

2 वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश घोषित करना ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै **(एस. ए. भट)**
29-05-2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संपर्क कक्ष, लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002) में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् **गुरुवार, 15 जुलाई 2010 को अपराह्न 25.00 बजे तक या पहले** जमा कर देना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय (इण्डियन

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the TENTH Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on **Tuesday, the 20th July 2010** at 10.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018, to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2010, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2010, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the financial year 2009-10.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai (S A BHAT)
29.05.2010 Chairman and Managing Director

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY :

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank (Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Accounts Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600002) not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. **on or before 5.00 p.m. on Thursday, 15th July 2010.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank (Indian

ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संपर्क कक्ष, लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002) में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात **गुरुवार दिनांक 15 जुलाई 2010 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले** जमा नहीं की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

4. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पर्ची

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्चीसह प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें । प्रॉक्सी / प्रतिनिधि धारकों को उपस्थिति सह प्रवेश पर्ची में "प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि धारक", जो भी लागू हो, अंकित कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होने चाहिए ।

5. शेयर धारकों की रजिस्टर को बंद करना

लाभांश के उद्देश्य के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 28.05.2010 तक की कट ऑफ तारीख सहित, 29.05.2010 (शनिवार) से 04.06.2010 (शुक्रवार) तक बंद रहेंगी (दोनों दिन सम्मिलित)। लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से एक महीने के अंदर भेज दिया जाएगा।

6. लाभांश के लिए बैंक-अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सर्विस (इसीएस)

अ) लाभांश वारंटों के धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नकदीकरण के लिए लाभांश वारंटों को जिस बैंक शाखा में जमा करवाना चाहते हैं, उस बैंक का नाम और अपने खाते की संख्या का उल्लेख करें। ये ब्योरे, शेयरधारक के नाम के अलावा, लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से में मुद्रित किए जाएँगे ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन वारंटों का नकदीकरण न किया जा सके। यदि शेयरधारक के पास भोतिक रुप में शेयर हो तो उपर्युक्त ब्योरे प्रथम/ एकल शेयरधारक द्वारा सीधे शेयर अन्तरण एजेंट को दिए जाने चाहिए जिसमें कि फोलियो संख्या अथवा डीपी आइडी संख्या एवं क्लाइंट आइडी संख्या और धारित शेयरों की संख्या 05.07.2010 तक या पहले दी जानी

Overseas Bank, Investor Relations Cell, Accounts Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600002) not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., **on or before 5.00 pm on Thursday, 15th July 2010.**

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS :

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/ representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS :

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 29.05.2010 (Saturday) to 4.6.2010 (Friday) (both days inclusive) with cut off date as 28.05.2010 for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend shall be mailed within one month from the date of Annual General Meeting.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS) :

a) In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else. The above mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder in case of shareholders holding shares in physical form, directly to the share transfer agent quoting the Folio No. and the number of shares held on or before 05.07.2010. If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received

चाहिए। यदि शेयर धारक कोई आशोधन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता, ऐसी स्थिति में डीमैट शेयर धारकों के लिए 28.05.2010 को रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त पूर्व में बैंक के मेनडेट अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए आकडों पर आधारित वारंट मुद्रित किया जाएगा। यह सभी शेयर धारकों पर लागू होगा जिन्होंने इसीएस अधिदेश प्रस्तुत नहीं किया है ।

आ) बैंक निर्दिष्ट शहरों में रहने वाले शेयरधारकों जो आइओबी के शाखाओं में खाता रखते हैं, के लिए ईसीएस प्रत्यक्ष जमा सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांश जमा के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के बजाए शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के साथ ईसीएस विकल्प प्रारूप संलग्न है। शेयरधारक अपने निर्दिष्ट खाते में लाभांश अन्तरण की सुविधा के लिए अपने ई सी एस अधिदेश में अपना खाता सं. (15 अंक) और अपनी बैंक शाखा की आई एफ एस कोड संख्या का विवरण दें। निर्दिष्ट केंद्रों के लिए जहाँ एनईएफटी / एनईसीएस सुविधा जहॉं कहीं भी उपलब्ध हो, भुगतान इनके ज़रिए किया जाएगा।

7. अदावी लाभांश, यदि कोई

पिछले वर्षों जैसे 2000-2001 से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि जारी करने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है एवं उक्त संदर्भ में **उसके बाद न तो बैंक और न ही आई ई पी एफ को भुगतान करने के लिए कोई दावा बनता है।** अदत्त भुगतान खाते के वर्षवार तारीख अन्तरण के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग का (मद 9ई सामान्य शेयरधारक सूचना - अदत्त लाभांश) वर्ष 2009-10 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट का संदर्भ लें।

8. पते में परिवर्तन और लाभांश अधिदेश

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन,

by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 28.05.2010 for demat shareholders. This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).

b) The Bank is also offering the facility of ECS Direct Credit for those shareholders who maintain accounts with IOB branches residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of the Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. The ECS Option Form is annexed to this report. Shareholders are required to give details of their Account numbers (15 digit) and IFS Code No. of their bank branch in their ECS Mandate to facilitate the transfer of dividend to their designated account. For selected Centres, payment through NEFT/NECS will be effected wherever such facility is available.

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from previous years viz. 2000-2001 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10 B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.** For details of date of transfer to unpaid Dividend A/c year-wise, please refer the Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2009-10 (Pt. 9e - General Shareholder information - Unpaid Dividend), forming part of this Annual Report.

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE :

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of

लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या के विवरण, जिसे शेयरधारक लाभांश वारंट पर उल्लिखित करना चाहते हैं, उन सब की जानकारी दिनांक 05.07.2010 तक या पहले निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व-शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी-यूनिट)
पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,
नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन, लाभांश अधिदेश, बैंक शाखा के ब्योरों और बैंक खाता संख्या में कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे इसकी सूचना अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें क्योंकि लाभांश का वितरण और इसके भुगतान के लिए दिनांक 28.05.2010 को डिपाज़िटरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपर्युक्त जानकारी पर ही विचार किया जाएगा ।

9. फोलियो का समेकन

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानी विविध फोलियो रखते हैं । शेयरधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा ऐसे फोलियो का समेकन करने हेतु, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को पंजीयक और शेयर अंतरण एजेण्ट को पंजीयक के रिकार्डों में आवश्यक सुधार हेतु भेजें ।

10. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के परिशोधित खण्ड 49 IV जी के तहत अपेक्षितानुसार कार्पोरेट गवर्नैन्स पर रिपोर्ट में निदेशकों के संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं ।

11. शेयरधारकों से अनुरोध

(क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ साथ लेते आएँ।

(ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी तरह के उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएँगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एस. ए. भट)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै
29.05.2010

the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, on or before 05.07.2010 at the following address:

Cameo Corporate Services Ltd.
(IOB – unit)
1st floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form ie. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., as the aforesaid information provided by the Depository as on 28.05.2010 would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS :

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

10. BRIEF PROFILE OF DIRECTORS :

As required under the revised Clause 49 IV G of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, brief profile of Directors are given in the Report on Corporate Governance.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS :

(a) Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

(b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(S A BHAT)
Chairman and Managing Director

Chennai
29.05.2010

एक नज़र में AT A GLANCE

रु. करोड़ों में **Rs.in crore**

	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009
सार्वभौमिक जमा-राशियाँ **Global Deposits**	1,10,795	1,00,116
देशीय जमा-राशियाँ **Domestic Deposits**	1,05,434	95,434
सार्वभौमिक सकल अग्रिम **Global Gross Advances**	80,782	75,810
देशीय सकल अग्रिम **Domestic Gross Advances**	73,026	68,479
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम **Priority Sector Advances**	27,237	24,294
कृषि उधार **Agricultural Credit**	12,597	10,817
सकल लाभ **Gross Profit**	1,845	2,524
निवल लाभ **Net Profit**	707	1,326

निदेशकों की रिपोर्ट 2009-10

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक के निष्पादन को आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है। बैंक की प्रगति संतुलित रही और कारोबार रु.1,90,000 करोड़ को पार कर गया। वर्ष के दौरान बैंक ने अधिक लागत की जमाओं को ज्ञानपूर्वक तजने, सजग उधार विस्तारण और एनपीए की वसूली पर ध्यान केंद्रित किया।

वैश्विक व्यवसाय निष्पादन

बैंक की सार्वभौमिक जमाएँ जो मार्च 2008-09 में रु. 1,00,116 करोड़ थी, वह मार्च 2009-10 में 10.67 प्रतिशत बढ़कर रु. 1,10,795 करोड़ तक हो गईं। सार्वभौमिक सकल अग्रिम रु. 75,810 करोड़ से 6.56 प्रतिशत बढ़कर रु.80,782 करोड़ तक हो गए। कुल कारोबार रु.1,91,577 करोड़ तक बढ़ा (8.90 प्रतिशत की वृद्धि)।

विदेशी शाखाएँ

वर्ष के दौरान बैंक ने दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय खोला जो फरवरी 2010 से पूर्णत: परिचालनीय हो गया है। मलेशिया में बैंकिंग अनुषंगी कार्यालय खोलने हेतु बैंक आफ बडौदा व आंध्रा बैंक के साथ बैंक ने संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए। अनुषंगी कार्यालय ने मलेशिया के केंद्रीय बैंक, बैंक नेगारा से लाइसेंस के लिए आवेदित किया है।

मार्च 2010 की समाप्ति तक बैंक के विदेश में 13 संस्थापन रहे, जिनमें से छह पूर्ण शाखाएँ, (हांग कांग में दो और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बैंकॉक में एक - एक शाखा) चार प्रतिनिधि कार्यालय हैं (गुआंगज़ाउ-चीन, कुआलालंपुर-मलेशिया,हो ची मिन सिटी-वियतनाम और अल करमा-दुबई), दो विप्रेषण केंद्र हैं (बून ले और सेरेंगून, सिंगापुर) और श्रीलंका में एक उपशाखा है।

वित्तीय निष्पादन

बाजार में मंदी के चलते कम ट्रेजरी लाभों और पेंशन, ग्रैच्युटी और वर्तमान वेतन निपटान समझौता प्रक्रिया के पार्श्व में बैंक के कर्मचारियों से संबंधित वेतन परिशोधन के लिए बढ़ी हुई देयता के कारण वर्ष 2009-10 में बैंक ने सार्वभौमिक परिचालन लाभ में रु. 2,524 करोड़ के मुकाबले रु.1,845 करोड़ लाभ अर्जित किया है।

प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने रु.1,138 करोड़ का कुल प्रावधान किया हैं।

निवल लाभ / लाभांश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुरानी अनर्जक आस्तियों के लिए वृद्धित प्रावधानों और कम परिचालनगत लाभ के कारण वर्ष 2008-09 में रु.1,326 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009-10 के लिए बैंक का निवल लाभ रु. 707 करोड़ रहा। पिछले वर्ष प्रदत्त 45 प्रतिशत के लाभांश की तुलना में वर्ष 2009-10 के लिए 35% का लाभांश प्रस्तावित किया गया है।

DIRECTORS' REPORT 2009-10

The Board of Directors have great pleasure in presenting the Annual Report together with audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended March 31, 2010.

During 2009-10, the Bank's performance is to be viewed in the backdrop of economic slow down. The Bank has grown in a balanced manner and crossed the business level of Rs.1,90,000 crore mark. The Bank has focused its attention in consciously shedding high cost deposits, cautious credit expansion and NPA Recovery during the year.

Global Business Performance

The Bank's global deposits went up from Rs. 1,00,116 crore in 2008-09 to Rs.1,10,795 crore in 2009-10 by 10.67 %. Global gross advances expanded from Rs. 75,810 crore to Rs. 80,782 crore at 6.56 %. Total business reached Rs. 1,91,577 crore (growth at 8.90 %).

Overseas Branches

During the year the Bank has opened Representative Office at Dubai and the Office has become fully operational from February 2010. The Bank signed the joint venture with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The subsidiary has applied for license from Bank Negara, the central bank of Malaysia.

As at the end of March 2010, the Bank had 13 establishments abroad, comprising 6 full-fledged branches (two branches in Hongkong and one each at Singapore, South Korea, Sri Lanka and Bangkok) 4 Representative offices (Guangzhou-China, Kuala Lumpur-Malaysia, Ho Chi Minh City-Vietnam and Al karama-Dubai), 2 Remittance Centres (Boonlay and Serangoon, Singapore) and 1 Extension counter in Sri Lanka.

Financial Performance

Global operating profit of the Bank was at Rs.1,845 crore in 2009-10 as against Rs.2,524 crore mainly due to lower treasury gains in the subdued market condition and increased liability for Pension, Gratuity and wage revision relating to employees of the Bank in the backdrop of ongoing wage settlement negotiation process.

Provisions

The Bank has made a total provision of Rs.1,138 crore in keeping with the guidelines issued by the RBI.

Net Profit \ Dividend

Net profit of the Bank was at Rs.707 crore for 2009-10 as against Rs.1,326 crore in 2008-09 due to lower operating profit and increased provision for ageing Non Performing Assets as per RBI guidelines. Dividend for the year 2009-10 is proposed at 35 % as against 45% paid last year.

आय व व्यय विश्लेषण

बैंक की कुल आय वर्ष 2008-09 में रु. 11,237 करोड़ से वर्ष 2009-10 में 1.35% की न्यूनतम वृद्धि के साथ यह बढ़कर रु.11,389 करोड़ हुई। इसका प्रमुख कारण रहा ट्रेजरी आय में पिछले वर्ष की तुलना में रु.345 करोड़ की कमी और सार्वभौमिक आर्थिक मंदी के कारण उधार में कम प्रगति। कुल ब्याज आय में 6.28 प्रतिशत बढोत्तरी हुई जो वर्ष 2008-09 में रु. 9,641 करोड़ रही, वह बढ़कर वर्ष 2009-10 में रु.10,246 करोड़ हो गई। अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष के रु.7,660 करोड़ की तुलना में रु.7422 करोड़ तक बढा। 1 जुलाई 2009 से प्रभावी 50 आधार अंकों पर बेंच मार्क मूल उधार दर में अधोमुखी परिशोधन के कारण अग्रिमों पर देशी प्रतिलाभ वर्ष 2008-09 के 11.13 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2009-10 में 10.44 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण इसका प्रभाव अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज पर अधोमुखी प्रभाव पड़ा।

कमीशन एवं विनिमय अर्जन पिछले वर्ष के रु. 594 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु.578 करोड़ रहा। मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण विनिमय पर लाभ रु. 157 करोड़ की तुलना में रु.127 करोड़ रहा। मंद बाजार में पिछले वर्ष निवेशों की बिक्री पर लाभ के रु. 637 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष रु.292 करोड़ रहा।

वर्ष के दौरान देशी सावधि जमाओं पर लगातार ब्याज दर पुनर्नियतन व कार्ड-प्लस जमाओं में कमी लाने से वर्ष 2008-09 में बढते ब्याज व्यय को 28.04 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 4.52 प्रतिशत तक कम कर दिया गया। कुल देशी जमाओं की प्रतिशतता की तुलना में कार्ड आधारित जमाओं को मार्च 2009 के 14.10 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2010 की समाप्ति तक 3.82 प्रतिशत तक कम किया गया। परिणामस्वरूप देशी जमाओं की लागत में वर्ष 2008-09 के 6.87 प्रतिशत से 50 आधार अंक पर कमी दर्ज करते हुए वर्ष 2009-10 में 6.36 प्रतिशत तक ला लिया गया।

उद्योग स्तर पर पेंशन, ग्रैच्युटी और वर्तमान वेतन निपटान समझौता प्रक्रिया के चलते वेतन परिशोधन के लिए बढ़े प्रावधानों के कारण कुल परिचालनगत व्यय पिछले वर्ष के रु.1,942 करोड़ की तुलना में रु.2,466 करोड़ तक बढ़ गए । वर्ष के दौरान अधिक मूल्यह्रास, किराया और करों के कारण गैर-स्टाफ व्यय रु.670 करोड़ से रु.731 करोड़ तक बढ गया। वर्ष 2009-10 में निवल ब्याज आय रु.3,168 करोड़ तक बढ गई जो 10.39 प्रतिशत की वृद्धि है। बाजार के रुख के अनुसार बेंच मार्क मूल उधार दर में अधोमुखी परिशोधन के कारण निवल ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष 2.84 प्रतिशत की तुलना में 2.74 प्रतिशत कम रहा । अत: बैंक का परिचालनगत लाभ वर्ष 2008-09 के रु.2,524 करोड़ की तुलना में रु.1,845 करोड़ रहा।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

बैसल II मानदंडों के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2009 के अंत तक के 13.20% से बढ़कर मार्च 2010 के अंत तक 14.78% हो गया।

शाखा नेटवर्क

मार्च 2010 के अंत तक बैंक ने 65 नई शाखाएँ खोलीं तथा 20 उपशाखाओं का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन किया। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक देशी शाखाओं का नेटवर्क 2,002 तक पहुँच गया। जनसंख्या समूह-वार ब्रेकअप के आधार पर कुल शाखाओं में से 589

Income and Expenditure Analysis

The total income increased to Rs. 11,389 crore in 2009-10 compared to Rs.11,237 crore in 2008-09, with a marginal growth of 1.35% on account of reduction in treasury income by Rs.345 crore over last year and lower growth in credit due to global economic recession. The total interest income increased to Rs. 10,246 crore in 2009-10 from Rs.9,641 crore in 2008-09 at 6.28%. Interest income on Advances increased to Rs. 7660 crore compared to Rs.7,290 crore in the last year. Interest received on advances impacted by decline in domestic yield on advances to 10.44 % in 2009-10 from 11.13% in 2008-09 on account of downward revision in Bench Mark Prime Lending Rate by 50 basis points effective from July 1, 2009.

The commission and exchange earnings stood at Rs. 578 crore against Rs.594 crore last year. Profit on exchange was at Rs. 127crore as compared to Rs.157 crore due to volatility in the currency market. The profit on sale of investments was lower at Rs. 292 crore against Rs. 637 crore last year in the subdued market.

The increase in interest expenditure was significantly brought down to 4.52 % in 2009-10 from 28.04 % in 2008-09, due to conscious shedding of card-plus deposits and successive interest rate realignment on domestic term deposits during the year. Card- plus deposits as percentage to total domestic deposits significantly came down to 3.82 % at the end of March 2010 compared to 14.10% in March 2009. As a result, the domestic cost of deposits declined by 51 basis points from 6.87% in 2008-09 to 6.36% in 2009-10.

Total operating expenses increased to Rs.2,466 crore compared to Rs.1,942 crore last year due to increased provision for pension, gratuity and wage revision which is under negotiation at the industry level. The non-staff expenditure increased to Rs.731 crore from Rs. 670 crore mainly due to higher depreciation, rent and taxes during the year. Net Interest Income increased to Rs. 3,168 crore in 2009-10 with a growth of 10.39 %. Consequently Net Interest Margin was lower at 2.74% as against 2.84% in last year mainly due to downward revision in Bench Mark Prime Lending rate in line with the market. Hence the Bank's operating profit stood at Rs.1,845 crore for 2009-10 as against Rs.2,524 crore in 2008-09.

Capital Adequacy Ratio

The capital adequacy ratio of the Bank improved from 13.20% as at the end of March 2009 to 14.78% as at the end of March 2010 as per the Basel II norms.

Branch Network

The Bank opened 65 new branches and upgraded 20 extension counters into full-fledged branches in the year ended March 2010. Total domestic branch network reached 2,002 as at the end of the reporting year. As regards population group wise break-up,

ग्रामीण शाखाएँ, जो कुल शाखाओं का 29.4% है, 520 अर्ध-शहरी (26%), 492 शहरी (24.6%) और 401 महानगरीय शाखाएँ (20%) हैं।

ग्राहक सेवा

बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग कोड व मानक बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआइ) द्वारा ड्राफ्ट किए गए कोड को अपनाया है। अगस्त 2009 के दौरान कोड का परिशोधन किया गया। ग्राहक शिक्षा के भाग के रूप में "ग्राहकों को जानकारी" पुस्तिका सभी शाखाओं में उपलब्ध करवायी गयी। मई 2009 में चयनित शाखाओं में और नवंबर 2009 के दौरान सभी शाखाओं में ग्राहक पखवाडा मनाया गया।

इस वर्ष के दौरान यूएसडी चेक वसूली नीति, ग्राहक सेवा से संबंधित राहत नीति दस्तावेज़ के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया।

प्राप्त ग्राहक शिकायतों और किए गए निवारणों के विवरण निम्नांकित हैं :

क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	- 47
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	- 1,291
ग	वर्ष के दौरान जिन शिकायतों का निवारण किया गया उनकी संख्या	- 1,280
घ	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	- 58

बर्ष 2009-10 के दौरान, 1338 शिकायतें संभाली गई (पिछले वर्ष की शिकायतें भी शामिल हैं) जिसमें 1280 शिकायतों का निपटान किया गया। निपटान दर 95.67%।

बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या और बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए निर्णयों की संख्या के विवरण निम्नवत है :

क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	- 2
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	- 1
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	- 1
घ	उच्च न्यायालय में अनुमत निर्णयों के प्रति की गयी अपीलों की संख्या	- 1
च	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	- 1

वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा केंद्र, चेन्नै नगर जिसके लिए बैंक चेन्नै नगर में संयोजक है, ने सभी शिकायतों का समाधान किया है। शिकायतें प्राप्त करने हेतु बाहरी एजेंसी की सेवाएँ लेकर ग्रहकों को टोल फ्री टेली सर्विसेज (1800-425-4445) उपलब्ध करवायी गयी है। इन शिकायतों का निपटान 48 घंटों के भीतर किया जाता है। इस सुविधा का उन्नयन 24X7 माडेल के रूप में किया जा रहा है।

रिटेल बैंकिंग और विपणन

जीवन व साधारण बीमा उत्पादों तथा बीमा संबद्ध उत्पादों सहित शुल्क आधारित उत्पादों से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की तुलना में 53.69 प्रतिशत बढ़ गई। जीवन बीमा से संबद्ध उत्पाद जैसे आइओबी जीवन, आइओबी हेल्थ केयर प्लस, सुरक्षा सहित विद्या ज्योति को

rural branches numbered 589 accounting for 29.4% of the total branches, semi-urban 520(26%), urban 492(24.6%) and metropolitan 401(20%).

Customer Service

The Bank has adopted the Code of Commitment to Bank's Customers as drafted by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). The Code has been revised during August 2009. As part of customer education "Information to Customers" Booklet is made available at all branches. Customer Fortnight was observed in select branches in May 2009 and in all branches during November 2009.

During the year, incorporating certain provisions of USD Cheque Collection Policy, the Compensation Policy document related to customer service was amended.

The details of customer complaints received and redressed are given below.

a.	Pending at the beginning of the year	- 47
b.	Received during the year	- 1291
c.	Redressed during the year	- 1280
d.	Pending at the end of the year	- 58

During the year 2009-10, 1338 complaints were handled (including the complaints carried over from the earlier year) of which 1280 complaints were resolved. The redressal rate was 95.67 % .

Number of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are as follows.

a.	Unimplemented awards at the beginning of the year	- 2
b.	Awards passed by Banking Ombudsman during the year	- 1
c.	Awards implemented during the year	- 1
d.	Appeal against the awards allowed in the High Court	- 1
e.	Unimplemented awards at the end of the year	- 1

Customer Service Centre, Chennai City, for which the Bank is the Convener, had resolved all the complaints during the year. Customers are provided with the facility of Toll Free Tele-services (No.1800-425-4445) by engaging an outside agency for receiving complaints. These complaints are resolved within 48 hours. This facility is being upgraded for 24x7 model.

Retail Banking and Marketing

Income from fee-based products including Life and General Insurance Products and Insurance Linked Products, grew by 53.69 % over the previous year. Life Insurance Linked Products, IOB Jeevan, IOB Healthcare Plus, Vidya Jyothi with Suraksha performed well with wider coverage and improved income.

अच्छा बढावा मिला और आय में बढ़ोत्तरी हुई।

भारतीय जीवन बीमा के कार्पोरेट एजेंट के रूप में जीवन पालिसियों के वितरण के तहत प्रीमियम तथा कमीशन दोनों में अच्छी वृद्धि हुई। इसी प्रकार से यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स के गैर जीवन बीमा उत्पादों में भी वृद्धि हुई।

जीवन पालिसियों, जीवन बीमा से संबद्ध पालिसियों, गैर-जीवन पालिसियों के विपणन से रु.14.28 करोड़ की आय हुई। स्वर्ण मुद्राओं की रिटेल बिक्री से रु.8.64 करोड़ की आय हुई। आवास ऋणों के प्रमुख योगदान से रिटेल ऋण पिछले वर्ष के मुकाबले 15.5 प्रतिशत बढ़े।

वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित अभियान चलाए गए :

1 कासा (सीएएसए) अभियान
2 स्वर्ण मुद्राओं की रिटेल बिक्री
3 हेल्थ केयर प्लस पालिसियों का विपणन
4 आस्ति बीमा कवर के लिए अभियान
5 डेबिट कार्ड का विपणन
6 विशेष टैक्स बचत अभियान

रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में समग्र वृद्धि हुई और आय में भी बढ़ोत्तरी हुई।

राजभाषा नीति

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरे प्रयास किए। वर्ष के दौरान 248 स्टाफ सदस्यों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, आइओबी प्रवीण तथा बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 2809 स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ बनाने हेतु सभी विभाग प्रमुखों के लिए सितम्बर 12, 2009 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

बोर्ड स्तरीय सभी बैठकों के कार्यवृत्त का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड फॉण्ट प्रतिष्ठापित किया और सभी शाखाओं में डाउनलोडिंग के प्रयोजन की दृष्टि से आइ ओ बी ऑनलाइन में हिन्दी "शुस्हा" फॉण्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। स्टाफ के प्रयोगार्थ बैंक ने ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी उपलब्ध करवाई है। बैंक ने 2445 स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया। बैंक ने त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "वाणी" के चार अंकों का समय पर प्रकाशन डिजिटल व मुद्रण के रूप में किया। बैंक की वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध करवा दी गई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान राजभााषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य करने के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड के तहत बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। 14 सितंबर 2009 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री एस. ए. भट ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गृह-पत्रिकाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता में वर्ष 2008-09 हेतु

Distribution of life policies, as a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India, witnessed growth both in premium as well as commission. So also were the non-life insurance products of Universal Sompo General Insurance.

The income from marketing of life policies, life insurance linked policies, non-life policies including health care was Rs.14.28 crore. Income from sale of retail gold coins clocked Rs.8.64 crore. Retail Loans grew at 15.5 % over the previous year with major contribution from Housing Loans.

The following campaigns were conducted during the year 2009-10.

1. CASA campaign
2. Retail Sale of Gold Coins.
3. Marketing of Healthcare Plus Policies.
4. Campaign for Asset Insurance Cover.
5. Marketing of Debit Cards.
6. Special Tax Saver Campaign

There was all round improvement in volume and increase in income in the retail-banking segment.

Official Language Policy

During the year 2009-10, the Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India. During the year, 248 Staff members, who did not possess working knowledge of Hindi, were trained in IOB Praveen and Banking Pragya Courses. 2,809 Staff members, possessing working knowledge of Hindi, were trained in General Hindi Workshops held during the year. Rajbhasha Sangoshti was held on September 12, 2009 for heads of Central Office departments to strengthen the Official Language Implementation in Central Office.

Minutes of meetings of all board level committees were translated in Hindi. As per the directives of Govt. of India, the Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of Hindi font Shusha on IOB ONLINE for downloading purpose in branches. Bank has also provided the Banking terminology on IOB ONLINE for the benefit of staff members. Bank has given necessary training to 2,445 staff members for the use of Hindi in computers. Bank has published all the four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form. Bank's website has been made available in Hindi also.

Bank won the First Prize under Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the year 2008-09 for commendable work in the area of Official Language Implementation. Shri S A Bhat, Chairman & Managing Director of the Bank, received this Award from Her Excellency President of India Smt. Pratibha Devi Singh Patil on September 14, 2009.

Reserve Bank of India awarded Second Prize to the Bank for Hindi house magazine "VANI" for the year 2008-09 in the Inter-Bank & Financial Institutions Hindi in-house Magazine Competition.

बैंक की गृह-पत्रिका "वाणी" को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की आलेख व साक्ष्य उप-समिति ने रायपुर नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बैंकों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। हमारे बैंक की शाखा को भी चर्चा हेतु शामिल किया गया और समिति ने हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर संतुष्टि जताई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2008-09 हेतु चेन्नै नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति के संयोजक के रूप में बैंक ने पुदुच्चेरि में अक्तूबर 9, 2009 को आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। समिति की ओर से बैंक द्वारा सदस्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए दो सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं, 12 अंतर-बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं, संयुक्त हिन्दी माह समारोह एवं हिन्दी यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक जनवरी 8, 2010 को वेतनमान IV श्रेणी के प्रबंधकों के लिए ग्राहक सेवा पर हिन्दी में विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। इसके अलावा दो अर्ध वार्षिक बैठकें भी आयोजित की गईं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) यथा पांडियन ग्राम बैंक और नीलांचल ग्राम्य बैंक ने वर्ष के दौरान अच्छा निष्पादन किया। दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान निवल लाभ दर्ज किया।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को बैंक सावधानी से सुनिश्चित कर रहा है। बैंक इस बात की आवश्यकता पर बल दे रहा है कि संरचनाओं और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रखना सुनिश्चित किया जाए ताकि बैंक अपनी प्रशासकीय जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। अच्छे प्रशासन को प्रवर्तित करने और उत्तम व्यवहारों, प्रक्रियाओं एवं नैतिकताओं की रूपरेखा सृजित करने में बैंक अपनी भूमिका को भली-भाँति समझता है, जिससे कि नैतिक मानकता का पालन व पोषण किया जा सकें।

बैंक ने सुपरिभाषित आचरण संहिता बनाई है जिसमें ईमानदारी, बैंक हितों की रक्षा और गोपनीयता के बारे में उल्लेख है। साथ ही बैंक अच्छे आचरण की आवश्यकता पर बल देता है जो अच्छे गवर्नेंस का आधार है। यह आचरण संहिता मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) पर लागू होती है।

किसी भी इकाई तथा उसके निवेशकों/स्टेकधारकों के बीच उचित जवाबदेही के लिए उच्च रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण अपेक्षित होता है। प्रकटीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठा और समयबद्धता को सुनिश्चित करने संबंधी अपनी प्रतिबद्धता के द्वारा बैंक अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस को अपनाता है और उसे बाधा मुक्त रखता है, ताकि पारदर्शिता व सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए अपने निवेशकों व

Regional Offices were inspected on Official Language implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

The drafting and evidence Sub -Committee of Parliamentary Committee on Official Language had discussions with the Chairmen and heads of Banks of Town Official Language Committees at Raipur. The Bank was also invited for discussion and the committee expressed satisfaction over the performance of the Bank at this centre.

As convener of Chennai Town Official Language Implementation Committee, the Bank has received the Second Prize for its efforts in implementation of Official Language Policy during the year 2008-09 from Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Prize was given by Shri Ajay Makan, Minister of State for Home Affairs, New Delhi on October 9, 2009. On behalf of the committee, the Bank conducted two General Hindi Workshops, 12 Inter-Bank Hindi competitions, Joint Hindi Month Celebration function and Hindi Unicode training programme for the staff members of member banks / Financial Institutions. A special Seminar in Hindi on Customer Service for Managers of Scale IV was held on January 8 ,2010. In addition to this two half yearly meetings were also conducted.

Regional Rural Banks

The Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank, viz Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank performed well during the year. Both the RRBs recorded net profit during the year.

Corporate Governance

The Bank prides itself on its diligence in ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities. The Bank lays emphasis on the need for ensuring that structures and processes are put in place to help in fulfilling its governance responsibilities. The Board recognizes its role in promoting good governance and in creating a framework of best practices, processes and ethics to observe and foster high ethical standards.

The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which address issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stress the need for ethical conduct, which is the basis of good governance. This Code of Conduct is applicable to all the members of the Board and Senior Management (i.e. General Managers) of the Bank.

High standards of reporting and disclosure are essential for proper accountability between an entity and its investors/stakeholders. Thus, the Bank facilitates and adopts good Corporate Governance by its commitment to ensuring timeliness and integrity of disclosures and financial reporting so as to keep investors and stakeholders adequately informed to ensure transparency and efficiency.

स्टेकधारकों को पर्याप्त जानकारी से लैस रख सकें।

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट के साथ-साथ कार्पोरेट गवर्नेन्स के अधीन आनेवाली शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

निदेशक मंडल

श्री जी. नारायणन, कार्यपालक निदेशक 31 अक्तूबर 2009 को अपने पद से सेवा-निवृत्त हुए। श्रीमती नूपुर मित्रा ने 7 दिसंबर 2009 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। बैंककारी कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 - सनदी लेखाकार वर्ग की धारा 9 (3) (जी) के तहत श्री रवीन्द्र विक्रम, निदेशक ने तीन वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद अक्तूबर, 10, 2009 को निदेशक के रूप में अपना पद त्याग दिया।

भारत सरकार ने श्री सूरज खत्री को अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 26 अक्तूबर 2009 से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए दूसरी बार नामित किया है।

श्री जे.डी.शर्मा ने, जो वर्तमान में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ (आइओबीओए) के अध्यक्ष हैं, 30 नवंबर 2009 को अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में अपना कार्यालय त्याग दिया। सरकार ने श्री के. आनंद कुमार को जो वर्तमान कें आइओबीओए में महा सचिव हैं, अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में मार्च 26, 2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया।

निदेशक मंडल भूतपूर्व निदेशकों के बहुमूल्य योगदान को रिकार्ड करता है और नए निदेशकों का हार्दिक स्वागत करता है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल अपने बहुमूल्य ग्राहकों, शेयरधारकों, अन्य स्टेकधारकों और भारत में और विदेश में स्थित बैंक के संपर्ककर्ताओं को, उनके सुनाम, संरक्षण और समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंज, विभिन्न राज्य सरकारों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मूल्यवान सहयोग को रिकॉर्ड करता है। निदेशक मंडल हांगकांग मौद्रिक प्राधिकारी, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी, वित्तीय पर्यवेक्षी सेवाएँ, कोरिया, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक, चीन बैंकिंग रेग्यूलेटरी कमीशन, बैंक नेगारा, मलेशिया, बैंक ऑफ थाइलैंड और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम और सेन्ट्रल बैंक ऑफ यूएई के प्रति भी उनके सहयोग के लिए आभारी है।

निदेशकगण बहुत खुश हैं कि कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण औद्योगिक संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हैं। निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के प्रति उनके योगदान के लिए सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

चेन्नै
29 अप्रैल 2010

एस. ए. भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, Management Discussion & Analysis Report, Report on Corporate Governance as well as Certificate by the auditors regarding compliance of the conditions of Corporate Governance, form part of this Annual Report.

Board of Directors

Shri G. Narayanan, Executive Director, demitted office on October 31, 2009. Smt. Nupur Mitra assumed charge as one more Executive Director on December 7, 2009 . Shri M. Ravindra Vikram, Director under section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 - Chartered Accountant Category, demitted office as director on October 10, 2009 on completion of his tenure of three years.

The Government of India nominated Shri Sooraj Khatri as a part-time non-official Director for a second term of three years with effect from October 26, 2009.

Shri J. D. Sharma, presently President of the Indian Overseas Bank Officers' Association (IOBOA) demitted office as Officer Employee Director on November 30, 2009 . The Government of India nominated Shri K. Ananda Kumar, presently General Secretary of IOBOA, as Officer Employee Director for a period of three years with effect from March 26, 2010.

The Board of Directors place on record the valuable contributions made by the erstwhile Directors and extend a warm welcome to the new Directors.

Acknowledgements

The Board of Directors place on record their gratitude to the valued customers, shareholders, other stakeholders and correspondents of the Bank in India and abroad, for their goodwill, patronage and support.

The Board of Directors acknowledge with gratitude the valuable guidance and cooperation received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Stock Exchanges, various State Governments and Financial Institutions. The Board is also thankful to the Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, Financial Supervisory Services - Korea, Central Bank of Sri Lanka, China Banking Regulatory Commission, Bank Negara - Malaysia, Bank of Thailand, State Bank of Vietnam and Central Bank of UAE for their support.

Industrial relations in the Bank have been cordial due to the positive attitude of the Employees' Union and Officers' Association. The Board of Directors expresses their appreciation of the contribution made by the members of the staff.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
April 29, 2010

S. A. BHAT
Chairman and Managing Director

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

आर्थिक परिवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2009-10 के दौरान 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई। खराब मानसून का प्रभाव कृषि पर पड़ा। परंतु रबी की फसलों में अच्छे उत्पादन से इस प्रभाव से उबरा जा सका। वर्ष के प्रथम 9 महीनों में उद्योग की वृद्धि 8.6% रही। आयात व निर्यात के क्षेत्र में उसी अवधि में वैश्विक संकट के कारण आई मंदी से अच्छी उगाही के संकेत हैं।

बैंकिंग परिवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वर्षिक नीति में रेपो दर में एल ए एफ के अधीन 5.0 % से 4.75% यानी 25 बेसिस प्वाइंट की कमी घोषणा की। रिवर्स रेपो दर में भी 3.5% से 3.25% यानी 25 बेसिस प्वाइंट की कमी की घोषणा की गई। नवंबर 7 ,2009 के पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक ने एस एल आर को 25 % यानी संकट पूर्व स्तर पर रखने की घोषणा की। फरवरी 2010 में सी आर आर को दो चरणों मे 5.0% से 5.75 % तक बढ़ाया गया। मुद्रा स्फीति से निपटाने के उपाय के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2010 को रेपो रेट 4.75%से 5.0 % और रिवर्स रेपो दर को 3.25% से बढ़ाकर 3.50% कर दिया।

वर्ष की दूसरी छमाहीं के दौरान आसान मौद्रिक नीति से कठिन मौद्रिक नीति में आने का दौर रहा और 2010-11 के दौरान भी इसके बने रहने की संभावना है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वार्षिक नीति 2010-11 में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को और 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर क्रमश: 5.25% और 3.75% करने की घोषणा की। सी आर आर को भी 25 बेसिस प्वाईट बढ़ाकर 6.0% कर दिया गया।

बैंक के परिचालन

जमा राशियाँ

बैंक की घरेलू जमाएं 10.48% की वृद्धि दर से मार्च 2009 के रु. 95,434 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 में रु.1,05,434 करोड़ हो गई। उच्च लागत सावधि जमाओं के प्रति सचेत रहने के कारण बैंक की कोर जमा में मार्च 2009 से 24.89% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

उधार

वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण प्रतिकूल बाजार स्थितियों के बावजूद बैंक की सकल घरेलू जमाएं मार्च 2009 के रु. 68,480 करोड़ से बढ़कर मार्च 2010 में रु. 73,026 करोड़ हो गई।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्धियों की गणना मार्च 2009 को आधार मानकर समायोजित लेखा परीक्षित निवल बैंक उधार (एएनबीसी) को लेकर की जाती है। मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार की प्रतिशतता और समायोजित निवल उधार का अनुपात 40.59% रही। प्रमात्रा रु.27,237 रही। अत: बैंक ने प्राथमिकता सेवा उधार के निर्दिष्ट लक्ष्य 40% को पूरा किया।

लघु मध्यम उद्यम

मार्च 2010 के अंत तक बैंक ने एस एम ई क्षेत्र में रु. 11,660 करोड़

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Environment

Indian economy recorded 7.2% growth during 2009-10. Agriculture was impacted by the poor monsoon but the impact could be muted by better performance in the Rabi season. Industrial growth in the first nine months of the financial year was 8.6%. During the same period, exports and imports showed signs of recovery from the slowdown caused by the global crisis.

Banking Environment

The Reserve Bank of India, in its Annual Policy, reduced Repo Rate under the LAF by 25 basis points from 5.0% to 4.75%. Reverse Repo Rate was also brought down by 25 basis points from 3.5% to 3.25%. From the fortnight beginning November 7, 2009, the RBI raised SLR to the pre-crisis level of 25%. CRR was increased from 5.0% to 5.75% in two stages in February 2010. As an anti-inflation measure, the RBI hiked the repo rate from 4.75% to 5.0% and reverse repo from 3.25% to 3.50% on March 19, 2010.

The year traversed from easy money policy to tight –policy regime in the second half of the year and it is likely to continue in 2010-11 as could be inferred from the Annual Policy 2010-11 wherein the RBI has raised Repo Rate and Reverse Repo Rate by further 25 basis points to 5.25% and 3.75% respectively. CRR was also hiked by 25 basis points to 6.0%.

THE BANK'S OPERATIONS

Deposits

Aggregate domestic deposits of the Bank increased from Rs.95,434 crore in March 2009 to Rs.1,05,434 crore in March 2010 at a growth rate of 10.48%. Domestic core deposits of the Bank registered a significant growth of 24.89% over March 2009 due to conscious shedding of high cost term deposits.

Credit

Domestic Gross advances rose from the level of Rs.68,480 crore in March 2009 to Rs.73,026 crore in March 2010 despite adverse market condition on account of global economic slow down.

Priority Sector Credit

As per the guidelines of RBI, achievement under Priority Sector for the year 2009-2010 is computed taking the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) of March 2009 as the base. For the year ended March 2010, the percentage of Priority Sector advances to Adjusted Net Bank Credit was at 40.59 %, the quantum being Rs. 27,237 crore. Thus the Bank fulfilled the stipulated norm of 40% under Priority Sector credit.

SME

The Bank extended credit of Rs.11,660 crore to SME Sector as at the end of March 2010. This includes advances to Micro and Small enterprises to the tune of Rs.9,659 crore which forms part of Priority Sector

का ऋण वितरित किया। इसमें सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिया गया रु. 9,659 करोड़ का ऋण भी शामिल है जो प्राथमिकता उधार का हिस्सा है। बैंक ने 20% के अनिवार्य आवश्यकताओं को पार करते हुए 24.10% का अग्रिम एस एम ई क्षेत्र में दिया।

तमिल नाडु में सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के बेहतर निष्पादन के लिए बैंक को मुख्य मंत्री की ट्राफी प्राप्त हुई। तमिल नाडु राज्य में पी एम ई जी पी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंक सभी बैंकों में दूसरे स्थान पर रहा। 2009-10 के दौरान बैंक ने तमिल नाडु राज्य में 700 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जिसके कारण तकरीबन 9,900 रोजगारों का सृजन हुआ।

संभाव्य रूप से सक्षम रुग्ण एस एम ई इकाइयों के तीव्र पुनरुज्जीवन के लिए, एस एम ई क्षेत्र के लिए नर्सिंग और पुनर्वास नीति बनाई गई और कार्यान्वित की गई। यह नीति अधिक उदार है और सक्षम इकाइयों को परिचालित करने के लिए नीति के तहत विभिन्न रियायतें उपलब्ध हैं। सूक्ष्म व लघु उद्यमों, जो मध्यम व बड़े उद्यमों की तुलना मे अधिक असुविधा का सामना करते हैं, को निर्बाध और झंझट मुक्त ऋण प्रवाह सुलभ बनाने के लिए, एम एस ई क्षेत्र के लिए पृथक ऋण नीति बनाई और लागू की गई। नीति का जोर एमएसई को ऋणों का पर्याप्त और समय से मंजूरी देने पर है। इसके अलावा इसमें सभी पात्र मामलों के लिए रु. 1 करोड़ तक के संपार्श्विक रहित ऋणों की मंजूरी पर भी जोर दिया गया है।

वर्ष 2009-10 के दौरान भी बैंक ने एस एम ई क्षेत्र के लिए क्रेडिट पैकेज के कार्यान्वयन को जारी रखा। घटी हुई ब्याज दर को शामिल करते हुए विभिन्न रियायतें जारी रखी गई। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर एस एम ई सुविधा केन्द्र बनाए गए। वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में एस एम ई उधार खातों की पुनर्संरचना की गई।

एम एस एम ई को दिए गए सभी उधार न्यूनतम ब्याज दर क्लाज से मुक्त रखा गया ताकि बैंक के बी पी एल आर घटने पर वे ब्याज दर में कमी का लाभ पा सकें।

आटो रिक्शा और कमर्शियल तिपहिया वाहन के लिए बिना संपार्श्विक प्रतिभूति / तृतीय पक्ष गारंटी के तेजी से वित्तपोषण करने के लिए बैंक ने बजाज आटो लिमिटेड से अप्रैल 9, 2009 को और टी वी एस मोटर्स कंपनी लिमिटेड से दिनांक 3 जून , 2009 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। वर्ष 2009-10 के दौरान इस गठजोड़ व्यवस्था के अन्तर्गत 3500 से अधिक ऋण मंजूर किए गए । इस कारण सूक्ष्म उद्यम क्षेत्रों में परिवहन को ऋणों का प्रवाह बढ़ा। बैंक ने दिनांक 5 नवंबर, 2009 को एशिया मोटर वर्क्स लिमिटेड से ट्रक और व्यावसायिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए और दिनांक 22 मार्च 2010 को टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ आसान शर्तों और निबंधनों पर व्यावसायिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

कृषि

कृषि ऋणों में मार्च 2009 के रु. 10,817 करोड़ में रु. 1,780 करोड़ की बढ़त दर्ज की गई और यह रु. 12,597 करोड़ पर पहुँच गया। बैंक का कृषि अग्रिम और समायोजित निवल बैंक उधार का अनुपात 18.77% रहा जो 18%के अपेक्षित मानदण्ड से अधिक है।

बैंक ने विशेष कृषि उधार योजना (एस ए सी पी) के तहत रु. 12,780

Credit. The Bank increased its advance to SME Sector by 24.10% surpassing the mandatory requirement of 20%.

The Bank was awarded Chief Minister's trophy for good performance in lending to Micro Enterprises in Tamil Nadu. The Bank was in second position among all banks in implementation of PMEGP Programme in Tamil Nadu State. The Bank sanctioned more than 700 projects in the state of Tamil Nadu during 2009-10, which resulted in creation of over 9,900 jobs.

To help speedy revival of potentially viable sick SME units, Nursing and Rehabilitation Policy for SME Sector was formulated and implemented. The policy is more liberal and various concessions are available under the policy for viable units for restarting their operations. To facilitate smooth and hassle free flow of credit to Micro and Small Enterprises, who face many disadvantages as compared to Medium and Large Enterprises, Separate Loan Policy for MSE Sector was formulated and implemented. The policy emphasises sanction of timely and adequate amount of credit to MSEs. Thrust is given to sanction collateral-free loans up to Rs.1 Crore, in all eligible cases.

The Bank continued the implementation of relief package for SME sector during 2009-10 also. Various concessions including reduced rates of interest were continued. SME Facilitation centres were activated at all Regional Offices. Large number of SME borrowal accounts was restructured during the year.

All lending to MSME were exempted from Minimum Interest Rate clause to enable them to get the benefit of interest rate reduction whenever bank's BPLR is reduced.

The Bank signed MOU with Bajaj Auto Ltd., on April 9, 2009 and TVS Motor Company Limited, on June 3, 2009 for financing auto rickshaws and commercial three wheelers in a speedy manner, without requirement of collateral security/third party guarantee. More than 3,500 loans were sanctioned under this tie-up arrangements during 2009-10, enhancing flow of credit to transport operators in Micro Enterprises Sector. On November 5, 2009, the Bank signed MoU with Asia Motor Works Ltd., for financing trucks and commercial transport vehicles and on March 22, 2010 with TATA Motors Limited for financing commercial transport vehicles on easy terms and conditions.

Agriculture

Agricultural credit registered a growth of Rs. 1,780 crore from Rs.10,817 crore in March 2009 and reached Rs. 12,597 crore in March 2010. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 18.77% exceeding the required norm of 18%.

The Bank disbursed Rs. 13,327 crore under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of Rs. 12,780 crore during the year. The increase in

करोड़ के लक्ष्य के प्रति रु. 13,327 करोड़ का संवितरण किया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशेष फार्म उधार पैकेज के तहत 30% के प्रति कृषि क्षेत्र के लिए संवितरित ऋण 30.35% रहा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के सी सी)

वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 2,03,757 के सी सी जारी किया। मार्च 2010 को बैंक द्वारा जारी कुल कार्ड की संख्या 19,19,155 रही।

सूक्ष्म वित्तपोषण

वर्ष के दौरान बैंक ने रु.706.92 करोड़ के क्रेडिट आउट ले के साथ 68,112 स्वयं सहयता दलों का संयोजन किया। मार्च 2010 की समाप्ति तक बैंक द्वारा उधार प्रदत्त स्वयं सहायता दलों की कुल संख्या मार्च 2009 तक के 292507 से (वितरित रकम रु. 2162.68 करोड़) से बढ़कर 360619 (वितरित रकम रु. 2869.60 करोड़) हो गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने नाबार्ड के सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी निधि के लिए रु. 1.16 करोड़ का योगदान किया है।

जनश्री बीमा योजना (जे बी वाई)

जे बी वाई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो गाँवों व शहरों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे गरीबों के लिए जीवन बीमा उपलब्ध कराता है। बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शामिल करने के लिए योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने इस योजना के तहत 3,854 स्वयं सहायता समूहों के 42,791 महिला सदस्यों को बीमा दिलाया है।

महिलाओं को ऋण प्रवाह

31 मार्च 2010 तक महिलाओं को दी गई बैंक की उधार राशि रु. 3,529.69 करोड़ हो गई, जो 5 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड की तुलना में बैंक के समायोजित निवल उधार का 5.26 प्रतिशत रहा है।

अग्रणी बैंक योजना

तमिल नाडु के बारह जिलों और केरल के एक जिले में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक पर है। बैंक तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक भी है। वर्ष के दौरान तमिल नाडु के संयोजक के रूप में बैंक ने तीन एस एल बी सी बैठकों और एक राज्य स्तरीय एस एल बी सी की बैठक का आयोजन किया। इसके अलावा बैंक ने एम एस एम ई , आटो और आवास क्षेत्र के लिए विशेष एस एल बी सी बैठकों का आयोजन किया। तिरुपुर के रंगरेज के संघ को राहत पैकेज , हाथ से मैला ढोने वालों (एस आर एम एस) के पुनर्वास योजना, पंचायत स्तरीय संघों को उधार से जोड़ने के लिए विशेष बैंकर बैठक का आयोजन किया गया। सदस्य बैंक से और तमिल नाडु राज्य सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने उपर्युक्त बैठकों में भाग लिया।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक सदैव मूल्यवान सामाजिक हितों और प्रयासों को समर्थन देता रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने माननीय मुख्य मंत्री राहत कोष में दो राज्यों आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए प्रत्येक

disbursement of credit to agricultural sector over the last year's disbursement was 30.35%, as against 30% mandated by the Govt. of India under Special Farm Credit Package.

Kisan Credit Card Scheme(KCC)

The Bank issued 2,03,757 KCCs during the year. The total number of cards cumulatively issued by the Bank as at the end of March 2010 stood at 19,19,155.

Micro Finance

During the year, the Bank credit-linked 68,112 Self Help Groups (SHGs)with a credit outlay of Rs.706.92 crore. The cumulative number of SHGs credit-linked by the Bank increased from 2,92,507 (amount disbursed Rs.2,162.68 crore) as at the end of March 2009 to 3,60,619 SHGs (amount disbursed Rs.2,869.60 crore) as of March 2010.

During the year, the Bank contributed Rs.1.16 crore towards NABARD's Micro Finance Development & Equity Fund.

Janashree Bima Yojana (JBY)

JBY is a Social Security Scheme to provide life insurance cover to the rural and urban poor living below the poverty line. The Bank, in association with LIC of India, launched the scheme to cover women Self Help Group members. During 2009-10, the Bank covered 42,791 women members belonging to 3,854 SHGs under the scheme.

Credit flow to Women

As on March 31, 2010, Bank's credit to women amounted to Rs.3,529.69 crore constituting 5.26% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit, as against the norm of 5%.

Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in twelve districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Banker's Committee of Tamil Nadu. During the year under review, as Convenor of State Level Bankers Committee, Tamil Nadu, the Bank conducted three SLBC Meetings and one State Level Review Meeting. In addition, the Bank convened Special SLBC Meetings on Special Package for MSME, Auto & Housing Sectors. Special Bankers' Meeting was convened on Credit Linking of Panchayat Level Federations, Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) and on the Relief Package for Tiruppur Dyers' Association. Senior level officials from member Banks and Government of Tamil Nadu participated in the above meetings.

Corporate Social Responsibility

The Bank has, always, supported worthy social causes and endeavours. During the year, the Bank contributed Rs. one crore each to two states, viz., Andhra Pradesh and Karnataka, towards the respective Chief Minister's Relief Funds to give relief to the flood affected people

राज्य को एक एक करोड़ का योगदान दिया। इसके अलावा बैंक ने बड़े पैमाने पर समाजसेवी संस्थाओं को भी दान दिया।

शक्ति इण्डियन ओवरसीज बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट

श्री एम सी टी एम चिदंबरम चेट्टियार - बैंक के संस्थापक के स्मरण में बैंक के प्रबंधन , इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय ओवरसीज बैंक कर्मचारी संघ द्वारा ट्रस्ट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई जो महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने हेतु उनकी व्यावहारिक कुशलता में सुधार करने हेतु उन्हें उद्यमी विकास प्रशिक्षण दे रहा है।

ट्रस्ट ने विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न केन्द्रों पर 44 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई डी पी) आयोजित किए हैं, जिसमें 1601 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इन महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए कुछ शाखाओं में "आइ ओ बी शक्ति बाजार" आयोजित किए गए।

आइ ओ बी सम्पूर्ण परियोजना - संपूर्ण ग्राम विकास परियोजना

बैंक ने पूर्ण ग्रामीण विकास के उद्देश्य से तमिल नाडु के तिरुवल्लूर जिले के कुत्तम्बाकम एवं पडूर ग्राम में, नागपट्टिणम जिले के कामेश्वरम ग्राम में तथा कोयम्बत्तूर जिले के दालियूर ग्राम में आइ ओ बी संपूर्ण नामक ग्रामीण विकास परियोजना प्रारंभ की। आइओबी-संपूर्ण एक विशिष्ट परियोजना है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु गाँवों में अनेक जीविकाओं के लिए शुरुआती प्रयासों को शामिल किया गया है।

इसमें उधार तथा गैर उधार संघटक जैसे वित्तीय समावेशन, कारोबार करेस्पांडेन्ट मॉडल के तहत बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सहित आइ टी आधारित बैंकिंग परिचालन, वृक्षारोपण तथा सामाजिक वनरोपण, जलाशयों की सफाई, हेल्थ केयर, कंप्यूटर और बीपी ओ में युवकों के कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण कारोबारी संसाधन आउटसोर्सिंग, गैर पारंपरिक उर्जा संवर्धन एवं ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर एस ई टी आई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने किसानों , एस एच जी के सदस्यों , एस जी एस वाई के तहत लाभभोगियों , शिक्षित बेरोजगार युवकों , कारीगरों और गरीब वर्ग के लाभभोगियों को प्रशिक्षण देने के लिए तिरुअनंतपुरम (केरल राज्य) , तिरुनेलवेलि , तंजाऊर और तिरुच्चि (तमिल नाडु राज्य) में आर एस ई टी आइ की स्थापना की है।

बैंक द्वारा (नाबार्ड तथा इण्डियन बैंक के साथ संयुक्त रूप से) कारैकुड़ी (शिवगंगा जिला, तमिलनाडु) में एक ग्रामीण केन्द्र की स्थापना की गई थी। इन जिलों में बैंक अग्रणी बैंक का दायित्व निभा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 142 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कुल 3,322 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

वित्तीय साक्षरता और उधार काउंसिलिंग केन्द्र (एफ एल सी सी सी) जैसे स्नेहा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आम जनता में वित्तीय शिक्षा और जागरूकता लाने के उद्देश्य से बैंक ने नागरकोविल और तिरुच्चि मे दो एफ एल सी सी सी की स्थापना की। इन केन्द्रों मे ग्रामीण और शहरी लोगों को

in these two states. Apart from these, the Bank also made donations to other organizations serving the community at large.

Sakthi Indian Overseas Bank Chidambaram Chettiar Memorial Trust

The Trust, set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers' Association and All India Overseas Bank Employees' Union, to perpetuate the memory of Bank's Founder Shri M.Ct.M. Chidambaram Chettiar, continued to provide entrepreneurial development training to women thereby empowering them socially and financially.

The Trust has so far conducted 44 Entrepreneurial Development Programmes (EDPs) exclusively for women at various centres, benefiting 1,601 women. For the women entrepreneurs and Self Help Groups, 'IOB Sakthi Bazaars' were organized at many branches, for exhibition cum sale of their products.

IOB-Sampoorna Project – A Total Village Development Project

The Bank launched an innovative rural development project aiming at Total Village Development called IOB-Sampoorna in Kuthambakkam and Padur Villages in Tiruvallur District, Kameshwaram village in Nagapattinam District, Dhaliyur Village in Coimbatore District and Innambur village in Thanjavur District of Tamil Nadu. IOB-Sampoorna is an unique Project encompassing several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population.

It comprises credit and non-credit components such as Financial Inclusion, I.T. enabled banking operations with Bio-metric Smart Cards under Business Correspondent model, Tree Planting and Social Forestry, Cleaning Water Bodies, Health Care, Skill Training for youth in computer, Rural Business Process Outsourcing, Promotion of non-conventional energy and Rural Tourism.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, Bank had set up RSETIs at Thiruvananthapuram (Kerala State), Tirunelveli, Thanjavur and Trichy (Tamilnadu State) to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated Unemployed Youths, Artisans and Beneficiaries belonging to weaker sections.

One Rural Training Centre was set up by the Bank (jointly with NABARD and Indian Bank) at Karaikudi (Sivaganga District, Tamil Nadu). The Bank has Lead Bank responsibility in these Districts. During the year under review, through these Training Institutes, the Bank conducted 142 training programmes benefiting 3,322 trainees.

Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCC) viz., SNEHA

With a view to promoting financial education and awareness among general public the Bank set up two FLCCCs at Nagercoil and Trichy during the year

विभिन्न वित्तीय उत्पादों/ औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से जाकर वित्तीय काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी और कर्जदारों को कर्ज काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी।

वित्तीय समावेशन

पूर्व में बैंकिंग की व्यवस्था से न जुड़े लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु बैंक ने 2,06,162 नो फ्रिल बचत बैंक खाते खोले और साधारण प्रयोजन हेत 16,930 क्रेडिट कार्ड वितरित किए।

लोगों तक बैंक की सुविधाएं पहुँचाने के लिए बैंक ने 6 राज्यों व एक संघ शासित प्रदेश में कुल 33 शाखाओं (18 क्षेत्रीय कार्यालयों) में स्मार्ट कार्ड बैंकिंग प्रारंभ किया। ग्रामीण लोग बायो मेट्रिक कार्ड का प्रयोग करके हस्तचालित डिवाइस से गाँव में ही बैंकिंग कारोबार का लेन देन कर सकते हैं। करेसपांडेंट द्वारा ग्राहकों के घर पर ही सेवाओं की सुपुर्दगी की जाती है। स्थानीय भाषा में प्रयुक्त ये डिवाइसेस अशिक्षितों के लिए यूजर फ्रेंडली है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 3,504 बायोमेट्रिक कार्ड जारी किए गए।

कृषि उधार माफी और ऋण राहत योजना 2008

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री की कृषि माफी और ऋण राहत योजना 2008 के तहत बैंक ने 3.07 लाख छोटे व सीमांत कृषकों के रु. 580.89 करोड़ के साथ-साथ 68,000 अन्य पात्र कृषकों को रु. 133.00 करोड़ की ऋण माफी के लिए पहचाना है जो कुल मिलाकर क्रमश: 3.75 लाख कृषक व रु. 713.89 करोड़ थी।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से माफी दावा रकम के रूप में रु.371.98 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त की। अन्य 68,000 कृषकों (ओएफ) में से 46,000 अन्य कृषकों ने अपने हिस्से का भुगतान किया और बैंक ने प्रारंभिक रूप में रु. 83.16 करोड़ का दावा किया। अन्य कृषकों के हिस्से के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30.06.2010 कर दी गई है।

जोखिम प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंक उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत अपेक्षाओं के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

आगे, बैंक बेसल-II फ्रेमवर्क के तहत उल्लिखित अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली उन्नत करने एवं अपनी कार्यप्रणालियों को उन्नत स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया में है।

under review. These centres will educate the people in rural and urban areas with regard to various financial products / services available from formal financial sector, provide face-to-face financial counselling services and offer debt counselling to indebted individuals.

Financial Inclusion

In order to bring hitherto excluded people under banking fold during the year under review, Bank has opened 2,06,162 No-frills SB accounts and granted 16,930 General Purpose Credit Cards.

To increase the outreach of banking services the Bank introduced Smart Card Banking in 33 Branches (18 Regions) across 6 States and one Union Territory. Rural people can transact banking business at the village itself with the use of bio-metric smart cards through Hand Held Devices. Business Correspondents deliver the services at the door step of the customers. The devices are voice - enabled in vernacular language and user friendly for illiterates. 3,504 biometric smart cards were issued during the year under review.

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008 was announced by the Hon'ble Union Finance Minister, Govt. of India. Under the scheme, the Bank has identified 3.07 lac Small and Marginal Farmers eligible for waiver to the tune of Rs.580.89 crores and 68,000 other farmers eligible for Relief of Rs.133.00 crores totaling 3.75 lac farmers and Rs.713.89 crores respectively.

Bank received an amount of Rs.371.98 crores from Reserve Bank of India , as the reimbursement of waiver claim amount. Out of 68,000 Other Farmers (OF) 46,000 other farmers, paid their share and Bank has made a preliminary claim of Rs.83.16 crore. The last date for payment of other farmers share is extended upto June 30,2010.

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India's instructions to all commercial banks, the Bank is adopting Standardised Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator Approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and the Standardised Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for market risks. The Bank is in compliance with the regulatory requirement in this regard.

Further, the Bank is in the process of upgrading its risk management systems and practices for migrating to the advanced approaches envisaged under the Basel-II Framework.

अनुपालन कार्य

तिमाही आधार पर गैर-अनुपालन के संकेन्द्रण के निर्धारण द्वारा अनुपालन जोखिम तक पहुँचने के लिए शाखाओं में अनुपालन के स्तर के सत्यापन की प्रणाली को एक तंत्र की तरह उपयोग किया जाता है। शाखा का एक अधिकारी दूसरी शाखा में मूल मामले, जो "उच्च" एवं "मध्यम" जोखिम के तहत आते हैं, के अनुपालन स्तर की तिमाही आधार पर जाँच करेगा। शाखाओं में कुल अनुपालन जोखिम, जो 31 दिसम्बर, 2008 को 4.69% था, दिनांक 31-12-2009 को घटकर 3.95% हो गया। विदेशी शाखाओं एवं प्रतिनिधि कार्यालयों के लिए शुरू की गयी स्व-निर्धारण प्रक्रिया भी विनियामक अनुपालन चेक लिस्ट के लिए एक प्रभावी तंत्र की तरह काम करता है। मुद्रा तिजोरी, केन्द्रीय समाशोधन गृह एवं डिपॉज़िटरी सेवा शाखा के लिए शुरू की गयी अनुपालन एवंनिर्धारण प्रक्रिया से इन कार्यालयों में अनुपालन के स्तर में सुधार हुआ है।

वसूली प्रबंधन

1) जानकारी बाँटना, 2) अभिप्रेरण / सहयोग, 3) नई और नवोन्मेषी योजनाओं के जरिए अधिकार सौंपने और प्रगति का प्रबोधन करने जैसे कई सक्रिय उपाय शुरू किए। इन उपायों से परिचालनात्मक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं एनपीए प्रबंधन के तहत काफी सुधार हुआ। इन उपायों में सम्मिलित हैं -

क. सभी पात्र मामलों में सरफासी के तहत 100% कार्रवाई पर जोर।

ख. खातों को अद्यतन करने के लिए "नियत रकम" की वसूली पर जोर।

ग. छोटे मूल्य के खातों (ओटीएस-एसवीए) के लिए एक बारगी निपटान योजना की शुरूआत, जिसने शाखा प्रमुखों को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान की है। यह योजना दिनांक 19-10-2009 से 31-03-2010 तक लागू थी।

घ. दिनांक 01-02-2010 से 31-07-2010 तक स्टाफ के लिए वसूली प्रतियोगिता की शुरूआत, जिसमें सफल निष्पादकों को नकद प्रोत्साहन के भुगतान का प्रावधान था।

वर्ष के दौरान बैंक ने रु.787 करोड़ की वसूली की जिसमें बट्टे खाते में डाले गए खाते भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान रु.435 करोड़ के अनर्जक खातों का भी उन्नयन किया गया।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत याचिकाओं का निपटारा

वर्ष 2009-10 के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी माँगते हुए बैंक को 1,421 याचिकाएँ प्राप्त हुई। सभी अनुरोधों का जवाब निर्धारित समय सीमा अर्थातरु.30 दिनों के भीतर दिया गया। पात्र याचिकाओं (85%) पर सकारात्मक जवाब दिया गया और शेष आवेदन मांगे गए विवरण के लिए अपात्र पाए गए।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 122 प्रथम अपील प्राप्त किए गए, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। इन अपीलों का निपटान अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष 19 अपील याचिकाओं को द्वितीय अपील के रूप में रखा गया। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग

Compliance Function

In order to arrive at the Compliance Risk by ascertaining the concentration of non-compliance, the system of verification of level of compliance in branches is used as a tool. An official of a branch would verify the level of compliance in core issues in another branch which are of "High" and "Medium" risk on quarterly basis. The overall Compliance Risk in branches, which was at 4.69 % as on December 31, 2008 has been brought down to 3.95 % as on December 31, 2009. The Self Assessment procedure introduced for overseas branches and Representative Offices also serves as an effective tool for Regulatory Compliance Check List. The compliance self assessment procedure introduced for Currency Chests, Central Clearing Offices and Depository Service branch has improved the level of compliance in these offices.

Recovery Management

Many pro-active efforts were initiated such as 1) dissemination of information 2) motivation/support 3) empowerment through new and innovative schemes and 4) monitoring of progress. These measures infused positive outlook at the operational level and there was a perceptible improvement under NPA Management. The measures include

a) Emphasis on 100% action under SARFAESI in all eligible cases

b) Emphasis on recovery of "critical amount" towards upgrading the accounts

c) Launching of One Time Settlement Scheme for Small Value Accounts (OTS-SVA), which delegated Discretionary powers to Branch Heads. The Scheme was in force from 19.10.2009 to 31.03.2010.

d) Launching of recovery contest to staff from 01.02.2010 to 31.07.2010, which provided payment of Cash incentive to successful performers.

During the year, the Bank made substantial recovery of Rs.787 crore including recovery from written-off accounts. NPAs to the extent of Rs. 435 crore were also upgraded during the year.

Disposal of petitions received under RTI Act

The Bank received 1,421 petitions seeking information under RTI Act during the year 2009-10. All the requests were duly replied within the specified period of 30 days. Eligible petitions (85%) were positively replied and the balance applications were found ineligible for the requested details.

First Appellate Authority received 122 first appeals, which were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer. These appeals were duly disposed as per the due provisions of the Act.

19 Appeal petitions were escalated as Second Appeal before the Hon'ble Central Information Commission. All 19 Appeals were disposed by the

के द्वारा सभी 19 अपीलों का निपटारा किया गया। आज की तारीख तक की सभी 54 द्वितीय अपीलों पर बैंक को अनुकूल निर्णय प्राप्त हुए।

औद्योगिक पुनर्वास

31 मार्च 2010 तक बीआईएफआर / एएआईएफआर के तहत 27 मामले थे जिसमें रु.153.36 करोड़ के उधार थे। इनमें से कुल रु.74.78 करोड़ के 7 खाते मानक एवं अर्जक थे। अनर्जक खातों में से 6 मामलों में रु.4.53 करोड़ की वसूली की गयी एवं बीआईएफआर संदर्भ के तहत रु.3.23 करोड़ के जोखिम वाले एक मानक खाते को बंद कर दिया गया। वर्ष के दौरान, रु.11.38 करोड़ के 3 खाते को एसआईसीए के दायरे से बाहर निकाला गया, दो खातों को सरफासी कार्रवाई के द्वारा एवं एक खाता को बीआईएफआर के द्वारा निर्गत आदेश के जरिए बन्द किया गया।

कॉर्पोरेट ऋण पुन: संरचना

31-03-2010 तक सीडीआर तंत्र के तहत पुन: संरचित उधार खातों की संख्या 12 थी एवं कुल बकाया रु.335.60 करोड़ (31-03-2009 तक रु.176.05 करोड़ बकाया के 9 मामले) था, जिसमें रु.285.66 करोड़ के 10 खाते मानक श्रेणी एवं रु.49.94 करोड़ के 2 खाते अवमानक श्रेणी के हैं। वर्ष के दौरान रु.173.88 करोड़ के कुल उधार सहित 3 नए मानक खाते सीडीआर प्रणाली में शामिल हुए। अवमानक खातों की वसूली हेतु प्रयास जारी है।

निवेश

वर्ष 2009-10 के दौरान निवेश में वृद्धि प्रस्तुत: सांविधिक तरलता अपेक्षाओं में वृद्धि के कारण की जो कि, प्रमुखत: बैंक की जमाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप थी। पिछले वर्ष की तुलना में 20.65% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31-03-2009 तक रु.30,497.19 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31-03-2010 तक सकल घरेलू निवेश रू. 36795.09 करोड रही। वर्ष के दौरान एसएलआर प्रतिभूति में रु.5,516.11 करोड़ या 20.67% की वृद्धि दर्ज की गयी जब कि गैर-एसएलआर निवेश में रु.709.21 करोड़ या 18.62% की वृद्धि हुई।

वर्ष 2009-2010 के दौरान, रु.1,001.46 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) से परिपाक में रखी (एचटीएम) सेगमेंट में अंतरित की गई रु.2,216.70 करोड़ को परिपाक में रखी (एचटीएम) से बिक्री के लिए उपलब्ध में (एएफएस) में अंतरित की गयी। 31-03-2010 तक, एचटीएम में धारित एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 25% सीमा के प्रति 31-03-2009 तक 22.62% की तुलना में 22.39% रही।

बाजार अस्थिर था और बैंक ने पूरे वर्ष में नियत आय प्रतिभूतियों और ईक्विटी शेयरों में अपना व्यापार बनाए रखा। वर्ष 2008-09 के दौरान रु.83,581 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009-10 में द्वितीयक बाजार में कारोबार किए गए शेयरों कुल पण्यावर्त (बही मूल्य) रु.65,790 करोड़ रहा। वर्ष 2009-10 में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त कुल लाभ रु.291.86 करोड़ था जब कि वर्ष 2008-09 में यह 636.83 करोड़ था। कुल निवेशों पर प्रतिलाभ (प्रतिभूतियों व परिशोधन की बिक्री पर लाभ को छोड़कर) वर्ष 2008-09 के 7.37% की तुलना में वर्ष 2009-10 में घटकर 6.85% हो गया।

Hon'ble CIC. Bank had maintained favourable decisions in all the 54 Second Appeals decided till date.

Industrial Rehabilitation

Number of cases under BIFR/AAIFR as at March 31, 2010 were 27 with an exposure of Rs. 153.36 crore. Of this 7 accounts for Rs. 74.78 crore were standard and performing. Out of NPA accounts, recovery in 6 cases amounting to Rs. 4.53 crore was made and one standard account under BIFR reference with an exposure of Rs. 3.23 crore was also closed. During the year, 3 accounts with an aggregate exposure of Rs. 11.38 crore were brought out of SICA purview, two accounts through SARFAESI action and one account by winding up order passed by BIFR.

Corporate Debt Restructuring

As on March 31, 2010, the number of restructured borrowal accounts under CDR mechanism was 12 and the total outstanding was Rs. 335.60 crore (9 cases with an outstanding of Rs. 176.05 crore outstanding as on 31.3. 2009) of which 10 accounts for Rs. 285.66 crore are under standard category and 2 accounts for Rs. 49.94 crore are sub-standard. During the year, 3 new standard accounts entered CDR mechanism with total exposure of Rs. 173.88 crore . Efforts are on for recovery of sub-standard accounts.

Investments

The growth in investments during the year 2009-10 was mainly driven by the increase in Statutory Liquidity requirements resulting mainly out of Deposit growth of the bank. Gross Domestic Investments as of March 31, 2010 stood at Rs. 36,795.09 crore as against Rs. 30,497.19 crore as on 31.03.2009 registering a growth of 20.65% over the previous year. Investments in SLR securities registered a growth of Rs.5,516.11 crore or 20.67% during the year while Non SLR Investments increased by Rs.709.21 crore or 18.62%.

During the year 2009-10, securities for Rs.1,001.46 crore were transferred from Available for Sale (AFS) to Held to Maturity (HTM) segment, Rs.2,216.70 crore from Held to Maturity (HTM) to Available for Sale (AFS). As on 31.03.2010, the SLR securities held in HTM stood at 22.39% of DTL against the limit of 25% prescribed by Reserve Bank of India, compared to 22.62% as on 31.03.2009.

The market was volatile and the Bank continued to trade both in Fixed Income Securities and Equities throughout the year. Total turnover (Book Value) in the secondary market reached Rs.65,790 crore during the year 2009-10 as against Rs.83,581 crore during the year 2008-09. Total profit on sale of securities amounted to Rs. 291.86 crore during the year 2009-10 as against Rs. 636.83 crores during the year 2008-09. Return on total investments (excluding Profit on Sale of Securities & including amortisation) decreased from 7.37% in 2008-09 to 6.85% in 2009-10.

बैंक ने रुपया बाजार दर स्वैप में व्यापार शुरू किया और 31-03-2010 को बकाया रु.25 करोड़ था। वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने अपनी आस्तियों और देयताओं के हेजिंग के प्रति कोई नया रुपया ब्याज दर स्वैप नहीं किया है लेकिन पहले से लिए गए स्वैप रु.750 करोड़ की रकम के लिए परिपक्व हो गए हैं। 31-03-2009 को रु.1,800 करोड़ के प्रति बैंक द्वारा धारित कुल रुपये ब्याज दर स्वैप 31-03-2010 को रु.1,075 करोड़ रहा।

फॉरेक्स परिचालन

वैश्विक मंदी के कारण यद्यपि भारतीय निर्यातों पर बुरा पड़ा फिर भी बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान रु.3,02,696.52 करोड़ की तुलना में 2009-10 में रु.3,11,619.04 करोड़ तक अपने फॉरेक्स कुल बिक्री (व्यापारी एवं अंतर बैंक) को बढ़ाया। इसी अवधि के दौरान स्वर्ण सिक्के की खुदरा बिक्री 614.252 कि.ग्रा. से बढ़कर 928.440 कि.ग्रा. हो गयी।

बैंक ने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करते हुए विभिन्न विनियामक रिटर्नस की प्रस्तुति के संकेन्द्रीकरण की शुरुआत की, जिससे आँकड़ों की एकरूपता में सुधार हुआ। कोर बैंकिंग प्लेटफार्म एवं ओवरसीज़ शाखाओं में संपर्क स्थापित होने से भारत में बैंक के खाता धारकों को अपने विदेशी कार्यालयों से भेजे गये धन प्रेषणों में अंतरण समय में कमी आयी। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थियों के खाते में प्रेषित राशि तत्काल जमा हो जाती है।

विदेशी कार्यालयों को प्रदान किये गये कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म में अभिगम के कारण अनिवासी ग्राहकों को बैंक की सभी विदेशी शाखाओं में तत्काल शेष पूछताछ एवं खातों के विवरण प्राप्त करने संबंधी सेवा के मानकों में सुधार हुआ है।

अनिवासी खाता खोलने को ट्रेजरी (विदेशी) में एनआरई प्रकोष्ठ में संकेन्द्रित किया गया है। विभिन्न विदेशी कार्यालयों से खाता खोलने के प्रपत्र को एनआरआई प्रकोष्ठ में एकत्रित किया जाता है एवं ग्राहक के पसंदीदा शाखा की बहियों में खाते खोले जाते हैं एवं बिना विलम्ब के उन्हें एनआरआई किट, जिसमें पास बुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड एवं पिन मेइलर रखे गये हैं, प्रदान किये जाते हैं।

संपर्क कर्ता बैंक, जिनका बैंक के साथ रुपया खाता है, को अपने खातों तक पहुँचने के लिए एवं अपने भुगतान संबंधी निर्देशों एवं अपने ड्राफ्टों की परिस्थिति सहित जाँच हेतु वेब आधारित सुविधा प्रदान की गयी है।

एफईडीएआई के दक्षिण प्रभाग के अध्यक्ष के रूप में बैंक ने सदस्य बैंकों की तिमाही बैठक का आयोजन किया, जहाँ फॉरेक्स कारोबार से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

बैंक ने अगस्त 2009 एवं फरवरी 2010 के दौरान विभिन्न निर्यातोन्मुखी संगठनों, जैसे ईसीजीसी, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, एफआईईओ, ईईपीसी आदि की सक्रिय सहभागिता से निर्यातों के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप-समिति की बैठकों का अयोजन किया। बैंक ने एफआईईओ के साथ मिलकर मदुरै में एक निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

फॉरेक्स क्रिया-कलापों से उत्पन्न होने वाले सभी जोखिमों को सीमा सहित सम्मिलित करते हुए बोर्ड के द्वारा समुचित तरीके से अनुमोदित एक समग्र जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। बोर्ड के द्वारा समुचित तरीके से अनुमोदित मुद्रावार दिन के / रात्रि के जोखिमों का दैनिक

The Bank started trading in Rupee interest rate swap and the outstanding as on 31.03.2010 was Rs. 25 crore. During the year 2009-10, the Bank has not entered into any fresh rupee interest rate swaps towards hedging its assets and liabilities but swaps already taken matured for a sum of Rs.750 crore during the year. The total Rupee interest rate swaps held by the Bank as on 31.03.2010 is Rs. 1075 crore as against Rs 1800 crore as on 31.03.2009.

Forex Operations

Despite the global recession that badly hit the Indian exports, the Bank managed to increase its forex turn over (merchant and interbank) from Rs.3,02,696.52 crore during 2008-09 to Rs.3,11,619.04 crore during 2009-10. The retail sales of gold coins rose from 614.252 Kgs to 928.440 Kgs during the same period.

The Bank has started centralization of submission of various regulatory returns leveraging the core-banking platform thus improving the data integrity. The connectivity established between the core banking platform and the overseas branches has eliminated the delivery time in respect of overseas remittances emanating from its overseas offices to Bank's account holders in India. As a result, beneficiaries get instantaneous credit of the remitted amount.

The access to the core-banking platform provided to the overseas office has improved the service standards to the NRI clients with instantaneous balance enquiries and generation of statement of accounts at all the overseas offices of the bank.

Opening of NRI account has been centralized at the NRI cell at Treasury (Foreign). The account opening forms from various overseas offices are pooled at the NRI cell and accounts opened in the books of the branch of the client's choice and an NRI kit comprising of the pass book, cheque book, ATM card and the Pin mailer is issued without loss of time.

The correspondent banks maintaining rupee account with the bank have been provided a web-based facility to access their account and check the status of their payment instructions including payment of their drafts.

As Chairman of the southern chapter of FEDAI, the Bank conducted the quarterly meetings of the member banks where issues pertaining to the forex business were deliberated.

The Bank conducted the meetings of the sub-committee of the State Level Bankers Committee for Exports during August 2009 and February 2010 with active participation from various export-oriented organizations such as ECGC, Council for Leather Exports, FIEO, EEPC, etc. The Bank in association with FIEO organized an export awareness programme at Madurai.

A comprehensive Risk Management Policy, with limits duly approved by the Board, covering all risks arising out of forex activities, is in place. Currency-wise Day-

आधार पर प्रबोधन किया जा रहा है। उधार जोखिम, एकल-सौदा सीमा एवं हानि-रोध सीमाओं (प्रति सौदा / प्रति व्यापारी प्रति दिन) को कवर करने के लिए प्रति-पार्टी सीमाओं का प्रभावी रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।

क्रेडिट कार्ड

बैंक का अपना वीसा युक्त क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है एवं कुल पण्यावर्त में पिछले वर्ष की तुलना में 26.23% की वृद्धि हुई एवं निवल आमदनी रु.291.70 लाख है एवं इसमें 14% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान, राजस्व हिस्सेदारी प्रतिदर्श के आधार पर ग्राहकों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बिक्री टर्मिनल्स केन्द्र स्थापित कर कार्ड प्राप्त करने के व्यापार संबंधी उद्यम के लिए एक समझौता किया गया। कासा जमाओं को सुदृढ़ करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी एवं 500 टर्मिनल्स पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इंटरनेट भुगतान गेट वे (आईपीजी), जिसे ई-कॉमर्स भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया था, वह अब गति आई है।

व्यापारी बैंकिंग

बैंक ने डिबेंचर न्यासी, निर्गमों के लिए वसूली कर्ता बैंकर और लाभांश / ब्याज अदाकर्ता बैंकर के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखा। वर्ष के दौरान बैंक ने निर्णय लिया कि

i) नये तौर पर शुरू किए गए आईपीओ प्रक्रिया एएसबीए (अवरुद्ध राशियों के द्वारा समर्थित अनुप्रयोग) के लिए वसूलीकर्ता बैंक के रूप में काम करना।

ii) भुगतान करने वाले बैंकर्स के रूप में लाभांश / ब्याज वारंट के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया को बदलें। इसके लिए आवश्यक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किए गए हैं एवं इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

निक्षेपागार परिचालन

बैंक एनएसडीएल का निक्षेपागार प्रतिभागी है एवं 56 सेवा केन्द्र शाखाओं (चेन्नै स्थित नियंत्रणकर्ता निक्षेपागार शाखा सहित) के जरिए निक्षेप संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जिसमें 14 शाखाएँ चेन्नै में, 25 शाखाएँ मुम्बई में एवं शेष अन्य नगरों में हैं।

ऋण समूहन कार्यकलाप

बैंक के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग के ऋण समूहन डेस्क ने ऋण समूहन क्रिया-कलाप से प्राप्त लाभ का पूरा उपयोग किया है। बैंक ने भारत में तथा विदेश में देशीय एवं विदेशी मुद्रा में कंपनियों को क्रमश: भारतीय रुपये एवं यूएस डॉलर में ऋण उपलब्ध कराने में अग्रणी व्यवस्थापक / सह अग्रणी व्यवयस्थापक की भूमिका निभाई है। वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.645 करोड़ के मियादी ऋण घटक सहित बड़े समूहन हेतु वित्तीय क्लोजर प्राप्त किया है। रु.1,475 करोड़ के ऋण घटक के लिए एक और समूहन प्रस्ताव के संबंध में अन्य बैंकों के साथ गठबंधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

सरकारी लेखा

प्रत्यक्ष कर वसूलियाँ

बैंक 354 शाखाओं के जरिए ऑन लाइन टैक्स अकाउन्टिंग सिस्टम (ओएलटीएएस)से भौतिक चालानों की स्वीकृति द्वारा आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर की वसूली के लिए प्राधिकृत है। बैंक को प्रत्यक्ष कर का संग्रहण ई-भुगतान के जरिए स्वीकार करने के लिए अखिल भारतीय

Light/Overnight exposures, duly approved by the Board, are being monitored on daily basis. Counter-party limits to cover the credit exposure, single-deal limit and stop-loss limits (per deal /per dealer per day) are being monitored effectively.

Credit Card

The Bank's own Visa enabled Credit Card is catering to the requirements of its clientele and the turnover has increased by 26.23% over last year and the net earnings is Rs. 291.70 lakhs - an increase of 14%. During the year, on a revenue sharing model, a tie up was made to venture into Card Acquiring business by deploying Point of Sale terminals at clients' merchant establishments. This would serve as a tool to build up CASA deposits and 500 terminals have already been installed. The Internet Payment Gateway (IPG), which was also launched to popularize E-commerce payment, is gaining momentum.

Merchant Banking

The Bank continues to act as Debenture Trustee, Collecting Bankers to Issues and Dividend/Interest Paying Banker. During the year, the Bank decided to

i) act as Collecting Bankers for the newly introduced IPO process ASBA (Applications Supported by Blocked Amounts).

ii) change the procedure for handling Dividend/ Interest Warrants as Paying Bankers. Necessary computer programme for this has been developed and successfully tested.

Depository Operations

The Bank is a Depository Participant of NSDL and is extending depository related services through 56 service centre branches (including the controlling Chennai Depository branch), of which 14 branches are in Chennai, 25 in Mumbai and the remaining in other cities.

Loan Syndication Activities:

Loan Syndication Desk of the Merchant Banking Division of the Bank took advantage of the benefits arising out of syndication activity. The Bank has acted as Lead Arranger/Co-Lead Arranger for loans to Companies in India and abroad both in INR and USD respectively. During the year, the Bank achieved financial closure for a large syndication proposal with a term loan component of Rs.645 crores. Tie-up with other banks in respect of another syndication proposal for a debt component of Rs.1,475 crores is under progress.

Government Accounts

Direct Tax Collections

The Bank is authorised to collect Income Tax and other Direct Taxes through On Line Tax Accounting System (OLTAS) in 354 branches. The Bank is given All India Authorisation to receive e-Payment of Direct Taxes and it has been implemented since 2007.

स्तर पर प्राधिकृत किया गया है और वर्ष 2007 से इसे कार्यान्वित किया गया है। जेमिनी सर्किल शाखा, चेन्नै, प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए ई-फोकल पाइंट शाखा के तौर पर कार्य कर रही है। टैन डाटा क्वालिटी 99.41% एवं पैन डाटा क्वालिटी 98.35% है।

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

बैंक को 217 शाखाओं पर इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के जरिए उत्पाद शुल्क और सेवा कर (ईएएसआईईएसटी) जैसे अप्रत्यक्ष कर प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। बैंक को उत्पाद शुल्क और सेवा कर की ई-पेमेन्ट प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय प्राधिकरण प्राप्त हुआ है जिसका कार्यान्वयन दिसम्बर 2006 से हो रहा है। हैडोज रोड शाखा, चेन्नै, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण का ई-फोकल पांट शाखा के रूप में एवं नरीमन प्वाइंट शाखा, मुम्बई को सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए ई-फोकल प्वाइंट शाखा के तौर पर कार्य किया गया है।

पेंशन का भुगतान

बैंक केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, टेलकॉम और राज्य सरकारों, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन और मलेशियन सरकार पेंशन और कोयला खनन भविष्य निधि पेंशनरों से संबंधित पेंशन भुगतानों को संभालता है।

बैंक के केन्द्रीय पेंशन संसाधन केन्द्र (सीपीपीसी) की स्थापना की है एवं जनवरी 2009 से सीपीपीसी द्वारा केन्द्रीय सिविल पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने छठें वेतन आयोग के अन्तर्गत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत पेंशन बकाये के संवितरण तथा रक्षा पेंशनरों का संवितरण कार्य पूरा किया।

ट्रेजरी

तमिल नाडु सरकार का ट्रेजरी व्यापार 9 शाखाओं में एवं उड़ीसा सरकार का ट्रेजरी व्यापार 1 शाखा में चल रहा है। हाल में, तमिलनाडु की वल्लियूर शाखा (तिरुनेलवेली क्षेत्र) एवं एप्पोदुम वेन्ड्रान (तूतीकोरीन क्षेत्र) शाखा को ट्रेजरी व्यापार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अन्य सरकारी व्यापार

बैंक भारत सरकार की बचत योजनाओं, जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, रिलिफ बॉण्ड, विशेष जमा योजना एवं लोक भविष्य निधि में सक्रियतापूर्वक भाग लेता है। तमिलनाडु में 42 शाखाओं पर डाक घर संग्रहण खाता का अनुरक्षण किया जाता है।

मुद्रा तिजोरी

बैंक की कुल 34 मुद्रा तिजोरियाँ हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान और दो मुद्रा तिजोरी ईरोड (ईरोड क्षेत्र) एवं गजपतिनगर (ब्रह्मपुर क्षेत्र) में खोले गये।

अंतर शाखा समाधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देसानुसार आइबीआर खातों के सभी नामे और जमा प्रविष्टियों का 6 माह की अवधि में समाधान/निरसन किया जाना अपेक्षित है। बैंक समाधान चक्र को कम करने, कम्पास और मांग ड्राफ्टों की नामे प्रविष्टियों को 15 दिनों में निरसन करने में सफल रहा। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी निधि अंतरण और तार अंतरण प्रविष्टि एक महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

Gemini Circle Branch, Chennai is functioning as e-Focal Point Branch for Direct Tax collections. TAN data quality is 99.41% and PAN data quality is 98.35%.

Indirect Tax Collections

The Bank is authorised to receive Indirect Taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) in 217 branches. The Bank is given all-India authorization to receive e-payment of Excise and Service Taxes which has been implemented since December 2006. Haddows Road Branch, Chennai is functioning as e-Focal Point Branch for collection of Central Excise and Nariman Point Branch, Mumbai is functioning as e-Focal Point Branch for Service Tax.

Payment of Pension

The Bank handles payment of Pension in respect of Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Governments, TNEB, Chennai Port Trust, Employees' Provident Fund Organisation Pension, Malaysian Government Pension and Coal Mines Provident Fund Pensioners.

The Bank has established Centralised Pension Processing Centre (CPPC) and Central Civil Pension is being paid by CPPC since January 2009. During the year, the Bank completed disbursement of pension arrears under 6th Pay Commission for Civil and Defence Pensioners, as per Government directives.

Treasury

Treasury Business of the Government of Tamil Nadu is conducted in 9 branches and Government of Orissa in 1 branch. Recently, Valliyoor Branch (Tirunelveli Region) and Eppodum Vendran Branch (Tuticorin Region) in Tamil Nadu have also been authorised by the RBI to conduct treasury business.

Other Government Business

The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Relief Bond, Special Deposit Scheme, and Public Provident Fund. Post Office collection Account is maintained in 42 branches in Tamil Nadu.

Currency Chest

The Bank has 34 Currency Chests; which includes Two Currency Chests opened at Erode (Erode Region) and Gajapathinagar (Berhampur Region) during 2009-10.

Inter Branch Reconciliation

The Reserve Bank of India directive stipulates that all debit and credit entries in the IBR accounts are required to be reconciled / eliminated within a period of 6 months. The Bank has significantly reduced the reconciliation cycle, elimination of the COMPASS and Demand Draft debit entries to 15 days. Besides, the Bank ensures that no funds transfer and telegraphic transfer entry is outstanding for more than one month.

निरीक्षण

निरीक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय कार्यालय का निरीक्षण, ईडीपी लेखा-परीक्षा तथा निपसा सहित 1,633 शाखाओं में किया गया। चूँकि सभी शाखाएँ सीबीएस हो गई हैं, अत: सभी शाखाओं का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की गयी शाखाओं में से 451 शाखाओं का श्रेणी-निर्धारण "अच्छा" दिया गया।

इस अवधि के दौरान प्रतिनिधि कार्यालयों को शामिलकर हांग कांग, सिंगापुर, सोल, बैंकॉक व कोलंबो शाखाओं का भी निरीक्षण किया।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शाखाओं में अल्पकालीन निरीक्षण किया गया। इस अवधि के दौरान 41 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 34 विभागों में प्रबंधन लेखा परीक्षा भी पूरी की गई। बैंक के कारोबार के कम से कम 50% को पूरा करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पार करते हुए 58.23% के जमा कारोबार और 74.78% के अग्रिमों वाली कुल 336 शाखाओं को समवर्ती लेखा-परीक्षा के तहत लाया गया। 1,419 शाखाओं में राजस्व लेखा-परीक्षा और 334 शाखाओं में नमूना जाँच लेखा-परीक्षा की गई। चुनिंदा आधार पर 754 खातों की स्टॉक लेखा-परीक्षा की गई।

सभी 1633 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) की गई, जहाँ केंद्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया था। क्षेत्र की जोखिम आधारित रूपरेखा बनाकर आरबीआइए के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रबंधन लेखा-परीक्षा भी की गई।

सभी 41 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों, एक निक्षेपागार शाखा एवं 321 शाखाओं, जिसमें 4 अपवादस्वरूप बृहत शाखाएँ एवं 96 अपवादस्वरूप बड़ी शाखाएँ और 221 बहुत बड़ी शाखाएँ सम्मिलित हैं, सूचना प्रणाली (आइएस) लेखा परीक्षा की गई। योग्य बाहरी लेखा-परीक्षकों द्वारा सूचना प्रणाली की समीक्षा / केन्द्रीय कार्यालय के विभागों की लेखा परीक्षा यानी डाटा केन्द्र व डीआर साइट, नेटवर्क, बैंकिंग सॉल्यूशन, एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन, आरटीजीएस/एनइएफटी परिचालन, आइटी विभाग द्वारा संभाली गई इन्टरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड परिचालन, ट्रेज़री [देशी] व [विदेशी] परिचालनों की लेखा-परीक्षा कराई गई।

लेखा-परीक्षा उप समिति (एएससी)

दिनांक 26 अगस्त 2008 को संपन्न मंडल की बैठक में लेखा-परीक्षा उप समिति (एएससी) के गठन का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 8 एएससी बैठकें आयोजित की गई। इएलबी की सीओआइआर रिपोर्ट, ईईएलबी/विशेषज्ञताप्राप्त शाखाएँ/विदेशी शाखाएँ जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधन लेखा-परीक्षा, स्टॉक लेखा-परीक्षा की समीक्षा/समवर्ती लेखा-परीक्षा/टेस्ट चेक लेखा-परीक्षा/राजस्व लेखा-परीक्षाओं को शामिल कर समीक्षा पर एएससी बैठक में चर्चा की गई। की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित एएससी के प्रमुख निष्कर्षों को तिमाही में एक बार एसीबी को प्रस्तुत किया गया।

सतर्कता

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक द्वारा लंबित सतर्कता अनुशासनिक मामलों को केन्द्रीय सर्तकता विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए। वर्ष के दौरान 133 सतर्कता अनुशासनिक मामलों को निपटाया गया। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं बृहत मूल्य की धोखाधड़ी को प्रबोधित

Inspection

Central Office Inspection, along with EDP Audit and NIPSA, was carried out in 1,633 branches during the year 2009-10. Since all branches were converted to CBS, inspection was conducted in all the branches on-line. Out of the branches inspected, 451 branches were rated as "Good".

Inspection of Hong Kong, Singapore, Seoul, Bangkok and Colombo branches including Representative Offices were also conducted during the period.

Regional Offices carried out periodical Short Inspection of Branches. Management Audit of all 41 Regional Offices and 34 Central Office Departments was also conducted during this period. Total of 336 branches were brought under Concurrent Audit covering 58.23% of Deposits and 74.78% of Advances, thereby exceeding RBI guidelines of covering at-least 50% of Bank's Business. Revenue Audit was carried out in 1,419 branches and Test Check Audit in 334 branches. Stock Audit was conducted for 754 accounts on selective basis.

Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted in the 1633 branches, where CO Inspection was carried out. Management Audit of Regional Offices was also conducted under RBIA by preparing Risk Profile of the Regions.

Information Systems (IS) Audit was conducted in all the 41 Regional Computer Centres, one Depository branch and 321 branches, consisting of 4 Exceptionally Extra Large, 96 Exceptionally Large and 221 Very Large branches. Information Systems Review / Audit of CO-Departments, viz. Data Centres and DR Site, Network, Core Banking Solution, ATM / Debit Card operations, RTGS/NEFT Operations, Internet Banking and Mobile Banking handled by Information Technology Department, Credit Card operations, Treasury (Domestic) and Treasury (Foreign) operations were conducted by engaging Qualified External Auditors.

Audit Sub Committee (ASC):

Board of Directors in the meeting held on August 26, 2008 approved the formation of Audit Sub Committee (ASC). During the financial year 2009-10, 8 ASC Meetings were held. The Review of COIR reports of ELB, EELB/ Specialized Branches/ Overseas Branches including Management Audit of Regional Offices, Review of Stock Audit / Concurrent Audit / Test Check Audit / Revenue Audits were taken up for discussion in the ASC Meetings. The major findings of ASC with Action Taken Report was placed to ACB once in a quarter.

Vigilance

During the year 2009-10, the Bank has taken effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases within the time frame fixed by Central Vigilance Commission. During the year 133 vigilance disciplinary cases were disposed. The operational Risk Management Committee and the Committee of

करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति ने आवधिक तौर पर रिपोर्ट की गयी धोखाधड़ियों का विश्लेषण किया और समिति द्वारा सुझाए / बताए गए प्रेक्षणों / सुधारात्मक उपायों को बैंक द्वारा कार्यान्वित किया गया। बैंक ने निवारक सतर्कता के तहत सी वी ओ के विशेष परिपत्र क्रम के अधीन विभाग द्वारा संभाले गए सतर्कता अनुशासनिक मामलों का विस्तृत विवरण देते हुए 12 परिपत्र (आंतरिक) जारी किए। दंड संबंधी विस्तृत ब्यौरे सहित और स्टाफ़ सदस्यों द्वारा लिए जाने योग्य निवारक सतर्कता उपायों की सूचना भी इन परिपत्रों मे दी गई। इसके अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी और चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित सतर्कता अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण द्वारा बैंक ने निवारक सतर्कता उपायों पर जोर दिया। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं के आवधिक दौरे के दौरान प्रणालियों एवं कार्यपद्धतियों के अनुपालन में सभी स्तरों पर स्टाफ़-सदस्यों की भूमिका के बारे में खासकर केवाइसी मानदंडों, एएमएल दिशानिर्देशों, धोखाधड़ी उन्मुख क्षेत्रों आदि पर जोर दिया गया। नवंबर 2009 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

शाखा कम्प्यूटीकरण

बैंक ने 100% नेटवर्किंग की हैसियत प्राप्त की है तथा 100% सीबीएस की स्थिति प्राप्त की है जिससे सीबीएस की कुल शाखाएँ और उपशाखाएँ 2018 हो गई।

दिनांक 31.03.2010 तक 17 केन्द्रीय समाशोधन कार्यालय, 41 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 4 केन्द्रीय कार्यालय के विभाग और 6 निरीक्षणालयों को सीबीएस के तहत लाया गया है। दिनांक 02.04.2010 से केन्द्रीय कार्यालय के दो और विभागों को सीबीएस के तहत लाया गया है।

दिनांक 31.03.2009 तक ए टी एम की कुल संख्या 576 (445 ऑनसाइट, 115 ऑफसाइट व 16 रेलवे एटीएम) हैं। वर्ष के दौरान 195 अन्य एटीएमों को नेटवर्क के तहत लाया गया, जिससे यह संख्या बढ़कर 771 (590 ऑनसाइट, 146 ऑफसाइट व 35 रेलवे एटीएम) हो गई।

बैंक के कुल 17,67,050 डेबिट कार्ड हैं, जिसमें 1,75,456 इन्स्टा कार्ड शामिल हैं। मार्च 2010 माह के दौरान हमारे एटीएमों के जरिए रु.545.52 करोड़ का लेनदेन किया गया।

31मार्च 2010 तक 771 एटीएमों मे से 731 एटीएमों में विडियो निगरानी प्रणाली की सुविधा है।

आरटीजीएस/एनइएफटी से जुड़ी शाखाओं को आरटीजीएस व एनइएफटी भुगतान प्रणाली के तहत कर दिया गया है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किया गया लाभांश एनइएफटी के जरिए पात्र शेयरधारकों के खातों में जमा किया गया।

इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग के तहत अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी है। पंजीकृत ग्राहकों की संख्या और उनके द्वारा इन्टरनेट के जरिए लेनदेनों की मात्रा में सतत बढ़ोतरी हो रही है। प्रदान की गई मानक सेवाओं के अतिरिक्त बैंक ने संपर्की द्वारा वॉस्ट्रो खातों को देखने की सुविधा प्रारंभ की है। अब पंजीकृत इन्टरनेट बैंकिंग ग्राहक द्वारा अपने पैन का उपयोग करके एनएसडीएल साइट से आयकर विवरण यानी फार्म 26 एएस को देखने की सुविधा प्रदान की गई है।

the Board monitoring Large Value Frauds analysed the frauds reported periodically and observations/ remedial measures made/suggested by the Committee have been implemented by the Bank. During the year, the Bank issued 12 circulars (internal) captioned Preventive Vigilance – CVO's special circular elaborating the vigilance disciplinary cases handled by the Department. Besides incorporating the details of punishments awarded, the important preventive measures to be taken by the staff members are also included in these circulars. Further emphasis has been given by the Bank towards Preventive Vigilance measures through periodical Branch inspection by the Chief Vigilance Officer and also by Vigilance Officers attached to Vigilance Cell at select Regional Offices. The role of staff at all levels in adherence to Systems and Procedures especially compliance to KYC norms, AML guidelines, fraud prone areas etc., has been emphasized during periodical visits to Regional Offices and Branches by Chief Vigilance Officer. Vigilance Awareness Week was observed in November 2009.

Information Technology

Branch Computerisation

The Bank has achieved 100% networking status as well as 100% CBS status of branches with a total number of 2018 CBS branches and Extension Counters.

As on March 31, 2010, 17 Central Clearing Offices, 41 Regional Offices and 4 Central Office Departments and 6 Inspectorates have been brought under CBS. 2 more Central Office Departments have been brought under CBS, with effect from April 2, 2010.

The total number of ATMs as on 31.03.2009 stood at 576 (445 Onsite, 115 Offsite and 16 Railway ATMs). During the year, 195 ATMs were brought into the network taking the total to 771 (590 Onsite, 146 Offsite and 35 Railway ATMs).

Bank has a total debit card base of 17,67,050 cards which includes 1,75,456 Insta Cards. The volume of transactions put through our ATMs amounted to Rs.545.52 crores during the month of March 2010.

As on March 31, 2010, 731 ATMs out of 771 have been provided with Video Surveillance Systems.

RTGS / NEFT – Networked branches are covered under RTGS and NEFT payment systems. During the year, the dividend paid by the Bank was credited to the eligible shareholders through NEFT.

Internet Banking

Gamut of services have been provided under Internet banking facility. The number of customers who are registered as well as the volume of transactions put through using the Internet is increasing steadily. Apart from the standard services offered, Bank has introduced facility for viewing VOSTRO accounts by the Correspondents. Viewing of income tax particulars from NSDL site by the registered Internet Banking Customers, i.e., Form 26 AS view, using their PAN is now enabled.

मोबाइल बैंकिंग

बैंक ने मोबाइल बैंकिंग प्रारंभ की है, जिसके तहत बैंक सभी प्रकार की सेवाएँ प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान विभिन्न सेवाएँ दो चरणों में प्रदान की गई हैं। प्रथम चरण में पूछताछ सेवाएँ, निधि अंतरण (अंतर एवं अंत: बैंक) खाता विवरण की सुविधाओं को शामिल किया गया है। हवाई जहाज/ मूवी टिकटिंग, डिमैट सेवाएँ, एटीएम/ डेबिट कार्डों को निरस्त करने इत्यादि जैसी सेवाओं को परखा गया और कार्यान्वित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) एनसीआर, दिल्ली की 85 शाखाओं में प्रारंभ की गई है।

पेमेंट गेटवे

एएसपी की तर्ज़ पर बैंक ने अपना पेमेंट गेटवे प्रारंभ किया है। बैंक ने ग्राहकों द्वारा अपने डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए किए जाने वाले टीएनइबी बिलों के भुगतान को एकीकृत किया है। डेबिट कार्ड का प्रयोग करके मोबाइल भुगतान, बीमा किस्त भुगतान इत्यादि जैसे उपयोगी बिलों के भुगतान को एकीकृत करने की प्रक्रिया पर कार्य हो रहा है।

तत्कालीन सुवर्ण सहकारी बैंक लि. पुणे की 12 शाखाओं को पहले दिन से ही सीबीएस के तहत ला लिया गया।

बीसीपी को सुनिश्चित करने के लिए 3-वे डाटा-सेन्टर स्थापित किया गया है। चेन्नै में प्राइमरी डाटा सेन्टर और चेन्नै में ही कमाण्ड सेन्टर एवं हैदराबाद में डीआर साइट स्थापित किए गए हैं। सीबीएस एवं जटिल अनुप्रयोग वीएसएनएल डाटा सेन्टर के ज़रिए कार्यरत हैं। प्राथमिक डीसी एवं सीसी1 गिगा डार्क फाइबर कनेक्शन से जुड़े हैं, जो एककालिक प्रतिकृति को सुनिश्चित करता है। डीआर साइट एवं वीएसएनएल डीसी अकालिक प्रतिकृति प्रदान करते हैं। आटोमेटिक फेल-ओवर के लिए आटोमेशन टूल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किये जाने वाले नेटवर्क व हार्डवेयर उपकरणों में उच्च उपलब्धता एवं संपूर्ण पर्याप्तता (सेवा प्रदाता स्तर पर, मीडिया स्तर पर एवं हार्डवेयर स्तर पर) का प्रावधान है।

आइपी टेलीफोन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय के कार्यपालकों एवं सिंगापुर शाखा को उपलब्ध कराए गए हैं। ऋण आवेदन के लिए ऑन लाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान की गई है। उधारकर्ता / आवेदक ट्रैक रख सकता है और अपने ऋण आवेदन की स्थिति की जान सकता है।

विदेशी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

विदेशी शाखाओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे सॅल्यूशन्स में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर, बैंकॉक एवं कोलंबो में अब केन्द्रीकृत सीबीएस साफ्टवेअर प्रयोग किया जा रहा है। विदेशी शाखाओं के लिए सिस्टम को हब पर स्थापित किया गया है व सिंगापुर में हब साइट सहित व बैंकॉक में डीआर साइट सहित स्पोक मॉडल स्थापित किया गया। बैंकाक शाखा समान्तर कार्य कर रही है और जून 2010 तक ऑनलाइन हो जाएगी। कोलंबो में समान्तर कार्य (रन) पूरा कर लिया गया है और दिनांक 01.04.2010 से शाखा ऑनलाइन है। रिपोर्टिंग एवं नास्ट्रो माड्यूल्स कार्यान्वित होने के लिए प्रक्रियाधीन है।

सिंगापुर शाखा से हमारी भारतीय शाखाओं में अनुरक्षित लाभार्थियों के खातों में सीधे ऑनलाइन विप्रेषण की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस सुविधा को विप्रेषकों एवं लाभभोगियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस से क्षेत्र का विप्रेषण कारोबार संगठित चैनल के तहत आ गया है।

Mobile Banking

The Bank has introduced Mobile Banking, offering entire range of services. Various services have been offered in two phases during the year. Phase I includes query services, funds transfer (inter and intra banks), statement of accounts. Services like air / movie ticketing, de-mat services, facility to suspend ATM/Debit Cards, ATM/Branch locator are tested and implemented.

Cheque Truncation System (CTS) has been launched in 85 Branches in NCR, Delhi as per RBI directives.

Payment Gateway

Bank has launched own Payment Gateway on ASP Model. Bank has integrated payment of TNEB bills by Bank's customers, using their Debit Cards. Integration of Payment of utility bills, like mobile payment, insurance premium payment etc., using the debit cards is in process.

12 branches of erstwhile Swarna Sahakari Bank Ltd, Pune have been brought under CBS from day one.

3-way Data-centre has been established to ensure BCP. Primary Data Centre at Chennai, and Command Centre at Chennai and DR Site at Hyderabad have been set up. CBS and critical applications are functioning from Data Centre. Primary DC and CC are connected by 1 Giga Dark Fiber Connection, which ensures synchronous replication. DR Site and DC are on asynchronous replication. Automation Tool is used for automatic fail-over. The network equipments and hardware used are provided with high availability and complete redundancy (at service provider level, media level and at hardware level).

IP Telephones have been provided to all Regional Offices / Central Office Executives and to Singapore Branch. On-line tracking of loan applications has been enabled. Borrower / Applicant can track and know the status of their loan application.

Overseas Branches Computerisation

To ensure uniformity of solutions used by Overseas Branches, centralised CBS software is now being used in Singapore, Bangkok and Colombo. The system for overseas branches has been established on hub and spoke model with the hub set up at Singapore with DR Site at Bangkok. Bangkok Branch is running parallel and would go online by June 2010. In Colombo, parallel run has been completed and Branch is online with effect from April 1, 2010. Reporting and NOSTRO modules are under process of being implemented.

Direct online remittance through our Singapore Branch to the beneficiary's account maintained in our Indian Branches has been enabled. This facility has been well received by remitters as well as the beneficiaries. This has also brought the Remittance Business of the area under organised channel.

नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के वर्तमान सेट अप में नोड स्तर पर अतिरिक्तता को पूर्णत: प्राप्त कर लिया गया है।

शाखा और क्षेत्रीय नेटवर्क नोड्स के बीच मौजूदा बीएसएनएल पाइंट टू पाइंट लीज्ड लाइन कनेक्शन से बैंक ने बीएसएनएल एमपीएलएस-वीपीएन क्लौड कनेक्टिविटी, जो डाटा सेन्टर से शाखाओं को सीधे जोड़ेगी, के तहत लीज्ड लाइन लिंक्स में बदलने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर प्लेटिनम पार्टनर स्टेटस के तहत बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अभी बदलाव की प्रक्रिया जारी है।

एटीएम प्रबंधित सेवाओं के तहत मेसर्स टीसीबीआइएल के साथ एटीएम को अब आउटसोर्स कर दिया गया है। प्रबंधित सेवाओं के तहत वेन्डर एटीएमों को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया में है। दिनांक 31.03.2010 तक 12 क्षेत्रों के 129 एटीएमों को प्रबंधित सेवाओं के तहत लाया गया है। बैंक ने अपना पहला मोबाइल एटीएम चेन्नै क्षेत्र में प्रारंभ किया है। जीपीआरएस कनेक्टीविटी का उपयोग कर एटीएम कार्य कर रहा है और प्रतिदिन औसतन 200 लेनदेन कर रहा है।

अब आइटी प्रयासों में वित्तीय समावेशन योजना सहबद्ध कार्यान्वयन तकनीक, चेक जमा प्रणाली (सीडीएस)/चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) और ई-टिकटिंग जैसी विशेषताओं से युक्त कियोस्क स्थापित करने की परियोजनाएँ शामिल की गई हैं। आगे ईआरपी-एसएपी सॉल्यूशन का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है, जिससे कार्पोरेट ग्राहक बिल भुगतान, एलजी/एलसी अनुरोध, उपयोगिता भुगतान जैसे लेनदेनों को सीधे संसाधित कर पाएँगे।

ओरेकल बिजनेस इन्टेलिजेन्स सूट कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सॅल्यूशन डैशबोर्ड एवं टूल्स उपलब्ध कराएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें तैयार की जा सकेंगी। इससे केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यपालकों और शाखा प्रबंधकों को इन टूलों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी, जिनसे उन्हें विश्लेषण करने और कारोबार से जुड़े निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पाण्डियन ग्राम बैंक एवं नीलांचल ग्राम्य बैंक) के लिए सिरुसेरी, चेन्नै में डाटा सेन्टर एवं हैदराबाद में डिज़ास्टर रिकवरी सेन्टर स्थापित करने में मदद करके बैंक ने अहम भूमिका निभाई है। हार्डवेयर, नेटवर्क, उपकरणों के प्रापण और नेटवर्क कनेक्टीविटी स्थापित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में उनकी मदद की गई है। दोनों बैंक ऑनलाइन हो गए हैं और उन्होंने अपनी कुछ शाखाओं को भी सीबीएस कर दिया है।

तकनीक सहबद्ध वित्तीय समावेशन योजना

बैंक ने प्रति शाखा के लगभग 1500 स्मार्ट कार्डों के कवरेज सहित प्रारंभिक रूप से लगभग 300 शाखाओं को शामिल करने के लिए तकनीक सहबद्ध स्मार्ट कार्ड आधारित वित्तीय समावेशन की एक परियोजना प्रारंभ की है। कारोबार संपर्कियों / संवादियों की नियुक्ति एवं स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए मेसर्स टीसीएस लि. को आउटसोर्स किया गया है। वर्ष के दौरान कारोबार निरंतरता योजना और आपदा से उबरने (बीसीपी/डीआर) के लिए नीति, आइटी प्रापण नीति, आइटी

In the present set up of Network Infrastructure, redundancy has been achieved at node level in full.

From the existing BSNL point-to-point leased line connections between the branches and the regional network nodes, the Bank has entered into an MoU with BSNL under Platinum partner status at competitive rates for migrating the leased line links under BSNL MPLS-VPN cloud connectivity, which would connect the branches directly to the data centres. Migration process is in progress now.

ATMs are now outsourced under ATM Managed services with M/s TCBIL. Vendor is in the process of taking over the ATMs under the managed services. As on March 31, 2010, 129 ATMs in 12 regions have been brought under the managed services. All the ATMs of the Bank will be handed over during the next three months.

The Bank has launched its first Mobile ATM in Chennai Region. The ATM is functioning using GPRS Connectivity and has been functioning successfully with an average 200 transactions daily.

New IT initiatives include projects on implementation Technology aided Financial Inclusion Plan, setting up of Kiosks with features like Cheque Deposit System (CDS)/Cheque Truncation System (CTS) and e-ticketing. Further, implementation of ERP-SAP solution, which will enable corporate customers to connect to the bank's network directly for straight through processing of transactions like bill payments, LG/LC requests, utility payments etc., is in the process.

Oracle Business Intelligence Suite is being implemented. This solution will provide dashboards and tools, which will enable generation of various reports. This will help the Executives at Central Office, Regional Office and Branch Managers to use the tools to generate reports that will help them to do trend analysis and assist in taking business decisions.

The Bank played the major role in assisting the Regional Rural Banks sponsored by our Bank (Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank) to establish their Data Centre at Siruseri, Chennai and Disaster Recovery Centre at Hyderabad. They have been assisted in finalizing the procurement of hardware, network equipments and in establishing network connectivity. Both the Banks have gone on line and brought some of their branches under their CBS.

Technology Aided Financial Inclusion Plan

The Bank has launched a technology assisted smartcard based Financial Inclusion Project to initially cover about 300 branches with a coverage of about 1,500 smart cards per branch. Appointment of Business correspondents and issuance of smartcards is outsourced to M/s TCS Ltd.

During the year, various policies like the Business Continuity Plan and Disaster Recovery (BCP / DR)

आउटसोर्सिंग नीति और सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति जैसी विभिन्न नीतियों को लागू किया गया है।

परिचालनों की लागत

लागत कक्ष बैंक के लिए लाभ बजट तैयार करता है और शाखाओं को संवितरित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र को लाभ बजट का आबंटन करता है। बजट के प्रति बैंक की लाभप्रदता पर आवधिक समीक्षा नोट उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया में परिचालनों की लागत व आय निर्माण का निरंतर आधार पर प्रबोधन किया जाता है और जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। लागत व लाभ कारकों को आवधिक रूप से विश्लेषित किया जाता है और यदि विविधता पाई जाती है, तो उच्च प्रबंधन को अवगत कराया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत संबंधित क्षेत्र के साथ मिलकर कार्रवाई की जाती है। वित्त मंत्रालय को सौंपे गये आशयगत विवरण में पूर्व कार्यनिष्पादन, वर्तमान बाजार रुझान एवं भविष्य की संभाव्यताओं पर आधारित प्रमुख प्राचलों का विकास प्रक्षेपण शामिल रहता है।

सुरक्षा

शाखाओं तथा प्रशासनिक कार्यालयों में सुरक्षा उपायों के कारगर कार्यान्वयन से ग्राहकों तथा स्टाफ़-सदस्यों के लिए कारोबार का सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय कानून व व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर आवधिक तौर पर सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण किया गया और शाखाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कदम उठाए गए। बैंक जान व माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्टाफ़ के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करने और आग से बचाव संबंधी व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए निवारणात्मक उपयों पर जोर देता रहा।

मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च 2010 तक भारत में 10,252 अधिकारियों, 11,997 लिपिकों व 4,483 अधीनस्थ कर्मचारियों को मिलाकर बैंक के कर्मचारियों की संख्या 26,732 है।

कुल कर्मचारियों में से अजा के 6,421, अजजा के 1,473 व अपिव के 2,282 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों में 5,543 महिलाएँ, 1,847 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, 769 भूतपूर्व सैनिक एवं 556 शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य शामिल हैं।

मानव संसाधन पहल

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने 769 परिवीक्षा अधिकारियों तथा 1040 लिपिकों के अलावा 98 विशेषज्ञ अधिकारियों की [52 वित्तीय विश्लेशक, 41 विपणन प्रबन्धक और 5 एचआर/आइआर अधिकारी] भर्ती की।

अभिप्रेरणा

स्टाफ की अभिप्रेरणा के रूप में अधिकारियों तथा पंचाट कर्मचारी सदस्यों के लिए प्रश्न मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्टाफ की अभिप्रेरणा और स्व-विकास को दृष्टि में रख कर मानव संसाधन की अभिप्रेरणा शृंखला के तहत विभिन्न मानव विकासीय पहलुओं को सभी स्टाफ सदस्यों में परिचालित किया गया।

Policy, IT Procurement Policy, IT Outsourcing Policy and Information System Security Policy have been put in place.

Costing of Operations

The Costing Cell prepares the profit budget for the Bank and allocation of profit budgets to individual Regions for onward distribution to branches. Periodical review note on profitability of the bank vis-à-vis budget are placed to Top Management. In this process, cost of operations and income generation are monitored on a continuous basis and corrective actions are initiated wherever necessary. Cost and yield factors are analylsed periodically and any major variations are reported to Top Management besides taking up with concerned regions immediately for further action. Statement of Intent submitted to Finance Ministry involves projecting growth of key parameters based on past performance, present market trends and future potentials.

Security

The effective implementation of security measures at branches and administrative offices ensured a safe environment for business for customers and staff. The security measures were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and additional steps as necessary were taken to strengthen the security measures. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire fighting arrangements and inculcation of security consciousness among staff to ensure safety to life and property.

Human Resources Development

Staff Strength

The Bank's staff strength in India stood at 26,732 comprising 10,252 Officers, 11,997 Clerks and 4,483 Sub-staff as of March 31, 2010.

Of the total staff strength, 6,421 members belonged to SC category, 1,473 to ST Category, and 2,282 to OBC Category. Staff Strength includes 5,543 Women employees, 1,847 employees from Religious minority community, 769 ex-servicemen and 556 physically challenged members.

HR Initiative

During the year 2009-10, the Bank recruited 98 Specialist Officers (52 Financial Analysts, 41 Marketing Managers and 5 HR/IR Officers), besides 769 Probationary Officers and 1040 Clerks.

Motivation

As a part of staff motivation, Quiz Programme was conducted by Bank both for Officers and Award Staff members. Towards staff motivation and self-development, HR Motivation series on various Human Developmental aspects is circulated to all Staff Members.

प्रशिक्षण

मानव पूँजी को बहुमुखी विकास की दृष्टि से समृद्ध बनाकर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और शेयरधारकों को मूल्य वर्द्धित सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से बैंकिंग के मूलभूत क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समकालीन मुद्दों पर आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के महत्पूर्ण क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन, तकनीकों तथा कंप्यूटर जागरूकता के अलावा उधार मूल्यांकन / उधार प्रबोधन व पर्यवेक्षण, अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन और वसूली पर भी जोर दिया जाना जारी रखा गया। इसके अलावा विदेशी विनिमय, प्राथमिकता उधार, केवाईसी / ए एम एल, बी सी एस बी आई, एसएमई/सूक्ष्म वित्तीय और ग्रामीण उधार , सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद पर प्रशिक्षण दिया गया। निरीक्षकों के लिए कार्यक्रम ,निवारक सतर्कता , सहायक महा प्रबंधकों और मुख्य प्रबंधकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी चलाया गया।

नए तौर पर भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम और प्री कनफरमेशन कार्यक्रम के अलावा नए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम भी चलाए गए।

विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंचाट स्टाफ से लिपिक संवर्ग में पदोन्नति हेतु पात्र अ जा / अ ज जा सदस्यों के लिए पदोन्नति पूर्व कार्यक्रम चलाए गए।

शाखाओं के सुचारू संचालन के लिए क्षेत्र विशेष कार्यक्रम और स्थान पर कार्यक्रम के अलावा हमारे बैंक के उत्पादों का विपणन , एस एम ई वित्तपोषण , कासा और अनुषंगी सेवाओं के विपणन जैसे कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय और स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र पर चलाए जा रहे सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे अनुपालन नीतियों , राजभाषा कार्यान्वयन और निवारक सतर्कता पर सत्र शामिल किए गए। नए उभरते क्षेत्रों पर शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों पर मुख्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए सक्षम बनाने के लिए तदर्थ कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के विभागों को प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किए गए।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों व पंचाट स्टाफ सदस्यों के लिए प्री रिटायरमेंट काउंसिलिंग कार्यक्रम चलाए गए। बैंक ने सेवानिवृत्त कार्यपालकों की सेवाएं संविदा पर लीं जिससे उनके अनुभवों, ज्ञान और बैंकिंग के विविध आयामों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।

कार्यपालकों को विदेशी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया जिससे बैंकिंग और प्रौद्योगिकी पर अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और अन्य प्रतिभागियों में उनके अनुभव व विशेषज्ञता को बांटा जा सके।

ई लर्निंग के एक भाग के रूप स्टाफ कालेज द्वारा पोर्टल लांच किया गया ताकि बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में ई-सत्र प्रदान किया जा सके।

आंतरिक प्रशिक्षण

आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ़ महाविद्यालय, 9 स्टाफ़ प्रशिक्षण केंद्र तथा एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। 995 कार्यक्रमों का आयोजन करके कुल 15,613 स्टाफ़ को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 8548 अधिकारी, 5915 लिपिक और 1150 अधीनस्थ स्टाफ़ शामिल थे । प्रशिक्षित कुल स्टाफ़ में 3,205 अ जा के और 1,104 अ ज जा के थे ।

Training

Keeping in view the mission of the bank "to enrich Human Capital through all-round development aiming at providing excellent customer service & value appreciation to shareholders" training is imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode. The focus continued to be on Credit Appraisal/ Credit Monitoring, NPA Management & Recovery in addition to Risk Management and Computer awareness. Apart from the above, training was also given in Foreign Exchange, Priority Credit, KYC/ AML, BCSBI, SME /Micro Finance & Rural Credit, IT Products. Programme for Inspectors, Preventive Vigilance, Management Development programme for AGMs & Chief Managers were also conducted.

Induction programme for newly recruited probationary officers were conducted apart from Orientation programme & Pre Confirmation Programme for Probationary Officers.

Pre Promotion Training for SC/ST members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre was conducted at various Staff Training Centres.

Special emphasis was given on programmes like Marketing of the bank's products, SME Finance, Marketing of CASA & Ancillary Services, apart from Region specific programmes & on location programme for efficient handling of branches. Session on Compliance Policies, Official Language Implementation and Preventive Vigilance were included in the general training programmes conducted at Staff Training College and Staff Training Centres. Training slots were allotted to different Central Office Departments for organising ad-hoc programmes to enable them to train key functionaries at Branches/ Regional Offices on new emerging areas.

The Pre Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year. Bank has engaged the services of retired executives on contract basis in training system to derive the benefit of their experience, knowledge and expertise in various facets of banking.

Executives were nominated for overseas training to acquire international perspective on banking & technology and share their expertise and experience with other participants.

As a part of E-Learning ,a portal was launched by Staff College , to serve as a vehicle for providing e-lessons on different areas of banking operations.

Internal Training

The internal training system comprises of a Staff College, 9 Staff Training Centres and one Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 15,613 staff comprising of 8,548 Officers, 5,915 Clerical and 1,150 Sub-staff by conducting 995 programmes. Of the total staff trained 3,205 belonged to SC, and 1,104 belonged to ST.

बाहरी प्रशिक्षण व विदेश में प्रशिक्षण

बैंक ने प्रतिष्ठात्मक बाह्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 48 कार्यपालकों और 270 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। इनके अलावा 8 कार्यपालकों एवं 6 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

क्षे .ग्रा. बैंक के स्टाफ़-सदस्यों को प्रशिक्षण

बैंक ने नीलाचल ग्राम्य बैंक तथा पांडियन ग्रामा बैंक के 508 स्टाफ़-सदस्यों को 33 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। कुल प्रशिक्षित स्टाफ़-सदस्यों में अनुसूचित जाति के 88 तथा अनुसूचित जनजाति के 3 सदस्य थे।

संभावनाएं

वर्ष 2010-11 में आर्थिक निष्पादन के बढ़ने, निर्यात मांग में वृद्धि होने और वैश्विक आर्थिक परिवेश में और अधिक समानुकूल वातावरण उत्पन्न होने की अपेक्षा की जाती है। इन सभी सकारात्मक पहलुओं से उम्मीद की जाती है कि वे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और आगामी वर्षों में इसे अधिक विकास की ओर अग्रसर करेंगे।

External Training and Overseas Training

The Bank had also deputed 48 Executives and 270 Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Apart from these 8 executives and 6 officers were deputed for training abroad.

Training for Staff of RRB's

The Bank had also trained 508 staff members of Neelachal Gramya Bank and Pandyan Grama Bank through 33 Training Programmes. Of the total staff trained 88 belonged to SC and 3 belonged to ST .

Prospects

The year 2010-11 is expected to witness improved economic performance, revival of export demand and more conducive global economic environment. All these positive features are expected to strengthen the economy and launch it on a higher growth path in the subsequent years.

वर्ष 2009-10 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क. अधिदेशात्मक आवश्यकताएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स सर्व-महत्वपूर्ण संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करता है, जिससे किसी भी संगठन के उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है और उसे प्राप्त करने व उसके कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने का मार्ग निश्चित किया जाता है। स्वस्थ्य कॉर्पोरेट गवर्नेन्स का उद्देश्य कॉर्पोरेट कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने और दीर्घावधि शेयरधारक मूल्य उत्पन्न करने की जिम्मेदारी में अपना उत्तरदायित्व प्रदान करना होता है।

बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुपालन को बिना चूक सुनिश्चित कर रहा है। बैंक हमेशा ही अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेन्स को अपनाने और पालन करने में सक्रिय रहा है। बोर्ड धन एवं स्रोतों के सृजन, संरक्षण एवं उन्हें बढ़ाने के लिए बैंक के सभी हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता है और उन्हें समय-समय पर एवं पारदर्शी तरह से अपने कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट देता है। बैंक को यह प्रयास करना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेन्स को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट सदाचार का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे शेयरधारकों को भी लाभ पहुँचे।

बैंक समग्र गवर्नेन्स प्रक्रिया की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने, प्रभावकारी वित्तीय रिपोर्टिंग व प्रकटन मानदण्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करने और उच्च नीति मानकों का पालन करने के अपने न्यासीय कर्तव्य और जिम्मेदारियों की सराहना करता है।

हमारी कार्पोरेट गवर्नेन्स नीतियाँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं।

⇒ कानून का अक्षरशः अनुपालन हो ।

⇒ पारदर्शी रहना और उच्च प्रकटीकरण स्तर बनाए रखना ।

⇒ बैंक का आंतरिक कामकाज कैसे चलता है उसके बारे में बाहर सही जानकारी देना ।

⇒ जिन देशों में बैंक काम कर रहा है उन सभी देशों के कानून का अनुपालन करना।

⇒ यह समझना कि प्रबंधन जनता की निधियों का केवल न्यासी और संरक्षक है न कि उसका स्वामी ।

बैंक की वर्तमान कार्पोरेट दृष्टि: लाभ व वृद्धि के क्षेत्र में सबसे आगे रहकर ग्राहकों को सुरक्षित तथा नैतिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना। बैंक अपने संसाधनों व प्रबलता और रणनीतियों से इस दृष्टि को प्राप्त करना जारी रखेगा ।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2009-10

A. MANDATORY REQUIREMENTS:

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

Corporate Governance provides the all-important structure through which the objectives of an organization are set as well as determines the means of attaining those objectives and monitoring performance. The primary objective of sound corporate governance is to contribute to improved corporate performance and accountability in creating long term shareholder value.

The Bank has been scrupulously ensuring compliances with norms laid down by regulatory authorities in all areas. The Bank has always been proactive in adopting as well as practicing good Corporate Governance. The Board recognizes its accountability to all stakeholders of the Bank for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner. It is the Bank's endeavour to ensure the implementation of best practices for the purpose of enhancing corporate governance and in turn benefiting shareholder interests.

The Bank appreciates its fiduciary duty and responsibility for ensuring the effectiveness of its overall governance process, for ensuring the maintenance of effective financial reporting and disclosure norms and adherence to high ethical standards.

The Bank's Corporate Governance policies are based on the following principles:

⇒ Satisfy the law both in letter and in spirit

⇒ Be transparent and maintain a high degree of disclosure levels.

⇒ Communicate externally in a truthful manner about how the bank is run internally

⇒ Comply with laws of all the countries in which the Bank operates

⇒ Realise that management is only the trustee and custodian of the public funds and not the owner

The Bank's existing corporate vision: To be a Leader in terms of Profit and Growth and also providing Safe & Ethical Banking Services to Customers. The Bank will continue to focus its resources, strengths and strategies to achieve this vision.

2. निदेशक मंडल

क. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2010 तक बारह सदस्य रहे, जिनमें तीन कार्यपालक पूर्ण कालिक निदेशक हैं व नौ गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें तीन निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं।

ख. वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समिति
1	श्री एस ए भट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	04.06.2007	-
2	श्री जी नारायणन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	07.11.2007	31.10.2009 को सेवानिवृत्त
3	श्री वाई एल मदान	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	16.05.2008	-
4	श्रीमती नूपुर मित्रा	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	07.12.2009	-
5	डॉ.विनीता कुमार	सरकारी नामिती निदेशक	सरकारी गैर-कार्यपालक	10.06.2008	-
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	भा रि बैंक के नामिती निदेशक	गैर कार्यपालक	27.02.2007	-
7	श्री एन श्रीधरन	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	20.04.2007	-
8	श्री जे डी शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	09.03.2006	30.11.2009 को कार्यालय त्याग दिया
9	श्री. के आनंद कुमार	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	26.03.2010	-
10	श्री एम रवींद्र विक्रम	सनदी लेखाकर निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	11.10.2006	10.10.2009 को कार्यालय त्याग दिया
11	श्री बी वी अप्पा राव	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	29.08.2008	-
12	श्री सूरज खत्री	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	26.10.2009	-
13	श्री ए के भार्गव	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008	-
14	डॉ. चिरंजीब सेन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008	-
15	श्री ए वेल्लैयन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008	-

2. BOARD OF DIRECTORS:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The CMD and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2010 is twelve directors comprising three whole time Directors and nine non-executive Directors, which includes three directors elected by the shareholders to duly represent their interest.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2009-2010:

Sl No	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
01	Shri S A Bhat	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	04.06.2007	—
02	Shri G Narayanan	Executive Director	Executive / Whole Time	07.11.2007	31.10.2009 - Retired
03	Shri Y L Madan	Executive Director	Executive / Whole Time	16.05.2008	—
04	Smt.NupurMitra	Executive Director	Executive / Whole Time	07.12.2009	—
05	Dr. Vinita Kumar	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	10.06.2008	—
06	Smt. Chitra Chandramouliswaran	RBI Nominee Director	Non Executive	27.02.2007	—
07	Shri N Sridaran	Workmen Employee Director	Non Executive	20.04.2007	—
08	Shri J D Sharma	Officer Employee Director	Non Executive	09.03.2006	30.11.2009 – demitted office
09	Shri K. Ananda Kumar	Officer Employee Director	Non Executive	26.03.2010	-
10	Shri M. Ravindra Vikram	Chartered Accountant Director Part time – Non official	Non Executive	11.10.2006	10.10.2009 – demitted office
11	Shri B V Appa Rao	Director/ Part-time Non – Official	Non Executive	29.08.2008	—
12	Shri Sooraj Khatri	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	26.10.2009	-
13	Shri A.K. Bhargava	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	—
14	Dr. Chiranjib Sen	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	—
15	Shri A Vellayan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	—

बैंक के निदेशकों का प्रोफाइल अनुबंध में दिया गया है ।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं या बैंक के किसी कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं हैं ।

मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और अ.व.प्र.नि से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड सेवा विभाग से जुड़े श्री के सुंदर राजन, उप महा प्रबंधक अर्हता प्राप्त कंपनी सचिव हैं और डॉ गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार वे बोर्ड के भी सचिव हैं ।

ग. निदेशक मंडल की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को कार्यसूची के सभी मदों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है ताकि वे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकें। समीक्षा वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कम-से-कम तिमाही में एक बैठक के हिसाब से, वर्ष में न्यूतम छ: बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 12 बैठकें हुई ।

- वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों में 12 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	स्थान
1	04.05.2009	चेन्नै
2	13.06.2009	चेन्नै
3	05.07.2009	चेन्नै
4	29.07..2009	दिल्ली
5	18.08.2009	चेन्नै
6	22.09.2009	चेन्नै
7	29.10.2009	चेन्नै
8	29.11.2009	कोलकाता
9	04.01.2010	चेन्नै
10	28.01.2010	चेन्नै
11	24.02.2010	दिल्ली
12	30.03.2010	मुम्बई

- सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बिना आयोजित की गईं।

- मंडल की उक्त बैठकों और दिनांक 04.07.2009 को आयोजित पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other or related to any of the employees of the bank.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the CMD confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri K Sundar Rajan, Deputy General Manager, a qualified Company Secretary, attached to Board Services Department, is also the Secretary to the Board, in accordance with the recommendations of the Dr. Ganguly Committee.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 12 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

- During the financial year 2009-10, the Board meetings were held 12 times on the following dates and places :

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	04.05.2009	Chennai
02	13.06.2009	Chennai
03	05.07.2009	Chennai
04	29.07.2009	Delhi
05	18.08.2009	Chennai
06	22.09.2009	Chennai
07	29.10.2009	Chennai
08	29.11.2009	Kolkata
09	04.01.2010	Chennai
10	28.01.2010	Chennai
11	24.02.2010	Delhi
12	30.03.2010	Mumbai

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on 04.07.2009 are furnished below:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	भाग ली गई बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति
1	श्री एस. ए. भट, अ व प्र नि	12/12	हाँ
2	श्री जी. नारायणन	07/07	हाँ
3	श्री वाई. एल. मदान	10/12	नहीं
4	श्रीमती नूपुर मित्रा	04/04	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
5	डॉ. विनीता कुमार	07/12	नहीं
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	11/12	नहीं
7	श्री एन. श्रीधरन	12/12	हाँ
8	श्री जे. डी. शर्मा	07/07	हाँ
9	श्री.के आनंद कुमार	01/01	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
10	श्री एम. रवींद्र विक्रम	06/06	हाँ
11	श्री सूरज खत्री	06/06	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
12	श्री बी. वी. अप्पा राव	11/12	हाँ
13	श्री ए. के. भार्गव	11/12	हाँ
14	डॉ. चिरंजीब सेन	09/12	नहीं
15	श्री ए. वेल्लैयन	03/12	हाँ

घ. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य अध्यक्ष हैं :

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों को छोडकर) जिनमें वे सदस्य /अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोडकर बोड	समितियों की संख्या जिसमें वे सदस्य हैं (आइ ओ बी को छोडकर)
श्री ए के भार्गव	03 - सदस्य	01- अध्यक्ष 02 - सदस्य
श्री ए वेल्लैयन	02 - अध्यक्ष 01 - सदस्य	06 - सदस्य
डॉ.चिरंजीब सेन	01 - सदस्य	शून्य

ङ. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं । (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(1) (सी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है ।

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया में सुविधा तेजी लाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं । हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है ।

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings attended/Held	Attendance in the last AGM
01	Shri. S A Bhat, CMD	12 / 12	Yes
02	Shri G Narayanan	07 / 07	Yes
03	Shri Y L Madan	10 / 12	No
04	Smt. Nupur Mitra	04/04	Appointed after the date of AGM
05	Dr. Vinita Kumar	07/12	No
06	Smt. Chitra Chandramouliswaran	11/12	No
07	Shri N Sridaran	12/12	Yes
08	Shri J D Sharma	07/07	Yes
09	Shri.K.Ananda Kumar	01/01	Appointed after the date of AGM
10	Shri M. Ravindra Vikram	06/06	Yes
11	Shri Sooraj Khatri	06/06	Appointed after the date of AGM
12	Shri B V Appa Rao	11/12	Yes
13	Shri A K Bhargava	11/12	Yes
14	Dr. Chiranjib Sen	09/12	No
15	Shri A Vellayan	03/12	Yes

d. Number of other Boards or Board committees in which the Director is a member / Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies) in which he/she is a member/Chairperson of the Board (excluding alternate/ nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri A.K. Bhargava	03 – Member	01 - Chairman 02 - Member
Shri A Vellayan	02 - Chairman 01 - Member	06 - Member
Dr. Chiranjib Sen	01 - Member	Nil

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(1)(C) of the listing agreement, the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation and the minutes thus approved, are placed before the Board Meeting for their information.

• 3.1 मंडल की प्रबंधन समिति (एम सी बी)

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के निम्नानुसार कार्य एवं कर्तव्य हैं :

क. उधार प्रस्तावों को स्वीकृत करना (निधि आधारित और गैर निधि आधारित)

ख. ऋण और ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव

ग. पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव

घ. परिसर किराए पर लेने और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव, परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के व्यतिक्रम सहित

च. वाद/अपील दायर करना, उनपर प्रतिवाद करना इत्यादि

छ. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी सहित निवेश करना

ज. दान

झ. अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो

मद (क) से (ज), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के विवेकाधिकार के परे प्रस्तावों के संबंध में है।

समिति वर्ष के दौरान 23 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस ए भट अ व प्र नि	अध्यक्ष	04.06.2007		23/23
2	श्री जी नारायणन	सदस्य	07.11.2007	31.10.2009	14/14
3	श्री वाई.एल.मदान	सदस्य	16.05.2008		21/23
4	श्रीमती नूपुर मित्रा	सदस्य	07.12.2009		06/07
5	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	12.07.2007		21/23
6	श्री एम रवीन्द्र विक्रम	सदस्य	11.10.2006	10.10.2009	11/12
7	श्री ए.के.भार्गव	सदस्य	01.12.2008	31.05.2009	
			01.12.2009	31.05.2010	10/11
8	डॉ चिरंजीब सेन	सदस्य	08.12.2008	07.06.2009	
			08.12.2009	07.06.2010	08/11
9	श्री एन.श्रीधरन	सदस्य	22.03.2009	21.09.2009	10/11
10	श्री बी.वी.अप्पा राव	सदस्य	01.06.2009	30.11.2009	10/12
11	श्री ए वेल्लयन	सदस्य	08.06.2009	07.12.2009	00/12
12	श्री सूरज खत्री	सदस्य	29.10.2009	28.04.2010	09/10

• 3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded)

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of CMD.

The committee met 23 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 and the details of number of meetings attended during their tenure by each committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S.A. Bhat, CMD	Chairman	04.06.2007		23/ 23
2.	Shri G. Narayanan	Member	07.11.2007	31.10.2009	14/14
3.	Shri Y L Madan	Member	16.05.2008		21/23
4.	Smt. Nupur Mitra	Member	07.12.2009		06/07
5.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	12.07.2007		21/23
6.	Shri M. Ravindra Vikram	Member	11.10.2006	10.10.2009	11/12
7.	Shri A.K. Bhargava	Member	01.12.2008	31.05.2009	
			01.12.2009	31.05.2010	10/11
7.	Dr. Chiranjib Sen	Member	08.12.2008	07.06.2009	
			08.12.2009	07.06.2010	08/11
8.	Shri N. Sridaran	Member	22.03.2009	21.09.2009	10/11
9.	Shri B.V. Appa Rao	Member	01.06.2009	30.11.2009	10/12
10.	Shri A. Vellayan	Member	08.06.2009	07.12.2009	00/12
11.	Shri Sooraj Khatri	Member	29.10.2009	28.04.2010	09/10

- ## 3.2 मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। समिति में छ: सदस्य हैं- दो कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक, दो गैर सरकारी निदेशक जिनमें से एक सनदी लेखाकार है और भारत सरकार के परिपत्र, दिनांक 18.02.2008 की शर्तों के अनुसार बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (जी) के तहत नामित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मंडल की लेखा परीक्षा समिति में गैर-सरकारी सनदी लेखाकार को शामिल करने हेतु सूचितानुसार एक गैर आधिकारिक सनदी लेखाकार है।

मंडल लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं

- बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करना और मार्गदर्शन देना। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलापों में बैंक का आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक /बाहरी लेखापरीक्षा का अनुवर्तन करना
- बैंक में होनेवाले आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा की समीक्षा करना अनुवर्तन के संदर्भ में प्रणाली, उसकी गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता की समीक्षा करना और विशिष्ट तथा बहुत बडी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की समीक्षा करना
- कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना है और उसकी समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा लाँग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना और वार्षिक/वित्तीय विवरणों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना
- भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों /चिंताजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना

यह समिति विशेषकर निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देती है

⇒ अन्तर - शाखा समंजन खाते

⇒ अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ

- ## 3.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and consists of six members comprising of two EDs, Government director, RBI director, two non-official directors of which one is a Chartered Accountant and non-official Chartered Accountant director nominated under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 in terms of GOI Circular dated 18.02.2008 advising Public Sector Banks to include such Director in the Audit Committee of the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇒ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas

⇒ To review and follow up on the report of the statutory audits, and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.

⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This committee specially focuses on the follow-up of:

⇒ Inter – Branch Adjustment Accounts

⇒ Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts

⇒ विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन

⇒ धोखाधडियों एवं व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सेबी समिति की शर्तों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य /शक्तियाँ सौंपे गए :

- समिति के अधीन किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना ।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना ।
- जरुरत पड़ने पर संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में भी विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, प्रर्याप्त तथा विश्वसनीय है ।
- लेखाकरण नीतियों व आचरणों पर जोर देते हुए, लेखाकरण मानकों का अनुपालन और अन्य कानूनी जरूरतों को पूरा करते हुए वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करने के साथ वित्तीय विवरणों के प्रबंधन की समीक्षा ।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ करना ।
- महत्वपूर्ण स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता या अनियमितता या धोखाधड़ी संबंधी संदेहात्मक मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- लेखा-परीक्षा शुरु होने से पहले लेखा-परीक्षा का स्वरूप और विस्तार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना ।
- कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।

⇒ Arrears in balancing of books at various branches

⇒ Frauds and all other major areas of house – keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

वर्ष के दौरान समिति दिनांक 06.04.2009, 04.05.2009, 29.07.2009, 26.08.2009, 19.09.2009, 29.10.2009, 05.12.2009, 15.12.2009, 28.01.2010 एवं 24.02.2010 को 10 बार मिली।

सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एम.रवींद्र विक्रम	अध्यक्ष	08.12.2007	10.10.2009	04/05
2	श्री जी नारायणन	सदस्य	07.11.2007	31.10.2009	06/06
3	श्री वाई एल मदान	सदस्य	16.05.2008		09/10
4	श्रीमती नुपूर मित्रा	सदस्य	07.12.2009		03/03
5	डॉ.विनीता कुमार	सदस्य	10.06.2008		09/10
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	27.02.2007		09/10
7	श्री ए. वेल्लैयन	सदस्य	09.12.2008	08.12.2010	02/10
8	श्री बी. वी. अप्पा राव	एसीबी की प्रत्येक बैठक में निर्वाचित सदस्य/ अध्यक्ष	11.10.2009	28.08.2011	05/05

• 3.3 जोखिम प्रबंधन समिति

इस समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 1.4.2009 से 31.3.2010 के बीच 6 बार मिली। प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. ए. भट	04.06.2007		6/6
2	श्री जी. नारायणन	01.12.2007	31.10.2009	3/3
3	श्री वाई.एल.मदान	16.05.2008		4/6
4	श्रीमती नुपूर मित्रा	07.12.2009		3/3
5	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007		6/6
6	श्री बी. वी. अप्पा राव	08.12.2008		6/6

• 3.4 बड़ी मूल्यवाली धोखाधडियों के लिए प्रबोधन संबंधी समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। समिति 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान एक बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या।

The committee met 10 times during the year on 06.04.2009, 04.05.2009, 29.07.2009, 26.08.2009, 19.09.2009, 29.10.2009, 05.12.2009, 15.12.2009, 28.01.2010 and 24.02.2010.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The members who held office during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri M. Ravindra Vikram	Chairman	08.12.2007	10.10.2009	04/05
2	Shri G. Narayanan	Member	07.11.2007	31.10.2009	06/06
3	Shri Y L Madan	Member	16.05.2008		09/10
4	Smt. Nupur Mitra	Member	07.12.2009		03/03
5.	Dr. Vinita Kumar	Member	10.06.2008		09/10
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	27.02.2007		09/10
7.	Shri A Vellayan	Member	09.12.2008	08.12.2010	02/10
8.	Shri B.V. Appa Rao	Member/ Chairman elect at each meeting of ACB	11.10.2009	28.08.2011	05/05

• 3.3 Risk Management Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 6 times during the period 01.04.2009 to 31.03.2010. Number of Meetings attended by each Committee Member during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007		6 / 6
2.	Shri G. Narayanan	01.12.2007	31.10.2009	3 / 3
3.	Shri Y L Madan	16.05.2008		4 / 6
4.	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		3 / 3
5.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007		6 / 6
6.	Shri B V Appa Rao	08.12.2008		6 / 6

• 3.4 Committee For Monitoring Large Value Frauds:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met once during the period 01.04.2009 to 31.03.2010. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस.ए. भट	04.06.2007		1/1
2	श्री वाई.एल.मदान	29.11.2008		1/1
3	श्रीमती नुपूर मित्रा	07.12.2009		1/1
4	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008		1/1
5	श्री. ए.के. भार्गव	29.11.2009		1/1
6	श्री ए . वेल्लैयन	29.11.2009		0/1

3.5 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2009 से 31.03.210 की अवधि के दौरान समिति 3 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. ए. भट	04.06.2007		3/3
2	श्री जी. नारायणन	02.01.2008	31.10.2009	2/2
3	श्री वाई. एल. मदान	16.05.2008		3/3
4	श्रीमती नुपूर मित्रा	07.12.2009		1/1
5	डॉ. विनिता कुमार	10.06.2008		2/3
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007		3/3
7	श्री एन. श्रीधरन	20.04.2007		3/3
8	श्री जे. डी. शर्मा	09.03.2006	25.09.2009	2/2
9	श्री बी. वी. अप्पा राव	30.01.2009		3/3

• 3.6 अनुशासानिक मामलों की समीक्षा हेतु सामिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान सामिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. ए. भट	04.06.2007		4/4
2	श्री जी. नारायणन	01.12.2007	31.10.2009	2/2
3	श्री वाई. एल. मदान	16.05.2008		4/4
4	श्रीमती नुपूर मित्रा	07.12.2009		2/2
5	डॉ. विनिता कुमार	10.06.2008		3/4
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007		4/4

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A . Bhat	04.06.2007		1 / 1
2.	Shri Y L Madan	29.11.2008		1 / 1
3.	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		1 / 1
4.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008		1 / 1
5.	Shri A.K. Bhargava	29.11.2009		1 / 1
6	Shri A Vellayan	29.11.2009		0 / 1

• 3.5 Customer Service Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 3 times during the period 01.04.2009 to 31.03.2010. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007		3 / 3
2.	Shri G. Narayanan	02.01.2008	31.10.2009	2 / 2
3.	Shri Y L Madan	16.05.2008		3/ 3
4.	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		1 / 1
5.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008		2/ 3
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007		3 / 3
7.	Shri N. Sridaran	20.04.2007		3 / 3
8.	Shri J.D. Sharma	09.03.2006	25.09.2009	2 / 2
9.	Shri B V Appa Rao	30.01.2009		3/ 3

• 3.6 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 4 times during the period 01.04.2009 to 31.03.2010. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007		4 / 4
2.	Shri G. Narayanan	01.12.2007	31.10.2009	2 / 2
3.	Shri Y L Madan	16.05.2008		4 / 4
4.	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009		2 / 2
5.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008		3/ 4
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007		4 / 4

- ## 3.7 संपर्ककर्ता खातों की स्थापना के लिए समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान समिति 2 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री एस. ए. भट	04.06.2007		2/2
2.	श्री जी. नारायणन	01.12.2007	31.10.2009	1/1
3.	श्री वाई. एल. मदान	30.05.2008		2/2
4.	श्री ए. के. भार्गव	09.12.2008		2/2
5.	श्री बी. वी. अप्पा राव	09.12.2008		2/2

- ## 3.8 पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैंठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) पत्र एफ.सं.20/01/2005-बीओ-1, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन का मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति "पारिश्रमिक समिति" गठित की गई है।

समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं :

1. श्री एम.रवीन्द्र विक्रम - अध्यक्ष
2. डॉ. विनीता कुमार
3. श्रीमती. चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन
4. श्री ए. के. भार्गव

समिति दिनांक 04.05.2009 को एक बार मिली और समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

- ## 3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01.11.2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय 'योग्य तथा उचित' हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति / कार्यविधि तथा मांनदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

- ## 3.7 Committee For Establishment Of Correspondent Accounts:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 2 times during the period 01.04.2009 to 31.03.2010. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A Bhat	04.06.2007		2 / 2
2.	Shri G. Narayanan	01.12.2007	31.10.2009	1 /1
3.	Shri Y L Madan	30.05.2008		2 / 2
4.	Shri A.K. Bhargava	09.12.2008		2 / 2
5.	Shri B V Appa Rao	09.12.2008		2 / 2

- ## 3.8 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 20 / 1 / 2005 – BO-I dated 09.03.2007.

The members of the Committee are :-

1. Shri M Ravindra Vikram – Chairman
2. Dr. Vinita Kumar
3. Smt. Chitra Chandramouliswaran
4. Shri A.K. Bhargava

The Committee met once on 04.05.2009 and all members of the Committee have attended the meeting.

- ## 3.9 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01 11 2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेश दिया है कि “योग्य तथा उचित” मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) - दोनों वर्तमान तथा भविष्य में भी लागू किया जाए।

समिति उचित समय पर गठित की जाएगी।

4. शेयरधारकों की समितियाँ

क. शेयरधारक शिकायत समिति

दिनांक 25.11.2008 को आयोजित ईजीएम में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के बाद अप्रैल 2001 को गठित शेयरधारकों की शिकायत समिति का अंतिम बार पुनर्गठन निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 29.12.2008 को किया।

अभी समिति के अध्यक्ष श्री ए.वेल्लयन हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक हैं । 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं। समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री ए.वेल्लयन	08.12.2008		2/4
2.	श्री जी.नारायणन	01.04.2008	31.10.2009	2/2
3.	श्री वाई.एल.मदान*	29.05.2008		1/1
4.	श्रीमती नुपूर मित्रा**	07.12.2009		1/1
5.	डॉ.चिरंजीब सेन	08.12.2008		3/4

* श्री जी. नारायणन, कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

** श्री वाई.एल.मदान, कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयरधारकों की शिकायत समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयरधारक शिकायत व उनके निवारण संबंधी प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धति का आवधिक अंतरालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत समिति ने श्री वी. सुरेश, कार्यरत कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समिति की प्रत्येक बैठक में उनकी तिमाही रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

ख. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, शेयरधारक निदेशक और मंडल

RBI has directed that the “Fit and Proper” criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The committee would be constituted at an appropriate time.

4. SHAREHOLDERS’ COMMITTEES:

a. Shareholders Grievance Committee:

The Shareholders Grievance Committee, constituted in April 2001, was last reconstituted by the Board on 29.12.2008, consequent to the election of Shareholder Directors at the EGM held on 25.11.2008.

At present, the Chairman of the Committee is Shri A Vellayan and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 4 times during the period 01.04.2009 to 31.03.2010. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri A.Vellayan	08.12.2008		2/4
2.	Shri G Narayanan	01.04.2008	31.10.2009	2/2
3.	Shri Y L Madan*	29.05.2008		1/1
4.	Smt. Nupur Mitra**	07.12.2009		1/1
5.	Dr. Chiranjib Sen	08.12.2008		3/4

* Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee In the absence or inability of Shri G Narayanan, ED to attend meetings.

** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee in the absence or inability of Shri Y.L.Madan, ED to attend meetings.

The Shareholders’ Grievance Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri V Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

b. Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director or in his absence the

द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को निर्गत करने, ट्रांसपोसिशन, डी मेट/ रीमेट आदि को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 23 बार मिली और बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए बैठकों की सं.
1.	श्री जी.नारायणन	01.04.2008	31.10.2009	11/11
2.	श्री वाई.एल.मदान*	29.05.2008		11/11
3.	श्रीमती नुपूर मित्रा**	07.12.2009		01/01
4.	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	29.10.2009	29.03.2010	10/10
5.	श्री ए.वेल्लयन	08.12.2008	04.05.2009	02/02
6.	श्री जे.डी.शर्मा	09.03.2006	25.09.2009	09/10
7	डॉ.चिरंजीब सेन	04.05.2009		16/21
8	श्री के. आनन्द कुमार	30.03.2010		01/01

* अ. व. प्र. नि. या श्री जी. नारायणन, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

**अ. व. प्र. नि. या श्री वाई.एल.मदान, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयर अंतरण समिति ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, समेकन, स्प्लिट, डूप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि के संबंध में अपनाई गई पद्धति की जाँच करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए कार्यरत कंपनी सचिव श्री वी. सुरेश को नियुक्त किया। उनका कार्य 01.01.2005 से आरंभ हुआ और उनकी पाक्षिक रिपोर्ट पर समिति की हर बैठक में विचार किया गया । अंतरण का कोई भी अनुरोध एक माह से अधिक लंबित नहीं है।

ग. अनुपालन अधिकारी :

सूचीबद्ध अनुबंध के खण्ड 47 के अनुसार श्री के. सुन्दर राजन, उप महा प्रबंधक तथा कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एकस्चेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से अनुपालन अधिकारी हैं ।

Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat / remat etc., The committee met 23 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri G Narayanan	01.04.2008	31.10.2009	11 / 11
2	Shri Y L Madan *	29.05.2008		11/ 11
3	Smt. Nupur Mitra**	07.12.2009		01/ 01
4	Smt Chitra Chandramouliswaran	29.10.2009	29.03.2010	10 / 10
5	Shri A Vellayan	08.12.2008	04.05.2009	02 / 02
6	Shri J. D. Sharma	09.03.2006	25.09.2009	09 / 10
7	Dr. Chiranjib Sen	04.05.2009		16 / 21
8	Shri K. Ananda Kumar	30.03.2010		01 / 01

*Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD or Shri G Narayanan, ED to attend meetings.

**Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of Shri.Y.L.Madan, ED to attend meetings.

The Share Transfer Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01.01.2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than one month.

c. Compliance Officer :

In terms of clause 47 of the listing agreement, Shri K Sundar Rajan, Deputy General Manager and Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

घ. शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त व दूर की गई तथा विचाराधीन शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	शिकायत की प्रकृति	01.04.2009 तक लंबित	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2010 तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	वापसी आदेश और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	25	25	शून्य
2.	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	1104	1104	शून्य
3.	सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों और ग्राहक शिकायत निवारण फोरम की शिकायतें	01	30	31	शून्य
4.	विविध (पते में परिवर्तन , बैंक अधिदेश , डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायतें)	शून्य	57	57	शून्य
	कुल	01	1216	1217	शून्य

ङ सूचीबद्ध करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसार हमने शेयरधारकों को सूचित किया हैं कि अन्य ई मेल आइ डी investorcomp@iobnet.co.in दी गई है और हमारे उप महाप्रबंधक और कंपनी सचिव श्री के सुन्दर राजन को निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने और निवारण करने के लिए विशेष रूप से अनुपालन अधिकारी के रूप मे भी नामित किया गया है । हमने यह ई मेल आई डी और अन्य संबंधित ब्यौरे प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं। सहायक महा प्रबंधक जो निवेशक संपर्क कक्ष के प्रमुख हैं निवेशक संबंधी शिकायतों का निवारण करते हैं।

5. अन्य समितियां

विभिन्न अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति , निवेश पुनरीक्षण समिति , उच्च प्रबंधन समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कार्यपालक निदेशक महाप्रबंधकों के साथ विभाग कार्यपालक शामिल हैं , जिसे दैनिक कार्यों तथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा निगरानी तथा प्रबोधन करने के लिए गठित किया गया हैं।

6. सामान्य सभा की बैठकें

क. स्थान व समय जहॉ पिछली तीन बैठकें आयोजित की गई :

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	7 वीं ए जी एम	12.06.2007, मंगलवार, 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टी टी के रोड , चेन्नै 600018
2	8 वी ए जी एम	14.06.2008, शनिवार, 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टी टी के रोड , चेन्नै 600018
3	9 वीं ए जी एम	04.07.2009 शनिवार , 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टी टी के रोड , चेन्नै 600018

d. Shareholders Complaints :

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

SL No.	NATURE OF COMPLAINT	PENDING AS ON 01.04.2009	RECEIVED	REDRESSED	PENDING AS ON 31.03.2010
01	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	25	25	Nil
02	Non receipt of Dividend	Nil	1104	1104	Nil
03	Complaints to SEBI / Stock Exchanges and Consumer Redressal Forum	01	30	31	Nil
04	Miscellaneous (complaints reg. change of address, bank mandate, demat requests etc.)	Nil	57	57	Nil
	Total	01	1216	1217	Nil

e. In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@iobnet.co.in** has been allotted and our Deputy General Manager and Company Secretary Shri K Sundar Rajan, is also the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager handles the redressal of investor complaints.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, Top Management Committee comprising CMD, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	7th AGM	12 06 2007 Tuesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
2	8th AGM	14 06 2008 Saturday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
3	9th AGM	04 07 2009 Saturday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018

ख. पिछले तीन ए जी एम मे कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए ।

ग. कोई डाक मतदान नहीं था ।

घ. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं :

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	पहली ई जी एम	07.12.2002शनिवार , सुबह 11.00 बजे	रानी सीतै हाल 603 अण्णा सालै , चेन्नै 600 006
2	दूसरी ई ए जी एम	30.11.2005, बुधवार , सुबह 11.00 बजे	रानी सीतै हाल 603 अण्णा सालै , चेन्नै 600 006
3	तीसरी ई जी एम	25.11.2008 मंगलवार, सुबह 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टी टी के रोड , चेन्नै 600 018

7. प्रकटीकरण

क. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत किया जाता है। वर्ष 2009-10 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत हैं :

क्र. सं .	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक का विवरण	रकम (रु.)
1	श्री एस. ए. भट	अ व प्र नि	वेतन व भत्ते , बकाये सहित	16,41,058.00
			निष्पादन प्रोत्साहन	7,00,000.00
2	श्री वाई. एल .मदान	कार्यपालक निदेशक	वेतन व भत्ते, बकाये सहित	12,00,254.09
			निष्पादन प्रोत्साहन	4,82,192.00
3	श्रीमती नूपुर मित्रा	कार्यपालक निदेशक	वेतन व भत्ते,	3,14,222.57
4	श्री जी. नारायण	कार्यपालक निदेशक (सेवा निवृत्त)	वेतन व भत्ते, बकाये सहित	8,54,028.00
			निष्पादन प्रोत्साहन	5,50,000.00
5	श्री ए. वी . दुगाड़े	कार्यपालक निदेशक (सेवा निवृत्त)	वेतन बकाया	8,00,720.99
6	श्री ए आर नागप्पन	कार्यपालक निदेशक (सेवा निवृत्त)	वेतन बकाया	72,302.63

b. No special resolutions were put through in the last three AGMs

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	1st EGM	07.12.2002 Saturday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
2	2nd EGM	30.11.2005 Wednesday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	3rd EGM	25.11.2008 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018

7. DISCLOSURES:

a. The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. Details of remuneration paid to Whole Time Directors during the year 2009-10 are as follows :

Sl. No.	Name	Designation	Details of Remuneration	Amount (Rs.)
1.	Shri S A Bhat	CMD	Salary & Allowances including arrears	16,41,058.00
			Performance Incentive	7,00,000.00
2.	Shri Y L Madan	ED	Salary & Allowances Including Arrears	12,00,254.09
			Performance Incentive	4,82,192.00
3.	Smt. Nupur Mitra	ED	Salary & Allowances	3,14,222.57
4.	Shri G Narayanan	ED (Retired)	Salary & Allowances including arrears	8,54,028.00
			Performance Incentive	5,50,000.00
5.	Shri A V Dugade	ED (Retired)	Salary Arrears	8,00,720.99
6.	Shri A R Nagappan	ED (Retired)	Salary Arrears	72,302.63

बैंक स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं देता , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल प्रतिभागिता शुल्क दिया जाता है यथा बोर्ड की बैंठकों के लिए प्रति बैठक रु. 5000/- और समिति की बैठकों के लिए प्रति बैठक रु. 2500/- दिया जाता है ।

ख. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

ग. बैंक के निदेशकों , प्रबंधन उनकी अनुषंगी इकाइयों या संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

घ. स्टाक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2010 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है ।

च. फिलहाल बैंक की चेतावनी नीति नहीं है । फिर भी लेखा परीक्षा समिति से मिलने से किसी को मना नहीं किया गया।

छ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

ज. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है।

झ. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रति संलग्न है।

ट. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के माध्यम

क. बैंक के तिमाही अलेखा वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । बैंक सभी शेयर धारकों को छमाही परिणाम भेजता रहा है ।

The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees as per the Govt. of India guidelines, for Board Meetings – Rs. 5000/- per meeting and for Committee meetings – Rs. 2500/- per meeting.

b. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel ie. Whole Time Directors are being reviewed on a half yearly basis by the Audit Committee of the Board.

c. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

d. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31 03 2010.

e. Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

f. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/ directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.

g The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

i. In terms of clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the statutory central auditors on corporate governance in the Bank for the year 2009-10 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending half yearly results to all the shareholders.

ख. सूचिबद्ध करार के खण्ड 41 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गये हैं तथा प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2009	द हिंदु - बिज़नेस लाइन	दिनकरन (तमिल)	05.05.2009
30.06.2009	द फइनानशियल एक्स्प्रेस	दिनमलर (तमिल)	30.07.2009
30.09.2009	द हिंदु - बिज़नेस लाइन	दिन तंदी (तमिल)	30.10.2009
31.12.2009	द हिंदु - बिज़नेस लाइन	दिनकरन (तमिल)	29.01.2010

ग. तिमाही परिणाम बैंक के वेबसाइट www.iob.com में भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. एजीएम: तारीख, समय और स्थान:

दिनांक	20.07.2010
समय	सुबह 10.00 बजे
स्थान	नारद गान सभा (सद्गुरु ज्ञानानंद हॉल) 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018

ख. वित्तीय वर्ष:

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010

ग. बही बंद करने की तारीख:

लाभांश के प्रयोजन हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए

29.05. 2010 से 04.06.2010(दोनों दिन शामिल हैं)

घ. लाभांश भुगतान तारीख:

30.07.2010 को या उसके बाद शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की शर्त पर

ङ अदत्त लाभांश :

16 10 2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the listing agreement. The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Regional Daily	Date of publication
31.03.2009	The Hindu - Business Line	Dinakaran (Tamil)	05 05 2009
30.06.2009	The Financial Express	Dinamalar (Tamil)	30 07 2009
30.09.2009	The Hindu - Business Line	Dinathanthi (Tamil)	30 10 2009
31.12. 2009	The Hindu - Business Line	Dinakaran (Tamil)	29 01 2010

c. The quarterly results are also being displayed on the Bank's web-site www.iob.com.

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a. AGM: Date, Time and Venue:

Date	20.07.2010
Time	10.00 A.M.
Venue	Narada Gana Sabha (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road,Chennai 600 018

b. Financial Year:

01st April 2009 to 31st March 2010

c. Date of Book Closure:

29.05.2010 to 04.06.2010 (Both days inclusive) for determining eligibility for the purpose of dividend.

d. Dividend Payment Date:

On or after 30.07.2010 subject to declaration of dividend by shareholders.

e. Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16 10 2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

⇒ घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाते में पड़ी है, उसे "........वर्ष के लिए आइ ओ बी के अदत्त लाभांश खाते" नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।

⇒ अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी रकम जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी हैं, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 के 205(1)(सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है।

तद्नुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया हैं और अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावित हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04(आइ)	04.12.2006
2003-04(एफ)	04.12.2006
2004-05(आइ)	09.12.2006
2004-05(एफ)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूची बद्ध किए गए हैं:

स्टाक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज**	आइओबी
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज	532388
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

⇒ Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed /claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____"

⇒ Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205(1)(C) of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such monies which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund :

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (I)	04.12.2006
2003-04 (F)	04.12.2006
2004-05 (I)	09.12.2006
2004-05 (F)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Madras Stock Exchange Ltd.**	I O B
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

** दिनांक 14 जून 2008 को आयोजित 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों ने बैंक के शेयरों को मद्रास स्टॉक एकस्चेंज लिमिटेड की सूचीबद्धता से हटा लेने के संबंध में सर्वसम्मत संकल्प पारित किया। तदनुसार बैंक शेयरों को हटा देने के लिए एमएसई को 2008 में आवेदन दिया गया है और वे उसका संसाधन कर रहे हैं।

मद्रास स्टॉक एक्सचेंज के अलावा स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2009-10 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।चूँकि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज , चेन्नै के पास हमारा सूची से हटाने संबंधी आवेदन अभी भी लंबित है , वर्ष 2009- 10 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान दिनांक 31.03.2010 को कर दिया गया है ।

प्राधिकृत पूँजी में बढ़ोतरी

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 3(2ए) के अनुपालन में भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना एस ओ सं 3123 और एस ओ सं 3124 दिनांकित 10 नवंबर 2009 के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों मे प्राधिकृत पूँजी को रु. 1500 करोड़ से बढ़कर रु. 3000 करोड़ कर दिया गया है । अत: 10 नवंबर 2009 से हमारे बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 1500 करोड़ से बढ़कर रु. 3000 करोड़ हो गयी ।

छ. बाजार मूल्यों के आँकडे

अवधि माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उच्च(रु)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निम्न (रु)	बांबे स्टॉक एक्सचेंज उच्च (रु)	बांबे स्टॉक एक्सचेंज निम्न (रु)
अप्रैल 2009	72.00	**45.00**	72.00	**45.15**
मई 2009	92.95	59.30	92.90	59.75
जून 2009	97.30	78.25	98.00	78.50
जुलाई 2009	92.00	75.30	91.70	75.10
अगस्त 2009	91.35	77.95	91.75	78.00
सितम्बर 2009	129.15	83.20	128.80	84.00
अक्तूबर 2009	**140.90**	100.00	**141.00**	100.00
नवम्बर 2009	122.90	97.00	123.15	97.05
दिसम्बर 2009	121.00	105.25	121.00	105.00
जनवरी 2010	116.40	88.20	116.50	88.70
फरवरी 2010	94.80	81.35	95.10	84.80
मार्च 2010	96.30	84.00	96.50	86.95

2009-10 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं ।

** The shareholders of our Bank at the 8th Annual General Meeting held on 14th June, 2008 had unanimously passed a resolution approving the delisting of the Bank's shares from Madras Stock Exchange Limited. An application for delisting of the Bank's shares has accordingly been submitted to MSE in 2008 and the same is being processed by MSE.

Annual listing fee for the year 2009-10 has been paid to the stock exchanges except Madras Stock Exchange within the prescribed due dates. As our delisting application is still pending with Madras Stock Exchange, Chennai, Annual Listing Fee for the year 2009-10 has been paid on 31.03.2010.

Increase in Authorised Capital:

Pursuant to Section 3 (2-A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the Government of India has, vide GOI Notification S.O. No. 3123 and S.O. No. 3124 dated November 10, 2009, increased the Authorised Capital of Nationalised Banks from Rs. 1500 crores to Rs. 3000 crores. Thus with effect from November 10, 2009, our Bank's Authorised Capital of Rs. 1500 crores stands increased to Rs. 3000 crores.

g. Market price data:

Period - Month	National Stock Exchange High (Rs)	National Stock Exchange Low (Rs)	Bombay Stock Exchange High (Rs)	Bombay Stock Exchange Low (Rs)
Apr 2009	72.00	**45.00**	72.00	**45.15**
May 2009	92.95	59.30	92.90	59.75
Jun 2009	97.30	78.25	98.00	78.50
Jul 2009	92.00	75.30	91.70	75.10
Aug 2009	91.35	77.95	91.75	78.00
Sep 2009	129.15	83.20	128.80	84.00
Oct 2009	**140.90**	100.00	**141.00**	100.00
Nov 2009	122.90	97.00	123.15	97.05
Dec 2009	121.00	105.25	121.00	105.00
Jan 2010	116.40	88.20	116.50	88.70
Feb 2010	94.80	81.35	95.10	84.80
Mar 2010	96.30	84.00	96.50	86.95

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares during the year 2009-10 on the respective Stock Exchanges.

01-04-2009 से 31-03-2010 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

Equity performance in comparison to BSE SENSEX during 01.04.2009 to 31.03.2010

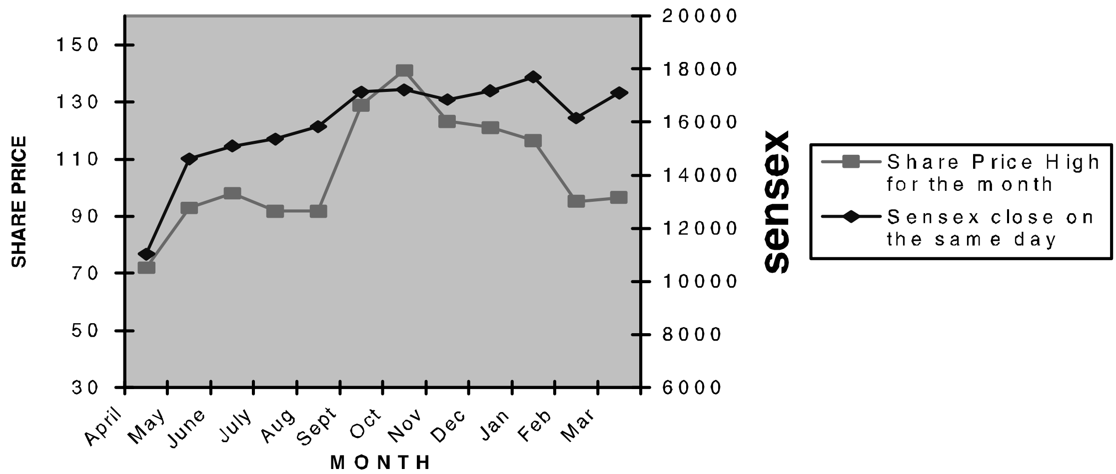

01-04-2009 से 31-03-2010 के दौरान एनएसई निफ़्टी की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2009 to 31.03.2010

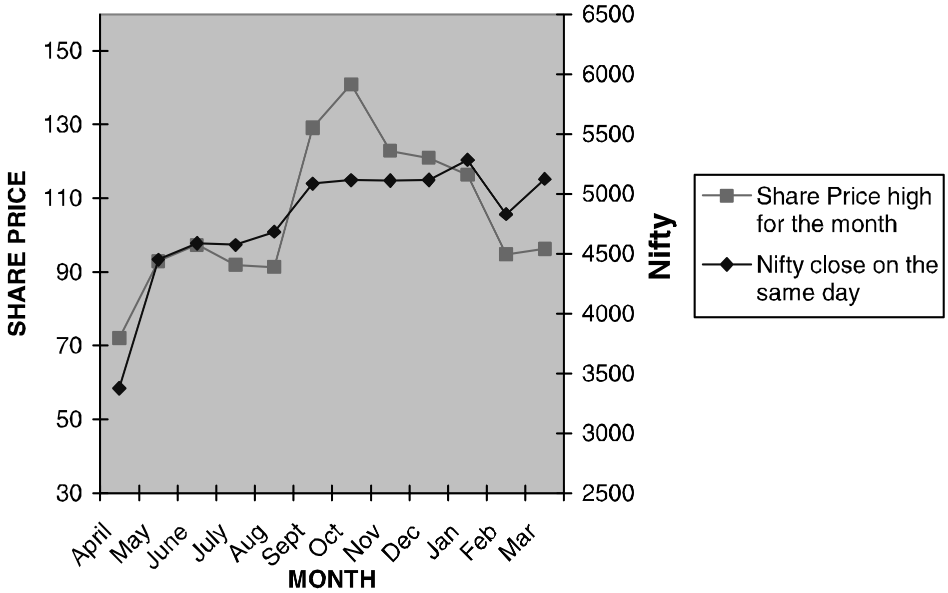

झ. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेण्ट:

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नइ - 600 002
टेलिफोन - 28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ञ. शेयर अंतरण प्रणाली:

अंतरण, प्रेषण, स्थानांतरण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विभाजन, समेकन, रीमेट, नाम परिवर्तन आदि के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए हमारे बैंक में बोर्ड की एक उप समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी गैर हाज़िरी में कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे। शेयरधारक निदेशक (डॉ . चिरंजीब सेन) और बोर्ड द्वारा नामित निदेशक (श्री ए आनंद कुमार) समिति के अन्य सदस्य हैं।

ट. 31.03.2010 तक शेयरधारण का वितरण:

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तक का धारण		
1.	भारत सरकार	333600000	61.23
	उप योग	**333600000**	**61.23**
	गैर-प्रवर्तक का धारण		
2.	संस्थागत निवेशक		
	क. म्यूचुअल फण्ड्स, एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	3085335	0.57
	ख. बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	27123191	4.98
	ग. बीमा कंपनियाँ	43398235	7.97
	घ. विदेशी संस्थागत निवेशक	46099394	8.46
	उप योग	**119706155**	**21.98**
3.	अन्य		
	क. निजी नैगम निकाय	11264365	2.07
	ख. वैयक्तिक	74612990	13.70
	ग. अन्य	5616490	1.02
	उप योग	**91493845**	**16.79**
कुल योग		**544800000**	**100.00**

i. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com

j. Share Transfer System:

Our bank has a Sub-Committee of the Board for considering the requests received from shareholders for transfer, transmission, transposition, issuance of duplicate share certificates, splitting, consolidation, remat, name change etc. The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director is Chairman of the Committee. The other members of the committee are: a Shareholder Director (Dr. Chiranjib Sen) and a Director nominated by the Board (Shri K Ananda Kumar).

k. Distribution of shareholding as on 31.03.2010:

Sl. No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	333600000	61.23
	Sub-Total	**333600000**	**61.23**
	NON-PROMOTERS HOLDING		
2	Institutional Investors		
	A Mutual funds and UTI	3085335	0.57
	B Banks, Financial Institutions	27123191	4.98
	C Insurance Companies	43398235	7.97
	D Foreign Institutional Investors	46099394	8.46
	Sub-Total	**119706155**	**21.98**
3	OTHERS		
	A Private Corporate Bodies	11264365	2.07
	B Individuals	74612990	13.70
	C Others	5616490	1.02
	Sub-total	**91493845**	**16.79**
GRAND TOTAL		**544800000**	**100.00**

ठ. 31.03.2010 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल सं.का %	प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयर मूल्य (अंकित मूल्य)	कुल सं का %
204593	87.17	Upto 5000	363251070	6.67
21073	8.98	5001 – 10000	177231840	3.25
5861	2.50	10001 – 20000	83602520	1.53
1174	0.50	20001 – 30000	29452770	0.54
542	0.23	30001 – 40000	19442150	0.36
342	0.15	40001 – 50000	16126110	0.30
526	0.22	50001 – 100000	38506560	0.71
586	0.25	100001 and above	4720386980	86.64
234697	100.00	TOTAL	5448000000	100.00

ड. 31.03.2010 तक विदेशी शेयर धारण

क्रम सं.	संवर्ग	31 03 2009 तक शेयरों की सं	कुल पूंजी की तुलना में %	31 03 2010 तक शेयरों की सं	कुल पूंजी की तुलना में %
01	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	42710024	7.84	46099394	8.46
02	ओ सी बी	48000	0.01	48000	0.01
03	अनिवासी	3645120	0.67	4433117	0.81
	कुल	46403144	8.51	50580511	9.28

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2010 तक कुल विदेशी शेयरधारण (अनिवासी, ओ सी बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 9.28% था जो कि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ढ. 31.03.2010 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के महामहिम राष्ट्रपति - भारत सरकार	333600000	61.23
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	39648523	7.28
3	भारतीय जीवन बीमा निगम - मार्केट प्लस	10632813	1.95
4	सिटी ग्रूप ग्लोबल मार्केट्स मारिशियस प्राइवेट लिमिटेड	7734840	1.42
5	भारतीय जीवन बीमा निगम - प्रॉफिट प्लस	6515555	1.20

ण. शेयर प्रमाण-पत्रों का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तिकरण के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति

l. Distribution schedule as on 31.03.2010

No. of share holders	% to total no. of share holders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
204593	87.17	Upto 5000	363251070	6.67
21073	8.98	5001 – 10000	177231840	3.25
5861	2.50	10001 – 20000	83602520	1.53
1174	0.50	20001 – 30000	29452770	0.54
542	0.23	30001 – 40000	19442150	0.36
342	0.15	40001 – 50000	16126110	0.30
526	0.22	50001 – 100000	38506560	0.71
586	0.25	100001 and above	4720386980	86.64
234697	100.00	TOTAL	5448000000	100.00

m. Foreign Shareholding as on 31.03.2010

Sl No	Category	As on 31 03 2009 No of shares	% To total capital	As on 31 03 2010 No of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors (FIIs)	42710024	7.84	46099394	8.46
2	OCBs	48000	0.01	48000	0.01
3	NRIs	3645120	0.67	4433117	0.81
	Total	46403144	8.52	50580511	9.28

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs) as at 31.03.2010 was 9.28% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.\

n. Top five shareholders of the bank as on 31.03.2010:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
1	HE The President of India - The Government of India	333600000	61.23
2	Life Insurance Corporation of India	39648523	7.28
3	LIC of India – Market Plus	10632813	1.95
4	Citigroup Global Markets Mauritius Private Limited	7734840	1.42
5	Life Insurance Corporation of India – Profitplus	6515555	1.20

o. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities

डिपॉजिटरी. लि. (एन एस डी एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सी डी एस एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014।

31.03.2010 तक 54.48 करोड़ ईक्विटी शेयरों में से, 50.80 करोड़ शेयर या 93.25% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है और 3.68 करोड़ शेयर या 6.75% भौतिक रूप में हैं (जिसमें से भारत सरकार 33.36 करोड़ शेयर धारित करता है जो कि औसतन 61.23% है। भारत सरकार की शेयरधारिता मार्च 2008 में अमूर्तिकृत की गई।)

त. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

थ. बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए है:31-03-2010 तक ऐसे बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार है:

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोडों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	प्रत्यावर्तन की तारीख
टायर II					
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
बीएचओबी **	20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
उच्च टायर II					माँग विकल्प तारीख
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
टायर 1 (बेमियादी)					माँग विकल्प तारीख
i	31.03.2006	200.00	@ बेमियादी	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@ बेमियादी	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@ बेमियादी	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@ बेमियादी	09.30	@29.09.2019
	कुल	4871.30			

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा।

Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2010, out of 54.48 crore equity shares, 50.80 crore shares or 93.25% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 33.36 crore shares aggregating to 61.23% - GOI's shareholding was dematerialized in March 2008) and 3.68 crore shares or 6.75% are in physical form.

p. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

q. The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2010 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs in crores)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Tier II					
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
BhoB **	20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
Upper Tier II					Call Option date
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
Tier I (Perpetual)					Call Option date
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
	TOTAL	4871.30			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

**इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ भारत ओवरसीज़ बैंक के विलयन के फलस्वरूप भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड (बीएचओबी) द्वारा जारी किए गए टायर II बॉण्ड आइओबी द्वारा अधिगृहीत किए गए। 31-03-2010 तक वर्तमान बकाया उक्त निर्गम में विलयन के समय रु.4 करोड़ के हमारे निवेश का समंजन करने के बाद है।

द. पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, I मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़, चेन्नै- 600 002
टेलिफोन - 044 - 28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नै -600 002
टेलिफोन : 044 - 28519491, 28415702, 28889392
फैक्स : 044 - 28585675
ई.मेल : investor@iobnet.co.in
investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	चूँकि हमारे बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक हमारे बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा।
पारिश्रमिक समिति	पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है और बैंक गैर-निदेशकों को सिटिंग फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड की दिनांक 22-03-2007 को संपन्न

** Being Tier II Bonds issued by Bharat Overseas Bank Ltd.(Bhob) , since taken over by IOB consequent to merger of Bhob with IOB. The present outstanding as on 31.03.2010, is after setting off our investment of Rs. 4 cr in the said issue, at the time of the merger.

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519491, 28415702, 28889392
Fax : 044-28585675
email: investor@iobnet.co.in
investorcomp@iobnet.co.in

B. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Since the Chairman and Managing Director in our Bank is an Executive Chairman, this clause is not applicable to us
Remuneration Committee	Remuneration payable to the whole time directors is decided by the Central Government and the Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per guidelines of Central Govt.

	हुई बैठक में दिए गए विवरणों के अनुसार (पैरा 3.8 देखें) निदेशक मंडल की एक उप समिति “पारिश्रमिक समिति” गठित की गई है।
शेयरधारकों के अधिकार	सभी शेयरधारकों को छमाही परिणामों और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।
ऑडिट अर्हता	अप्रतिबंधित वित्तीय विवरणों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	निदेशकों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाता है । प्रत्येक निदेशक को उनके / उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियों और महत्वपूर्ण मामलों पर संपूर्ण विवरण देते हुए संदर्भ मैनुअल दिया गया है ।
गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यविधि	हमारे बैंक में गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कोई कार्यविधि उपलब्ध नहीं है चूंकि वर्तमान में यह हम पर लागू नहीं है।
विसिल ब्लोअर पॉलिसी (चेतावनी नीति)	वर्तमान में बैंक के पास कोई चेतावनी नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) नहीं है। ऑडिट समिति से संपर्क करने से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया गया है ।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

चेन्नै
29 अप्रैल 2010

(एस.ए.भट)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

	The Board in its meeting held on 22.03.2007, has set up a “Remuneration Committee” as per details furnished hereinbefore (refer para 3.8).
Shareholders Rights	All the shareholders are provided with the Half Yearly results and Annual Report.
Audit Qualification	Constant efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
Training of Board Members	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes. Each director is provided with a reference manual detailing his or her roles and responsibilities and matters of importance.
Mechanism for evaluating non executive Board Members	The Bank does not have such mechanism, as presently it is not applicable to us.
Whistle Blower Policy	Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
29th April 2010

(S A BHAT)
Chairman and Managing Director

वर्ष 2009-10 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

निदेशकों का जीवन परिचय

01 नाम	**श्री एस.ए.भट** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 20.10.1950
योग्यता	बी.एससी (आनर्स), सीएआइआइबी भाग 1
नियुक्ति की तारीख	04.06.2007
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2010
अनुभव	बैंकिंग में 38 वर्षों का अनुभव है। वर्ष 1972 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इण्डिया में भर्ती हुए। 2 फरवरी 2006 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और आइओबी में वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने तक इस पद पर रहे। बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में देशी और विदेशी परिचालनों में विभिन्न पदों पर आपको व्यापक अनुभव है। विभिन्न समितियों, जैसे तकनीकी सलाहकार समिति, बेसल II के लिए स्टियरिंग ग्रुप, निर्यातकों के लिए ऋण सलाहकार प्रणाली पर समिति और एएलएम के परिशोधन के लिए कार्य दल के सदस्य के रूप में आपने बैंकिंग उद्योग को कई योगदान दिए हैं। ये सभी समितियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित की गई थीं। बेसल II के कार्यान्वयन के लिए कार्यपद्धति तैयार करने के लिए भारतीय बैंक संघ की समिति में भी आप शामिल थे। बैंक ऑफ इण्डिया में अपनी कार्यावधि के दौरान आप एसटीसीआइ, आइएल एण्ड एफएस तथा इण्डो जाम्बिया बैंक के लिए नामिती निदेशक थे।
आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकता	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि. में आइओबी के नामिती निदेशक

02 नाम	**श्री वाई एल मदान** कार्यपालक निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 24.08.1950
योग्यता	एम.एससी.,एम बी ए, सीएआइआइबी
नियुक्ति की तारीख	16.05.2008
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.08.2010
अनुभव	बैंकिंग में 37 वर्षों का अनुभव है। आपने 1973 में केनरा बैंक में प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया और 35 वर्षों का अनुभव है । आपने अधिकतर पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों, हरियाणा, चण्डीगढ,

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2009-10

DIRECTORS PROFILE

01 Name	**Shri S. A. Bhat** Chairman and Managing Director
Age and Date of Birth	59 years - 20.10.1950
Qualification	B.Sc (Hons.) CAIIB Part I
Date of Appointment	04.06.2007
Date of expiry of the Current term	31.10.2010
Experience	Having 38 years of banking experience. Joined Bank of India as Probationary Officer in 1972. He took over as Executive Director of UCO Bank on 2nd February 2006 and held this position till his present assignment at IOB. He has vast experience across the entire gamut of banking in various capacities in domestic and overseas operations. He has made many contributions to the Banking Industry, as a member of several committees such as the Technical Advisory Committee, Steering Group for Basel II, Committee on Credit Advisory System for Exporters, and Working Group for revision of ALM, all of which were constituted by Reserve Bank of India. He was also on the Indian Banks' Association's Committee for drawing Road Map for implementation of Basel II. During his tenure in Bank of India, he was nominee director for STCI, IL & FS and Indo Zambia Bank.
Shareholding in IOB	Nil
Other Directorships	Nominee Director of IOB in Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

02 Name	**Shri Y L Madan** Executive Director
Age and Date of Birth	59 years - 24.08.1950
Qualification	M.Sc.,MBA, CAIIB
Date of Appointment	16.05.2008
Date of expiry of the Current term	31.08.2010
Experience	Having 37 years of banking experience. He joined Canara Bank in 1973 as Officer Trainee and has 35 years of experience there. He served mostly in northern areas of Punjab, Haryana,

बिहार, दिल्ली में कार्य किया। आपने दोहा, कतार में केनरा बैंक के प्रबन्धनाधीन विदेशी विनिमय कंपनी में कार्य किया। आपने केनरा बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, मुंबई में एक वर्ष तक संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया। आप केनरा बैंक में अक्तूबर 2003 से आइ ओ बी में कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति तक महा प्रबन्धक के रूप में कार्यरत रहे।

	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
03	नाम	**श्रीमती नूपुर मित्रा** कार्यपालक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	57 वर्ष - 08.12.1952
	योग्यता	बीएससी, एलएलबी
	नियुक्ति की तारीख	07.12.2009
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.12.2012
	अनुभव	बैंकिंग में 34 वर्षों का अनुभव है। आपने वर्ष 1975 में बैंक ऑफ इण्डिया में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। आपने शाखाओं और अंचल कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्ष 2001 के मध्य में आप लंदन शाखा के प्रमुख के रूप में विदेश गईं और बाद में यूरोप के परिचालनों के लिए मुख्य कार्यपालक के रूप में रहीं। वापस भारत आकर आप बैंक के मुंबई और चंडीगढ़ अंचलों की प्रमुख रहीं। बैंक ऑफ इंडिया के कार्पोरेट कार्यालय में आप महा प्रबंधक के रूप में रहीं, जहाँ आपने आइ ओ बी में कार्यपालक के रूप में नियुक्त होने तक उधार, एसएमई, रिटेल बैंकिंग (जमा व अग्रिम), कार्ड उत्पादों, जन संपर्क, डिपॉज़िटरी सेवाओं आदि का कार्यभार संभाला।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
04	नाम	**डॉ. विनीता कुमार** भारत सरकार की नामिती
	आयु और जन्म-तिथि	55 वर्ष - 25.12.1954
	योग्यता	पीएच.डी, एम.ए. (अर्थशास्त्र), भारतीय आर्थिक सेवाएँ (1977)
	नियुक्ति की तारीख	10.06.2008
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	सम्प्रति आप भारत सरकार , वित्त मंत्रालय के आर्थिक सेवाएँ विभाग में आर्थिक सलाहकार हैं। आप वाणिज्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार रह चुकी है।

Chandigarh, Bihar, Delhi and had a posting at Overseas Exchange Company in Doha, Qatar, managed by Canara Bank. He had a one year stint as Faculty in Canara Bank Training Centre, Mumbai. He was General Manager in Canara Bank from October 2003 until his appointment in IOB as its Executive Director.

	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
03	Name	**Smt. Nupur Mitra** Executive Director
	Age and Date of Birth	57 years - 08.12.1952
	Qualification	B.Sc., L.L.B.
	Date of Appointment	07.12.2009
	Date of expiry of the Current term	31.12.2012
	Experience	Having 34 years of experience in banking field. She joined Bank of India in 1975 as Direct Recruit Officer. She served in various capacities at Branches and Zonal Offices. She moved over to head London Branch in mid 2001 and thereafter she was Chief Executive of Europe Operations. Back in India, she headed the Mumbai and Chandigarh Zones of the Bank. She was General Manager at the Corporate Office of Bank of India, in charge of Credit, SME, Retail Banking (Deposit & Advances), Card Products, Public Relations, Depository Services etc. until her appointment in IOB as its Executive Director.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
04	Name	**Dr. Vinita Kumar** GoI Nominee
	Age and Date of Birth	55 years - 25.12.1954
	Qualification	Ph.D, M.A.(Eco), Indian Economic Service (1977)
	Date of Appointment	10.06.2008
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt.
	Experience	She is presently Economic Advisor, Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI. She held the position of Additional Economic Advisor, Dept. of Commerce. She has

आप दो पुस्तकों की लेखिका हैं - (1) इकोनॉमिक ग्रोथ एण्ड रूरल पॉवर्टी : द इण्डियन एक्सपीरियंस (1960-65) (2) लर्निंग टू शेयर : एक्सपीरियंसेस एण्ड रिफलेक्शंस ऑन पीआरए एण्ड कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन।

	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
05	नाम	**श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन** भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती
	आयु और जन्म-तिथि	65 वर्ष - 26.07.1944
	योग्यता	एम .एससी, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	27.02.2007
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश आने तक
	अनुभव	आप वर्ष 1967 में भारतीय रिज़र्व बैंक में भर्ती हुईं और आपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आइइसीडी, डीबीओडी और विदेशी विनिमय (विनिमय नियंत्रण) विभागों में विभिन्न पदों पर काम किया है। आप वर्ष 2004 में भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
06	नाम	**श्री एन.श्रीधरन** कर्मकार निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 10.12.1950
	योग्यता	एसएसएलसी
	नियुक्ति की तारीख	20-04-2007
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	19-04-2010
	अनुभव	02-05-1972 में बैंक में भर्ती हुए। आइओबी में 37 वर्षों से अधिक अनुभव है। आप आइओबी में फिलहाल विशेष सहायक प्रवर्ग में हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
07	नाम	**श्री के. आनंद कुमार** अधिकारी कर्मचारी निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	54 वर्ष - 30.08.1955
	योग्यता	बी.कॉम, ए.सी.ए., सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	26.03.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	25.03.2013 तक या आइ.ओ.बी के अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक या अगले आदेश तक
	अनुभव	बैंक में 14.12.1981 को भर्ती हुए। आइ.ओ.बी में 28 वर्षों का अनुभव है। आप आइ.ओ.बी में

authored two books – (1) "Economic Growth and Rural Poverty:The Indian Experience (1960-65)" and (2) "Learning to Share: Experiences and Reflections on PRA and Community Participation"

	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
05	Name	**Smt. Chitra Chandramouliswaran** RBI Nominee
	Age and Date of Birth	65 years - 26.07.1944
	Qualification	M.Sc., CAIIB.,
	Date of Appointment	27.02.2007
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt.,
	Experience	Joined RBI in 1967 and has worked in various capacities in IECD, DBOD and Foreign Exchange (Exchange Control) Departments and RBI's Central Office in Mumbai. She retired as Chief General Manager of Reserve Bank of India in 2004.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
06	Name	**Shri N. Sridaran** Workmen Director
	Age and Date of Birth	59 years - 10.12.1950
	Qualification	SSLC
	Date of Appointment	20.04.2007
	Date of expiry of the Current term	19.04.2010
	Experience	Joined the Bank on 02.05.1972. Having 37 years experience in IOB, he is at present a special cadre assistant in IOB.
	Shareholding in IOB	100 shares
	Other Directorships	Nil
07	Name	**Shri K. Ananda Kumar** Officer Employee Director
	Age and Date of Birth	54 years - 30.08.1955
	Qualification	B Com., A.C.A., CAIIB
	Date of Appointment	26.03. 2010
	Date of expiry of the Current term	25.03.2013 or until he ceases to be an officer of IOB or until further orders.
	Experience	Joined the Bank on 14.12.1981. Possesses 28 years experience. At

		वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	2400
	अन्य निदेशकता	शून्य
08	नाम	**श्री बी वी अप्पा राव** अंशकालिक गैर सरकारी
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 06.06.1950
	योग्यता	बी.काम, एफसीए
	नियुक्ति की तारीख	29 08 2008
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	28 08 2011
	अनुभव	1980 में सनदी लेखाकार की योग्यता प्राप्त कर श्री बी वी अप्पा राव ने तत्काल आन्ध्रा बैंक में एक अधिकारी के रूप में सेवा प्रारंभ करके 6 वर्ष कार्य किया। इसके पश्चात आपने आन्ध्र प्रदेश के मेसर्स द आन्ध्रा शुगर्स लिमिटेड ऑफ आन्ध प्रदेश में वरिष्ठ प्रबन्धन में 7 वर्षों तक सेवा की। वर्तमान में आप वर्ष 1994 में गुंटूर में प्रारंभ मेसर्स बी वी राव असोशियेट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स् में वरिष्ठ साझेदार हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
09	नाम	**श्री सूरज खत्री** अंशकालिक, गैर सरकारी
	आयु और जन्म-तिथि	54 वर्ष - 06.08.1955
	योग्यता	बीएससी, एलएलबी, श्रम विधि में डिप्लोमा
	नियुक्ति की तारीख	26.10.2009
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	25.10.2012
	अनुभव	राजस्थान उच्च न्यायालय में विधि से संबंधित एडवकेट हैं। आप एक पत्रकार, संपादक और प्रकाशक भी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशिकता	शून्य
10	नाम	**श्री अशोक कुमार भार्गव** शेयरधारक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	66 वर्ष - 10-5-1943
	योग्यता	बी .कॉम, एलएलबी, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	08 12 2008
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07 12 2011
	अनुभव	पंजाब नेशनल बैंक के महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 40 वर्षों का अनुभव रखने वाले

		present a Senior Manager in IOB.
	Shareholding in IOB	2400 shares
	Other Directorships	Nil
08	Name	**Shri B V Appa Rao** Part Time Non Official
	Age and Date of Birth	59 years - 06.06.1950
	Qualification	B.Com., FCA
	Date of Appointment	29 08 2008
	Date of expiry of the Current term	28 08 2011
	Experience	A qualified Chartered Accountant in 1980, Shri B V Appa Rao, joined Andhra Bank as Officer and served for 6 years. Leaving Andhra Bank, he joined M/s The Andhra Sugars Limited of Andhra Pradesh in the Senior Management and served for 7 years. He is presently a Senior Partner in M/s. B V Rao Associates, Chartered Accountants, Guntur started in the year 1994.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
09	Name	**Shri Sooraj Khatri** Part Time Non Official
	Age and Date of Birth	54 years – 06.08.1955
	Qualification	B.Sc., L.L.B., Dip. In Labour Law
	Date of Appointment	26.10.2009
	Date of expiry of the Current term	25.10.2012
	Experience	Practicing legal profession as an Advocate in Rajasthan High Court. He is also a Journalist, Editor and Publisher.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
10	Name	**Shri Ashok Kumar Bhargava** Shareholder Director
	Age and Date of Birth	66 years - 10.05.1943
	Qualification	B.Com, L L B., CAIIB
	Date of Appointment	08.12.2008
	Date of expiry of the Current term	07.12.2011
	Experience	Retired as General Manager of Punjab National Bank. A professional banker with 40 years of experience. He is at

	व्यावसायिक बैंकर। वर्तमान में प्रबंधन और वित्तीय सलाहकार हैं।
आइओबी में शेयरधारिता	500 शेयर
अन्य निदेशकता	एसएमएस पावर जनरेशन लिमिटेड
	दिल्ली असम रोडवेज़ कार्पोरेशन लिमिटेड
	ट्रांसरैल लाजिस्टिक्स लिमिटेड
11 नाम	**डॉ. चिरंजीब सेन**
	शेयरधारक निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	63 वर्ष - 29 09 1946
योग्यता	एम ए (अर्थशास्त्र), पीएच.डी
नियुक्ति की तारीख	08 12 2008
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07 12 2011
अनुभव	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेण्ट, बैंगलूर में इकोनोमिक्स के प्रोफेसर हैं और भारत और विदेश में लगभग 13 विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर हैं ।
आइओबी में शेयरधारिता	150
अन्य निदेशकता	कुद्रेमुख आयर्ण ओर कंपनी लि.
12 नाम	**श्री ए वेल्लयन**
	शेयरधारक निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	56 वर्ष - 09 01 1953
योग्यता	बी .कॉम, यू.के के वार्विक बिजनेस स्कूल विश्वविद्यालय से बिजनेस स्टडीस में स्नातकोत्तर किया।
नियुक्ति की तारीख	08 12 2008
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07 12 2011
अनुभव	यू.के में वार्विक बिजनेस स्कूल विश्वविद्यालय से प्रबन्धन स्नातक और बर्मिंगहाम, यू.के के एस्टन विश्वविद्यालय से औद्योगिक प्रशासन में डिप्लोमा पायी। आप मुरुगप्पा ग्रूप से जुडे हैं जो एक बिजनेस संगठन है तथा इसका प्रधान कार्यालय चेन्नै में है। इस समूह का प्रमुख कार्यक्षेत्र कारोबार के विभिन्न क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, अब्रेसिव्स, वित्त, सामान्य बीमा, साइकिल्स, शुगर, फार्म इन्पुट्स, उर्वरक, वृक्षारोपण, जैव उत्पाद और न्यूट्रास्यूटिकल्स है। श्री वेल्लयन ईआईडी पैरी (इण्डिया) लिमिटेड और कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष हैं । इसके अलावा आप अनेक प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के मंडल में भी कार्यरत हैं।

	present a Management and Financial Consultant.
Shareholding in IOB	500 shares
Other Directorships	SMS Power Generation Limited
	Delhi Assam Roadways Corporation Limited
	Transrail Logistics Limited
11 Name	**Dr. Chiranjib Sen**
	Shareholder Director
Age and Date of Birth	63 years - 29.09.1946
Qualification	M.A(Econ), Ph D
Date of Appointment	08.12.2008
Date of expiry of the Current term	07.12.2011
Experience	Professor of Economics in the Indian Institute of Management, Bangalore and a visiting Professor of about 13 universities in India and abroad.
Shareholding in IOB	150 shares
Other Directorships	Kudremukh Iron Ore Company Limited
12 Name	**SHRI A VELLAYAN**
	Shareholder Director
Age and Date of Birth	56 years - 09.01.1953
Qualification	B.Com, Masters in Business Studies, University of Warwick Business School, UK
Date of Appointment	08.12.2008
Date of expiry of the Current term	07.12.2011
Experience	A Management graduate from the University of Warwick Business School in UK and a diploma holder in Industrial Administration from the University of Aston, Birmingham, UK. He is associated with the Murugappa group, a business conglomerate headquartered in Chennai, with interests in diverse areas of business including Engineering, Abrasives, Finance, General Insurance, Cycles, Sugar, Farm Inputs, Fertilizers, Plantations, Bio-products and Nutraceuticals. Shri Vellayan is the Chairman of two Public Limited Companies viz. EID Parry (India) Limited and Coromandel International Limited and is also on the Board of several reputed Public Limited companies.

	श्री वेल्लयन दक्षिण भारतीय चैम्बर ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं । आप फिक्की, दिल्ली एवं फर्टीलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यपालक समिति के सदस्य हैं।
आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
अन्य निदेशकता	ईआईडी पैरी (इण्डिया) लिमिटेड
	कोरमंडल इंटरनेशलन लि.
	चोलमंडलम एम एस जनरल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड
	कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
	इण्डियन पोटाश लिमिटेड
	रोका बाथरूम प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लि.
	सिल्करोड शुगर प्राइवेट लिमिटेड
	पैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
	निमिता सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
	फोस्कर प्राइवेट लिमिटेड, जोहन्नेसबर्ग, दक्षिण अफ्रिका
	सीएफएल मौरिशस लिमिटेड
	पैरी अमेरिका इंक., यूएसए

	Shri Vellayan is the President for Southern Indian Chamber of Commerce & Industry and a member of the Executive Committee of FICCI, Delhi and The Fertiliser Association of India.
Shareholding in IOB	100 shares
Other Directorships	EID Parry (India) Limited
	Coromandel International Limited
	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.
	Kanoria Chemicals & Industries Limited
	Indian Potash Limited
	Roca Bathroom Products Private Limited
	Silkroad Sugar Private Limited
	Parry Infrastructure Company Private Limited
	Nimita Solutions Private Limited
	Foskor Private Limited, Johannesburg, South Africa
	CFL Mauritius Limited
	Parry America Inc. USA

तार /Telegram : INDOSEAS
टेलीफोन/Telephone : 28519491, 28415702
ई-मेल/E-Mail : investor@iobnet.co.in
फैक्स/Fax : 044-28523372/28585675

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय, पो.बॉ. नं.3765, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
Central Office: P.B.No.: 3765, 763, Anna Salai, Chennai 600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक के वेबसाइट पर डाल दिया गया है । मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है ।

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management (ie. General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(एस.ए. भट)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

For Indian Overseas Bank

(S. A. Bhat)
Chairman and Managing Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

29 अप्रैल 2010

निदेशक मंडल

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31 03 2010 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वित्तीय विवरण

स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीबद्ध करार का खण्ड 49-V सीईओ सीएफओ का प्रमाणीकरण

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि:

क हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :

i. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;

ii. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों पर सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखापूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है :

i वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना,

ii वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया और

iii महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी यदि कोई शामिल है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(बी.एस.केशवमूर्ति)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(एस.ए .भट)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

29th April 2010

THE BOARD OF DIRECTORS

INDIAN OVERSEAS BANK

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2010-Clause 49-V of the Listing Agreement with the Stock Exchanges - CEO/CFO Certification

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, we certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief :

i. These statements do not *contain* any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

ii. Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(B.S. KESHAVA MURTHY)
General Manager & CFO

(S.A. BHAT)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नै के शेयरधारकों को

हमने 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गावर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज/एक्सचेंजों के साथ इण्डियन आवेरसीज़ बैंक के सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखें गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित कार्पोरेट गावर्नेन्स संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्टों द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

कृते ओम अग्रवाल ऐण्ड कं.	कृते वर्मा ऐण्ड वर्मा	कृते पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड संतानम
सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण
(के.सी.गुप्ता)	(के.एम.सुकुमारन)	(टी.वी.बालसुब्रमणियन)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
स.सं.072936	स.सं.015707	स.सं.027251
एफआरएन सं.000971सी	एफआरएन सं. 004532एस	एफआरएन 003990एस
कृते भास्करन ऐण्ड रमेश	कृते एम. भास्कर राव ऐण्ड कं.	एस कृते मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण
(जे.रंगराजन)	(के.आर.रत्नम)	(बी.एल.गुप्ता)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
स.सं.024327	स.सं.002316	स.सं.073794
एफआरएन 000462एस	एफआरएन 000459एस	एफआरएन 001874सी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 29.04.2010

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Shareholders of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2010, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with stock exchange(s).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Om Agarwal & Co	For Varma & Varma	For PKF Sridhar & Santhanam
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(K. C. Gupta)	(K. M. Sukumaran)	(T.V. Balasubramanian)
Partner	Partner	Partner
M.No. 072936	M.No. 015707	M.No. 027251
FRN 000971C	FRN 004532S	FRN 003990S
For Bhaskaran & Ramesh	For M. Bhaskara Rao & Co	For Mittal Gupta & Co
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(J. Rangharajan)	(K. R. Ratnam)	(B. L. Gupta)
Partner	Partner	Partner
M.No. 24327	M.No. 002316	M.No. 073794
FRN 000462S	FRN 000459S	FRN 001874C

Place: Chennai
Date: 29.04.2010

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2010

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	31.03.2010	31.03.2009
देयताएँ	**LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	544 80 00	544 80 00
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	6979 78 31	6606 16 33
जमा राशियाँ	Deposits	03	110794 71 10	100115 88 96
उधार	Borrowings	04	8982 20 19	10494 58 24
अन्य देयताएँ व प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	3794 89 98	3311 96 34
जोड़	**TOTAL**		**131096 39 58**	**121073 39 87**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	7666 44 72	5940 44 42
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	2158 19 35	4981 45 75
विनिधान	Investments	08	37650 56 27	31215 43 87
अग्रिम	Advances	09	79003 92 57	74885 27 26
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	1699 56 55	1709 85 96
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	2917 70 12	2340 92 61
जोड़	**TOTAL**		**131096 39 58**	**121073 39 87**
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	39340 50 50	38379 26 22
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		3205 14 84	3505 07 48
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग है । Schedules Form Part of the Balance Sheet

एस.ए.भट — **S. A. BHAT**
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक — Chairman & Managing Director

नूपुर मित्रा — **NUPUR MITRA**
कार्यपालक निदेशक — Executive Director

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए
VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

चित्रा चंद्रमौलीश्वरन — Chitra Chandramouliswaran
के. आनंद कुमार — K. Ananda Kumar
बी.वी.अप्पा राव — B.V. Appa Rao
सूरज खत्री — Sooraj Khatri
ए.के.भार्गव — A.K. Bhargava
ए.वेल्लयन — A. Vellayan

निदेशकगण — **DIRECTORS**

चेन्नै — Chennai
29.04.2010 — 29.04.2010

ओम अग्रवाल ऐण्ड कं. के.सी. गुप्ता साझेदार स.सं.072936 एफआरएन 000971सी	OM AGARWAL & CO K.C. GUPTA Partner M.No. 072936 FRN 000971C	भास्करन ऐण्ड रमेश जे रंगराजन साझेदार स.सं.024327 एफआरएन 000462एस	BHASKARAN & RAMESH J.RANGHARAJAN Partner M.No. 024327 FRN 000462S
वर्मा ऐण्ड वर्मा के.एम.सुकुमारन साझेदार स.सं.015707 एफआरएन 004532एस	VARMA & VARMA KM SUKUMARAN Partner M.No. 015707 FRN 004532S	एम. भास्कर राव ऐण्ड कं. के.आर.रत्नम साझेदार स.सं.002316 एफआरएन 000459एस	M. BHASKARA RAO & CO K.R. RATNAM Partner M.No. 002316 FRN 000459S
पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम टी.वी.बालसुब्रमणियन साझेदार स.सं.027251 एफआरएन 003990एस	PKF SRIDHAR & SANTHANAM T.V. BALASUBRAMANIAN Partner M.No. 027251 FRN 003990S	मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं. बी.एल.गुप्ता साझेदार स.सं.073794 एफआरएन 001874सी	MITTAL GUPTA & CO B.L. GUPTA Partner M.No. 073794 FRN 001874C

सनदी लेखाकारगण **CHARTERED ACCOUNTANTS**

31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2010

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	31.03.2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2009
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	10245 77 35	9641 40 33
अन्य आय	Other income	14	1143 25 37	1595 83 08
जोड़	**TOTAL**		**11389 02 72**	**11237 23 41**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	7077 90 95	6771 81 35
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	2466 49 71	1941 69 43
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		1137 65 91	1197 93 47
जोड़	**TOTAL**		**10682 06 57**	**9911 44 25**
लाभ / हानि	**PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए निवल लाभ	Net Profit for the year		706 96 15	1325 79 16
अग्रनीत लाभ/हानि	Profit /Loss brought forward		0	0
जोड़	**TOTAL**		**706 96 15**	**1325 79 16**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		212 10 00	398 00 00
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		127 59 03	9 66 34
पूँजी आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		144 18 51	606 30 33
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve		0	25 00 00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Final Dividend (including Dividend Tax)		223 08 61	286 82 49
तुलन-पत्र में अग्रेषित लाभ की शेष राशि	Balance amount of profit carried over to Balance Sheet		0	0
जोड़	**TOTAL**		**706 96 15**	**1325 79 16**
प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Earning per share (Rs.)		12.98	24.34

अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते के अभिन्न अंग हैं। Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

एस.ए.भट / **S. A. BHAT**
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director

नूपुर मित्रा / **NUPUR MITRA**
कार्यपालक निदेशक / Executive Director

चित्रा चंद्रमौलीश्वरन / Chitra Chandramouliswaran
के. आनंद कुमार / K. Ananda Kumar
बी.वी.अप्पा राव / B.V. Appa Rao
सूरज खत्री / Sooraj Khatri
ए.के.भार्गव / A.K. Bhargava
ए.वेल्लयन / A. Vellayan

निदेशकगण / **DIRECTORS**

चेन्नै / Chennai
29.04.2010 / 29.04.2010

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए
VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

ओम अग्रवाल ऐण्ड कं. / OM AGARWAL & CO
के.सी. गुप्ता / K.C. GUPTA
साझेदार / Partner
स.सं.072936 / M.No. 072936
एफआरएन 000971सी / FRN 000971C

भास्करन ऐण्ड रमेश / BHASKARAN & RAMESH
जे रंगराजन / J.RANGHARAJAN
साझेदार / Partner
स.सं.024327 / M.No. 024327
एफआरएन 000462एस / FRN 000462S

वर्मा ऐण्ड वर्मा / VARMA & VARMA
के.एम.सुकुमारन / KM SUKUMARAN
साझेदार / Partner
स.सं.015707 / M.No. 015707
एफआरएन 004532एस / FRN 004532S

एम. भास्कर राव ऐण्ड कं. / M. BHASKARA RAO & CO
के.आर.रतनम / K.R. RATNAM
साझेदार / Partner
स.सं.002316 / M.No. 002316
एफआरएन 000459एस / FRN 000459S

पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम / PKF SRIDHAR & SANTHANAM
टी.वी.बालसुब्रमणियन / T.V. BALASUBRAMANIAN
साझेदार / Partner
स.सं.027251 / M.No. 027251
एफआरएन 003990एस / FRN 003990S

मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं. / MITTAL GUPTA & CO
बी.एल.गुप्ता / B.L. GUPTA
साझेदार / Partner
स.सं.073794 / M.No. 073794
एफआरएन 001874सी / FRN 001874C

सनदी लेखाकारगण **CHARTERED ACCOUNTANTS**

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-1 पूँजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 150,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year 150,00,00,000 equity shares of Rs.10/-each)	3000 00 00	1500 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 54,48,00,000 ईक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 33,36,00,000 शेयर शामिल हैं)	54,48,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 33,36,00,000 shares of Rs.10/- each held by Government of India)	544 80 00	544 80 00

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
I. शेयर प्रीमियम	**I. SHARE PREMIUM**	140 00 00	140 00 00
II. सांविधिक आरक्षितियाँ	**II. STATUTORY RESERVE**		
अथशेष	Opening balance	1919 85 57	1521 85 57
जोडें : परिवर्धन	Add: Additions	212 10 00	398 00 00
योग -II	TOTAL -II	2131 95 57	1919 85 57
III. पूँजी आरक्षितियाँ	**III. CAPITAL RESERVE**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	A. Revaluation Reserve		
अथशेष	Opening Balance	1209 56 88	113 97 06
जोडें : परिवर्धन	Add : Additions		1123 55 41
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास*	Less: Deductions / Depreciation *	33 96 48	27 95 59
योग-अ	TOTAL - A	1175 60 40	1209 56 88
आ. निवेशों की बिक्री पर	B. On sale of Investments		
अथशेष	Opening Balance	702 70 67	164 90 74
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	142 57 77	537 79 93
योग-आ	TOTAL - B	845 28 44	702 70 67
इ. अन्य	C. Others		
अथशेष	Opening Balance	146 92 32	78 41 92
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	1 60 74	68 50 40
योग - इ	TOTAL - C	148 53 06	146 92 32
योग -III(अ,आ,इ)	TOTAL - III (A,B,C)	2169 41 90	2059 19 87
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	**IV. REVENUE & OTHER RESERVES**		
(i) अन्य राजस्व आरक्षितियाँ	(i) Other Revenue Reserves		
अथशेष	Opening Balance	2193 53 55	2171 99 56
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	129 49 04	21 54 53
घटाएँ: कटौती	Less: Deduction	2 97	54
योग -(i)	TOTAL - (i)	2322 99 62	2193 53 55
(ii) विशेष आरक्षितियाँ	(ii) Special Reserve		
अथशेष	Opening balance	126 60 00	101 60 00
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	25 00 00
योग -(ii)	TOTAL - (ii)	126 60 00	126 60 00
(iii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति निधि	(iii) Foreign Currency Translation Reserve		
अथशेष	Opening balance	166 97 34	28 50 06
जोड़ें : परिवर्धन	Add : Additions	0	138 47 28
घटाएँ: कटौती	Less : Deducation	78 16 12	0
योग-(iii)	Total - (iii)	88 81 22	166 97 34
योग - IV (i,ii व iii)	TOTAL - IV (i, ii & iii)	2538 40 84	2487 10 89
योग (I,II, III व IV)	TOTAL (I, II , III & IV)	6979 78 31	6606 16 33

* 31.3.2010 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकडों में तत्कालीन मुद्रा- विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण हुए समायोजन शामिल है ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2010

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-3 निक्षेप	SCHEDULE - 3 DEPOSITS	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
अ. I. माँग निक्षेप	A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	362 10 77	66 00 66
ii) अन्यों से	ii) From Others	9249 20 20	8064 66 94
योग -I	TOTAL - I	9611 30 97	8130 67 60
II. बचत बैंक निक्षेप	II. SAVINGS BANK DEPOSITS	26450 89 07	22156 44 41
III. कालिक निक्षेप	III. TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	1980 71 00	1559 68 08
ii) अन्यों से	ii) From Others	72751 80 06	68269 08 87
योग - III	TOTAL - III	74732 51 06	69828 76 95
योग - अ (I,II & III)	TOTAL - A (I,II & III)	110794 71 10	100115 88 96
आ. I) भारत की शाखाओं में निक्षेप	B. I) Deposits of branches in India	105434 42 70	95433 72 84
II) भारत के बाहर की शाखाओं में निक्षेप	II) Deposits of branches outside India	5360 28 40	4682 16 12
योग - आ	TOTAL - B	110794 71 10	100115 88 96

अनुसूची-4 लिये गये उधार	SCHEDULE - 4 BORROWINGS	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
I. भारत में लिए गए उधार	I. BORROWINGS IN INDIA		
भारतीय रिज़र्व बैंक से	Reserve Bank of India	0	0
बैंकों से	Banks	4	15
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	1268 45 57	3086 47 37
नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	780 00 00	480 00 00
बाण्ड के रूप में ज़ारी मिश्र ऋण पूँजी लिखतें	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1665 30 00	1155 30 00
गौण ऋण	Subordinated Debt	2426 00 00	2311 00 00
योग - I	TOTAL - I	6139 75 61	7032 77 52
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	2842 44 58	3461 80 72
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	8982 20 19	10494 58 24
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	III. Secured borrowings included in I & II above	500 00 38	925 01 67

अनुसूची-5 अन्य देयतायें व प्रावधान	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
I. संदेय बिल	I. Bills Payable	665 65 01	692 66 64
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. प्रोद्भूत ब्याज	III. Interest Accrued	219 41 85	200 06 67
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित है)	IV. Others (including provisions)	2909 83 12	2419 23 03
योग	TOTAL	3794 89 98	3311 96 34

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित है)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	640 32 73	679 96 93
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में इतिशेष	i) in Current Account	6996 11 99	5260 47 49
ii) अन्य खातों में इतिशेष	ii) in Other Accounts		
योग	TOTAL	7666 44 72	5940 44 42

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क. चालू खाते में	a) In Current Accounts	168 25 34	212 07 03
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	731 88 04	2778 79 42
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क. बैंकों के साथ	a) With banks	539 00 00	1145 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग -I	TOTAL - I	1439 13 38	4135 86 45
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
क. चालू खाते में	a) In Current Accounts	351 17 98	199 67 86
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	194 11 19	440 77 58
ग. माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	c) Money at Call and Short Notice	173 76 80	205 13 86
योग -II	TOTAL - II	719 05 97	845 59 30
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	2158 19 35	4981 45 75

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 8 विनिधान	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
I. भारत में विनिधान	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	32052 77 66	26455 58 11
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	105 73 10	176 43 58
iii) शेयर	iii) Shares	407 39 96	321 64 13
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	1973 22 84	1647 97 36
v) संयुक्त उद्यम	v) Joint Ventures	28 50 00	28 50 00
vi) अन्य - भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट एवं अन्य म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक पत्र में विनिधान	vi) Others - Units of Unit Trust of India, Investments in other Mutual Funds & Commercial Paper	2053 44 99	1611 84 59
योग - I	TOTAL - I	36621 08 55	30241 97 77
II. भारत के बाहर विनिधान*	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA***		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलत हैं)	i) Government Securities (including Local Authorities)	860 96 24	801 84 45
ii) अन्य	ii) Others		
क) शेयर	a. Shares	8 36 29	11 11 68
ख) डिबेंचर और बंध-पत्र	b. Debentures & Bonds	115 34 15	160 49 97
ग) अन्य	c. Others	44 81 04	0
योग - II	TOTAL - II	1029 47 72	973 46 10
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	37650 56 27	31215 43 87
भारत में सकल विनिधान	Gross Investments in India	36795 09 39	30497 19 25
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	174 00 84	255 21 48
निवल विनिधान	Net Investments	36621 08 55	30241 97 77
भारत के बाहर सकल विनिधान*	Gross Investments Outside India*	1086 15 98	1056 45 92
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	56 68 26	82 99 82
निवल विनिधान	Net Investments	1029 47 72	973 46 10
कुल निवल विनिधान	Total Net Investments	37650 56 27	31215 43 87

* 31.3.2010 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों का मुद्रा-विनिमय दर पर परिवर्तनों के कारण समायोजन सहित ।
* Including adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.3.2010

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-9 अग्रिम		SCHEDULE - 9 ADVANCES		31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
अ.	i) क्रय किए गए व मित्तीकाटे गए बिल	A. i)	Bills Purchased & Discounted	4792 86 96	4490 94 59
	ii) नकदी उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	34294 97 99	30862 66 93
	iii) सावधि उधार	iii)	Term Loans	39916 07 62	39531 65 74
	योग		TOTAL	79003 92 57	74885 27 26
आ.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* *बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित	B. i)	Secured by Tangible Assets* * includes advances against Book Debts	63258 46 98	63200 22 58
	ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	4210 36 57	3889 69 19
	iii) अप्रतिभूत	iii)	Unsecured	11535 09 02	7795 35 49
	योग		TOTAL	79003 92 57	74885 27 26
इ.	I) भारत में अग्रिम	C. I)	Advances in India		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	i)	Priority Sector	27237 22 48	24294 08 00
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii)	Public Sector	5778 46 12	5905 78 75
	iii) बैंक	iii)	Banks	547 36 15	210 55 00
	iv) अन्य	iv)	Others	37764 17 72	37205 08 17
	योग		TOTAL	71327 22 47	67615 49 92
	II) भारत के बाहर अग्रिम	II)	Advances Outside India		
	i) बैंकों से शोध्य	i)	Due from Banks	108 17 90	398 29 75
	ii) अन्यों से शोध्य	ii)	Due from Others		
	क) क्रय किए गए व मित्तीकाटे गए बिल		a) Bills Purchased & Discounted	3412 79 90	2908 23 77
	ख) संघबद्ध उधार		b) Syndicated Loans	2024 82 11	1782 11 17
	ग) अन्य		c) Others	2130 90 19	2181 12 65
	योग		TOTAL	7676 70 10	7269 77 34
	योग (ग - I व II)		TOTAL (C-I & II)	79003 92 57	74885 27 26

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
I. परिसर	**I. Premises**		
1.4.2009 तक लागत /पुन : मूल्यांकित रकम पर	At cost / revalued amount as on 1.4.2009	1611 66 27	464 26 03
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	Additions during the year *	35 74 22	1173 85 13
		1647 40 49	1638 11 16
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year*	9 02 00	26 44 89
		1638 38 49	1611 66 27
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	159 71 98	117 12 43
योग -I	TOTAL - I	1478 66 51	1494 53 84
II. **पूँजीगत चालू कार्य**	**II. Capital work in progress**	7 67 28	13 07 04
योग - II	TOTAL - II	7 67 28	13 07 04
III. **अन्य स्थिर आस्तियाँ** (इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित है)	**III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
1.4.2009 की स्थिति के अनुसार लागत पर	At cost as on 1.4.2009	741 07 99	638 53 95
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	122 65 90	193 67 09
		863 73 89	832 21 04
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year*	41 59 80	91 13 05
		822 14 09	741 07 99
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	608 91 33	538 82 91
योग- III	TOTAL - III	213 22 76	202 25 08
योग (I, II & III)	Total (I, II & III)	1699 56 55	1709 85 96

* 31.3.2010 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों का मुद्रा-विनिमय दर पर परिवर्तनों के कारण समायोजन सहित ।

* including adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.3.2010

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	128 00 34	197 88 86
ii) उपचित ब्याज	ii) Interest Accrued	1040 32 16	891 19 54
iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर	iii) Tax paid in advance / Tax deducted at source	962 40 54	761 29 24
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	6 74 15	6 88 99
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	1 55 07	1 54 84
vi अन्य	vi) Others	778 67 86	482 11 14
योग	TOTAL	2917 70 12	2340 92 61

अनुसूची 12 समाश्रित दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	31.03.2010 तक As at 31.03.2010	31.03.2009 तक As at 31.03.2009
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	78 22 30	74 51 29
ii) अंशत: संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व	ii) Liability for partly paid investments	11 60	28 24 50
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	15631 41 67	15442 01 76
iv) संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क. भारत में	a) In India	8445 29 69	8044 63 48
ख. भारत के बाहर	b) Outside India	247 02 75	271 90 26
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements & Other obligations	8047 64 96	7334 74 75
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
क. विवादग्रस्त आय-कर दावे/ अपील के अधीन मामले	a. Disputed IT demand / cases under appeal	406 92 42	639 15 47
ख. अन्य	b. Others		
i. पूँजी लेखों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	i) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	30 77 63	37 57 94
ii. करेंसी स्वैप के तहत बैंक की देयताएँ	ii) Banks liability under currency swaps	2776 81 65	2240 33 05
iii किए गए ब्याज दर स्वैप (यूएसडी)	iii) Interest rate swaps under taken (USD)	1932 60 37	1756 41 88
iv. ब्याज दर स्वैप (भा.रु.)	iv) Interest rate swaps (INR)	1075 00 00	1800 00 00
v. मुद्रा विकल्प के तहत बैंक की देयता	v) Bank's Liability under Currency Options	78 19 20	0
vi. क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप	vi) Credit Default Swaps	551 97 30	675 12 64
vii. अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र	vii) Inter bank Participation Certificate	0	0
viii. स्वर्ण के तहत बैंक की देयता	viii) Banks Liability under Gold	34 48 96	34 59 20
योग	TOTAL	39340 50 50	38379 26 22

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 13 अर्जित ब्याज		SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009
i) अग्रिमों / बिलों पर प्राप्त ब्याज / बट्टा	i)	Interest / discount on advances / bills	7659 48 17	7289 55 32
ii) विनिधानों पर आय	ii)	Income on investments	2381 60 10	2156 31 60
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii)	Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	192 60 64	168 19 83
iv) अन्य	iv)	Others	12 08 44	27 33 58
योग		TOTAL	10245 77 35	9641 40 33

अनुसूची 14 अन्य आय		SCHEDULE - 14 OTHER INCOME	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	i)	Commission, Exchange and Brokerage	577 70 31	593 78 01
ii) विनिधानों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii)	Profit on Sale of Investments (Net)	291 85 67	636 64 80
iii) विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	iii)	Profit on Revaluation of Investments (Net)	-53 33 17	-117 23 89
iv) भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	iv)	Profit on sale of land,buildings and other assets (Net)	1 60 74	68 50 40
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v)	Profit on exchange transactions (Net)	127 04 26	157 34 36
vi) विविध आय	vi)	Miscellaneous Income	198 37 56	256 79 40
योग		TOTAL	1143 25 37	1595 83 08

अनुसूची- 15 खर्च किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	6271 78 76	5955 83 04
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	412 74 25	502 88 96
iii) अन्य	iii) Others	393 37 94	313 09 35
योग	TOTAL	7077 90 95	6771 81 35

अनुसूची 16 परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	1734 74 90	1271 84 21
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	204 47 48	206 41 47
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	15 46 19	15 58 38
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	35 82 57	26 94 74
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depn. transferred from Capital Reserve)	111 75 94	100 94 20
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	73 47	89 72
vii) लेखा-परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय (शाखा लेखा - परीक्षकों सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditors)	17 83 31	19 81 57
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	5 42 91	6 53 68
ix) डाक महसूल, तार, टेलीफ़ोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	15 87 59	14 83 87
x) मरम्मत और अनुरक्षण	x) Repairs and Maintenance	8 55 83	7 85 79
xi) बीमा	xi) Insurance	113 94 11	89 33 06
xii) अन्य आय	xii) Other Expenditure	201 85 41	180 68 74
योग	TOTAL	2466 49 71	1941 69 43

अनुसूची -17

प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. सामान्य

यहाँ इस से आगे जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर और आगे गतिमान प्रतिष्ठान अवधारणा के अनुमान पर तैयार किए गए हैं ।

2. आय का अभिज्ञान

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया गया है । अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एक बारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो, तो मूल रक़म के लिए किया गया है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उनकी उगाही के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया गया है ।

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो ।

2.5 परिपक्व सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मीयादी जमाओं के मामलों में ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचित किया जाता है।

2.6 वाद दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है । ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है ।

3. भारतीय परिचालनों के विदेशी विनिमय लेनदेन

3.1 नॉस्ट्रो एवं एसीयू डॉलर खातों के शेष, अंतिम दरों पर दिखाए गये हैं । एफ़सीएनआर/ईईएफ़सी / आरएफ़सी/ एफ़सीए (सभी विदेशी मुद्रा जमाएँ तथा उनपर उपचित ब्याज) और पीसीएफ़सी

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

The financial statements have been prepared on historical cost basis unless otherwise stated and further on the assumption of going concern concept.

2. Revenue Recognition

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, except otherwise stated.

2.5 In case of matured Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income & Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign exchange Transactions of Indian Operations

3.1 Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. FCNR/ EEFC/RFC/FCA (all foreign currency deposits

/ डबल्यूसीएफ़सी /टीएलएफ़सी / एफ़सीएल (सभी विदेशी मुद्रा उधार) को तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फेडाई की साप्ताहिक औसतन दर के अनुसार दिखाया गया है । अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की प्रचलित दरों पर दिखाया गया है।

सभी आस्तियों, देयताओं तथा फ़ेडाई द्वारा सूचित वर्षांत की विनिमय-दरों के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के मूल्यांकन पर लाभ-हानि को राजस्व के अंतर्गत ले लिया गया है, जिस में समनुरूप निवल समायोजनों को, नॉस्ट्रो ,एवं एसीयू डॉलर खातों के मामलों को छोड़ कर जहाँ ये खाते अन्तिम दरों पर समायोजित हो जाते हैं, 'अन्य देयताएँ तथा प्रावधान'/ 'अन्य आस्तियों के खाते' में बनाए रखा गया है ।

3.2. विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गीकृत भारतीय परिचालनों की गारंटियों सहित स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताओं को तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फेडाई की साप्ताहिक औसतन दर के अनुसार दिखाया गया है ।

3.3. आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में, उनके लेनदेन किए जाने की तारीख को लागू विनिमय दर पर दिखाया गया है।

4. विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण

विदेशी शाखाओं की आस्तियों एवं देयताओं का रूपांतरण को वर्षांत अन्तिम दर लेखाकरण में मानदण्ड 11 का अनुपालन करते हुए किया गया और इससे प्राप्त कुल लाभ / हानि को जब तक निवल निवेश का निपटान नहीं होता तब तक विदेशी मुद्रा रूपान्तरण रिज़र्व के तहत रखा जाएगा ।

5. निवेश

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को 'व्यापार के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है । इन निवेशों के मूल्यांकन और प्रकटीकरण को निम्न लिखित 6 वर्गों में दिखाया गया है :

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (राज्य सरकार की प्रतिभूतियों सहित)

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

including interest accrued thereon) and PCFC/WCFC/TLFC/FCL (all foreign currency lendings) are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of the quarter. Other Assets, Liabilities and Outstanding Forward Contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

Profit/Loss on valuation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments retained in "Other Liabilities and Provisions"/ "Other Assets Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

3.2 Acceptances, Endorsements and other obligations including guarantees of Indian operations denominated in foreign currencies are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of the quarter.

3.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rate ruling on the date of incorporating the transaction in the books of account.

4. Translation of the Financial Statements of Foreign Branches

Assets and Liabilities of Foreign branches are translated at the year-end closing rate in compliance with Accounting Standard 11 and the net gain/ loss arising out of this is kept under Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

5. Investments

5.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Valuation and disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government securities (including State Government securities),

b) Other Approved securities,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint ventures,

f) Units of Mutual Funds and Others.

5.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिन से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार नकदी आधार पर की गई है।

5.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है:

5.3.1 'व्यापार के लिए धारित' :- व्यक्तिगत शेयरों को इस वर्ग (दीर्घ एवं लघु दोनों - समंजन किए बिना) के तहत मूल लागत पर धारित किया जाता है । उनका मूल्यांकन, जहाँ कहीं भी लागू हो, बाज़ार दरों पर दैनिक अन्तरालों में किया जाता है ; या एफ आइ एम एम डी ए द्वारा घोषित कीमतों पर और इस वर्ग के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग में निवल मूल्य ह्रस, यदि कोई है, को आय में प्रभारित किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है, को नज़रंदाज किया जाता है ।

5.3.2 'बिक्री के लिए उपलब्ध' :- इस वर्ग में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को तिमाही अंतराल पर बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है। केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों को, एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा घोषित मार्केट दर पर मूल्यांकित किया जाता है । राज्य सरकार, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और डिबेंचरों / बॉण्डों का मूल्यांकन प्रतिफल रेखा, उधार क्रय-विक्रय दरों वार तथा एफ.आइ.एम.एम.डी.ए द्वारा प्रस्तावित अन्य तरीक़ों के अनुसार होता है । कोटेड इक्विटी शेयरों को बाज़ार दर पर मूल्यांकित किया जाता है, अनकोटेड इक्विटी शेयरों को उपलब्ध नवीनतम तुलन-पत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर 'बुक वैल्यू' / एनएवी पर मूल्यांकित किया जाता है अन्यथा रु.1/- प्रति कम्पनी /फण्ड के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुवल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या रिपर्चेज़ मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ / एफआइएमएमडीए द्वारा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम दर के ऊपर उपयुक्त मूल्य बढौतरी के साथ अधिमानता शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम के आधार पर आवधिक रूप से किया गया है।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्गीकरण के तहत निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, को दिया जाएगा और निवल वृद्धि यदि कोई है, को नजरंदाज किया जाएगा। मुल्यांकन के कारण से व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा।

5.3.3 'परिपक्वता के लिए धारित' :-ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है । प्रत्येक प्रतिभूति

5.2 Interest on Investments, where interest / principal is in arrears for more than 90 days and income from units of Mutual Funds is recognised on cash basis as per prudential norms.

5.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:-

5.3.1. "Held for Trading":- Individual scrips under this category (both long and short-not to be netted off) are held at original cost. The same is valued at daily basis at market rate, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation, if any, is charged to revenue and net appreciation, if any, is ignored.

5.3.2. "Available for Sale":- Individual securities under this category are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. State Government, other Approved securities and Debentures / bonds are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and Units of Venture Capital Funds are valued at book value/NAV ascertained from the latest available balance sheet, otherwise the same is valued at Re.1/- per Company/Fund.

Treasury Bills and Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark up over the YTM rates for Central Govt. Securities put out by the PDAI / FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each classification, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any is ignored. The book value of the individual securities would not undergo any change due to valuation.

5.3.3. "Held to Maturity":- Such investments are carried at acquisition cost/ amortized cost.

के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो, उसे परिपक्वता के शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

5.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार निवेश उचित प्रावधान / आय की अनभिज्ञान के अधीन है । अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों को वर्गीकरण करने के लिए उन्हीं सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू किया जाता है और तदनुसार प्रावधान किया जाता है ।

5.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित की जाती है।

5.6 प्रतिभूतियों के लिए अंशदान रूप में प्राप्त प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।

5.7 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को 'मानक', 'अव-मानक', 'संदेहास्पद' और 'हानि-जनक आस्तियाँ' में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

6.2 ग़ैर-निष्पादक आस्तियों के लिए बैंक ने विवेक पूर्ण मानदण्डों से अधिक और ऊपर अस्थाई प्रावधान कर रखा है। विभिन्न अवधियों पर बनाए गए अस्थाई प्रावधानों को लेखा-अवधि के दौरान किसी लाभ या समकारी लाभांश के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortized over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored Institutions and Units of Venture Capital Funds are valued at carrying cost.

5.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de-recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Debentures / bonds in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provided for, wherever appropriate.

5.5 Profit / Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account".

5.6 Incentive / Front-end fees, etc. received on subscription to securities are taken to Profit and Loss account.

5.7 Investments held by Overseas Branches are classified and valued as per guidelines issued by the respective regulatory authorities.

6. Advances

6.1 Advances have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for possible losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India and also as per the directives of Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the provision is made on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

6.2 The Bank holds floating provision for non-performing advances over and above the prudential norms. Such floating provisions built over different periods would not be used for any profit or dividend equalisation across accounting periods.

6.3. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान :

अग्रिम का प्रकार	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर प्रावधान
अ) कृषि एवं एसएमई क्षेत्र के प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
आ) वाणिज्यक स्थावर संपदा क्षेत्र के अग्रिम	1%
(अ) एवं (आ) में नहीं जोड़े गए सभी अन्य अग्रिम	0.40%

ऊपर दी गई अपेक्षाओं से अधिक या ऊपर यदि मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान दिए गए हैं तो वे भविष्य में मानक अग्रिमों के प्रावधान अपेक्षाओं के लिए रोक लिया जाएगा और उन्हें लाभ-हानि खाते में नहीं डाला जाएगा।

6.4. मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

7. स्वर्ण-कारोबार

स्वर्ण के क्रय-विक्रय के अतिरिक्त अन्य लेन-देनों की गणना प्रचलित काल्पनिक दर पर की जाती है।

8. डेरिवेटिव्स

8.1. ब्याज सहित आस्तियों / देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्य के लिए बैंक ने ब्याज दर विनियमन आरंभ किया है।

8.2. ब्याज दर विनियम जो प्रतिरक्षा उद्देश्य से संकुचित किए गए हैं के संबंध में प्राप्य / देय निवल रकम की पहचान उपचित आधर पर की गई है। इस विनियम के समापन पर हुए लाभ अथवा हानि को आस्थगित किया गया है और इसकी पहचान विनियमन की बची हुई संविदात्मक अवधि से ऊपर अथवा आस्ति / देयता की बची हुई अवधि, इसमें से जो भी पहले हो, के आधार पर की गई है। ऐसे ब्याज दर विनियमन को बही मूल्य में अंकित किया गया है, परंतु इसके फलस्वरूप प्राप्त लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी जाती, अपवाद वे मामले हैं, जहाँ विनियम ऐसी आस्ति / देयता के साथ नामित किया जाता है जो उसी तरह बही मूल्य में अंकित किया गया हो, जिसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ या हानि को अधोगत आस्ति / देयता के बाज़ार मूल्य की हद तक समायोजित करने के रूप में दर्ज किया गया हो।

8.3. उद्योग में प्रचलित मंज़ूरित सामान्य पद्धति के अनुसार वर्षांत पर शेष व्यापार विनियमन के मूल्य का बही में अंकित किया गया और बाज़ार दर पर हुई परिवर्तन को लाभ - हानि खाता में लिखा गया। इन विनियमों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख पर पहचाना गया। व्यापार विनियमन के समापन

6.3 Provisions on Standard Assets:

Type of Advance	Provision made as per RBI Guidelines
a) Direct Advances to Agriculture & SME Sector	0.25%
b) Advances to Commercial Real Estate Sector	1%
All other advances not included in (a) & (b)	0.40%

Provision held, if any for Standard Advances, over and above the requirements stated above would continue to be held for future requirements of Provision towards Standard Advances and shall not bereversed to Profit & Loss a/c.

6.4 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

7. Gold Business

Transactions in Gold other than purchase and sale are accounted for at prevalent notional rates.

8. Derivatives

8.1 The Bank enters into Interest Rate Swaps in order to hedge interest bearing assets / liabilities, and for trading purposes.

8.2 In respect of Interest Rate Swaps which are contracted for hedging purposes, the net amount receivable / payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on swaps are deferred and recognized over the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such Interest rate swaps are marked to market, but the resultant gain or loss is not recognized, except where the swap is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset / liability.

8.3 Trading Swaps outstanding at the year end are marked to market as per the generally accepted practices prevailing in the industry and the changes in the market value are recognized in the Profit & Loss Account. Income and expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date.

पर हुए लाभ - हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया गया।

9. अचल आस्तियाँ

9.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है और निम्नलिखित शीर्षों के तहत बृहत रूप से वर्गीकृत / समूहबद्ध किया गया है:

i. परिसर
ii. प्रक्रियाधीन पूंजी
iii. अन्य अचल आस्तियाँ जिसमें
   a) धातु फर्नीचर
   b) लकड़ी के फर्नीचर
   c) इलेक्ट्रिकल उपकरण
   d) वाहन
   e) कम्प्यूटर* शामिल हैं

* पट्टेवाले और पूर्ण स्वामित्व वाले स्थान के विकास की लागत सहित एटीएम, कम्प्यूटर सहायक उपकरण जैसे यूपीएस, बैटरी आदि और उनकी प्रतिस्थापन की लागत को कम्प्यूटर शीर्ष के तहत पूँजीकृत किया गया है।

9.2 मूल्यह्रास का परिकलन प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गई निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया गया है :

परिसर	2.5 %
फ़र्नीचर	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन साज-सामान	20%
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100 %

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से निकालकर लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया गया है ।

9.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की तारीख का लिहाज़ किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया गया है ।

9.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

9.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का परिशोधन किया गया है ।

9.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार प्रावधान किया गया है।

Gains or losses on termination of the trading swaps are recorded as income or expenses.

9. Fixed Assets

9.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost and are broadly classified/ grouped under the following heads:

i) Premises.
ii) Capital Work-in-progress.
iii) Other Fixed Assets including
   a) Metal Furniture.
   b) Wooden Furniture.
   c) Electrical Installation.
   d) Vehicles.
   e) Computers.*

* ATMs along with cost of development of the leasehold and freehold sites, computer peripherals like UPS, Batteries, etc and their replacement costs are capitalized under the head computers.

9.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50 %
Furniture	10 %
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20 %
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100 %

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

9.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

9.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

9.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.

9.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws of the respective countries.

10. स्टाफ़-सुविधाएँ

10.1. उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया गया है । लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन करते हुए सेवानिवृत्ति या अन्यथा पर संदेय छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्य पर किया गया है ।

10.2. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

11. निवल लाभ / हानि

लाभ व हानि खाते में प्रकट निवल लाभ / हानि निम्नलिखित के बाद है :

i. आय और धन पर करों के लिए प्रावधान

ii. मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान

iii. निवेशों पर मूल्यह्रास / परिशोधन / प्रावधान

iv. अन्य रिवाज़ी और आवश्यक प्रावधान

12. कराधान के लिए प्रावधान

i. करों के लिए प्रावधान अनुमानित कर देयता के आधार पर किया गया है जिसमें लेखाकरण मानदण्ड 22 के अनुपालन में, आस्थगित कर के लिए किए गए समायोजन शामिल हैं ।

ii. प्रतिभूति लेनदेन कर को लाभ-हानि खाते के लिए प्रभारित किया जाता है।

10. Staff Benefits

10.1 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made on actuarial valuation at the year-end, in compliance with Accounting Standard 15.

10.2 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

11. Net Profit / Loss

Net Profit / Loss disclosed in the Profit and Loss Account is after:

i) Provision for taxes on income and wealth

ii) Provision for non-performing advance and general provision for Standard Advances

iii) Depreciation/Amortisation/ provision on investments

iv) Other usual and necessary provisions

12. Provision for Taxation

I) Provision for Taxes has been made on the basis of estimated tax liability which includes adjustments for Deferred Tax in compliance with Accounting Standard 22.

ii) Securities Transactions Tax is charged to Profit & Loss Account.

अनुसूची 18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समायोजन

अंतर-बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31 मार्च, 2010 तक पूरा कर लिया गया है । बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है । चूंकि विलोपित की जाने वाली बकाया प्रविष्टियाँ उतनी महत्वपूर्ण न होने के कारण किसी प्रकार के प्रतिगामी प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जाती।

2. निवेश

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी)को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है :

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु. करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
परिपक्वता के लिए धारित	25520.35	22901.12	69.36	75.09
बिक्री के लिए उपलब्ध	11263.35	7596.07	30.61	24.91
ट्रेडिंग के लिए धारित	11.39	शून्य	0.03	शून्य

2.2 " परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 25 % की सीमा के अंदर हैं जो मार्च 2010 की समाप्ति तक बैंक की मांग व सावधि देयताओं का 22.39% रहीं ।

2.3 'परिपक्वता के लिए धारित' प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.114.47 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.222.61 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है !

2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.100 करोड़ (पिछले वर्ष रु.100 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार और ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु.4855 करोड़ (पिछले वर्ष रु.2200 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. में रखा गया है।

2.5 अनुसूची 8 में निवेशों के तहत शेयरों में रु. 21,89,07,080/- (पिछले वर्ष रु 21,89,07,080/-) के शेयर शामिल हैं, जो आबंटन के लंबित रहते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर पूँजी के प्रति अग्रिम रूप में हैं।

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of inter-bank and inter-branch transactions has been completed up to 31st March 2010. Steps for elimination of outstanding entries are in progress. Since the outstanding entries to be eliminated are insignificant, no material consequential effect is anticipated.

2. Investments:-

2.1 In accordance with RBI guidelines, the Investments Portfolio of the bank (domestic) has been classified into three categories, as given below: -

Category	Gross Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Held to Maturity	25520.35	22901.12	69.36	75.09
Available for Sale	11263.35	7596.07	30.61	24.91
Held for Trading	11.39	Nil	0.03	Nil

2.2 SLR Securities under "Held to Maturity" accounted for 22.39% of bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2010, which is within the ceiling of 25% stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.114.47 crores was amortised during the year (Previous year Rs.222.61 crores).

2.4 Securities of face value of Rs.100 crores (previous year Rs.100 crores) towards Settlement Guarantee Fund and securities for Rs. 4855 crores (previous year Rs.2200 crores) towards collateral for borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation of India Ltd.

2.5 Shares under Investments in Schedule 8 includes Rs.21,89,07,080/- (Previous year Rs.21,89,07,080/-) being advance towards share capital in Regional Rural Banks pending allotment of shares.

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के अनुसार किया गया ।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए विचार किया गया है इस आधार पर कि ऐसे दावे वैध व वसूलीयोग्य हैं।

3.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केंद्र सरकार की गारंटियों और बाद के आचरण/वसूलियों को ध्यान में रखा गया है ।

3.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार ही किया गया है ।

3.5 बैंक की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से ऊपर सकल अनर्जक अग्रिमों के सबंध में बैंक के पास रु. 171.36 करोड़ (पिछले वर्ष 171.36 करोड) का अस्थिर प्रावधान है।

4 अचल आस्तियाँ

4.1 वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं से इतर अपने परिसरों (भूमि और भवन) का पुनर्मूल्यांकन किया और आस्तियों के विद्यमान रखाव मूल्य में रु.1123.55 करोड़ जोड़ दिया है। आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्राधिकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है।

4.2 कुछ कानूनी और अन्य औपचारिकताएँ लंबित रहते एक परिसर के संबंध में स्वत्व विलेखों का निष्पादन/पंजीकरण बैंक के पक्ष में नहीं हो पाया है, जिसकी रकम रु.4.16 करोड़ (पिछले वर्ष छ: सम्पतियाँ - रू. 8.35 करोड़) है ।

4.3 वर्ष के दौरान अचल आस्ति की बिक्री पर लाभ के रु.1.61 करोड़ की रकम को 31.03.2010 तक पूंजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

3. Advances

3.1 The Classification for advances and provisions for possible Loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees and subsequent conduct/ recoveries have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.5 The Bank has a floating provision of Rs. 171.36 Crores (Previous Year Rs.171.36 Crores) in respect of Gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthening the financial stability of the Bank.

4. Fixed Assets

4.1 During the year 2008-09, the bank has revalued its premises (land and buildings) other than those at overseas branches and added an amount of Rs. 1123.55 crores to the existing carrying value of assets. The revaluation has been done by approved valuers.

4.2 Pending completion of certain legal and other formalities, title deeds have not been executed / registered in favour of the Bank in respect of one premises amounting to Rs. 4.16 crores (previous year six properties – Rs.8.35 crores).

4.3 A sum of Rs.1.61 crores being profit on sale of Fixed Assets during the year has been appropriated to Capital Reserve as on 31.03.2010.

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर रु.4.69 करोड़ (पिछले वर्ष 8.83 करोड़) की रकम को लाभों के कारण आस्थिगत आय में रखा गया है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

6. पूंजी एवं आरक्षितियाँ

6.1 वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न / उच्च टायर II बॉण्ड जारी करके रु.800.00 करोड़ रकम (पिछले वर्ष रु 955.30करोड़) की टायर II पूंजी एकत्र की।

6.2 बैंक ने टायर 1 के रूप में शामिल करने हेतु पात्र स्थाई बॉण्ड के रूप में रु 300.00 करोड़ (पिछले वर्ष - शून्य) एकत्र किए।

7. कर

अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद, आय कर से संबंधित रु.406.92 करोड़ (पिछले वर्ष रु.639.15 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

8. वेतन

31 03 2010 तक बैंक के पास नवम्बर 2007 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए अनुमानित आधार पर वेतन के बकायों के लिए रु.406 करोड़ का प्रावधान धारित है । इस वर्ष के दौरान इस खाते में रु 202 करोड़ का प्रावधान (पिछले वर्ष के रु.34 करोड़ को मिला कर) किया गया है।

9. लाभ व हानि खाता

इस वर्ष के लिए लाभ में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार ब्लॉक किए गए नास्ट्रो खातों से रु. 4.89 करोड़ शामिल है । इस रकम का विनियोजन अन्य राजस्व आरक्षितियों में किया गया ।

10 कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008

10.1 भारत सरकार द्वारा तैयार कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 की शर्तों के अनुसार रु.580.88 करोड़ की ऋण राहत की पात्र रकम में से बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋणों के लिए पहली व दूसरी किस्त के लिए रु.371.97 करोड़ की रकम प्राप्त हुई है।

5. Rupee Interest Rate Swap:

An amount of Rs.4.69crores (previous year Rs.8.83 crores) is kept in deferred income on account of gains on termination of Rupee interest Rate swaps taken for hedging and would be recognized over the remaining contractual life of swap or life of the assets/ liabilities, whichever is earlier.

6. Capital and Reserves:

6.1 During the year, the Bank has raised Tier II Capital amounting to Rs.800.00 Crores (previous year Rs.955.30 Crores) by issue of Lower / Upper Tier II Bonds.

6.2 The Bank also raised Rs.300 Crores (Previous Year Nil) by way of Perpetual Bonds eligible for inclusion as Tier I Capital.

7. Taxes

Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision has been considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax amounting to Rs.406.92 crores (previous year Rs.639.15 crores)

8. Salaries

The bank holds a provision of Rs.406 Crores as at 31.03.2010 towards arrears of salaries for the period from November 2007 to March 2010 on an estimated basis. Provision made during the year on this account is Rs.202 crores (including Rs.34 Crores relating to previous year).

9. Profit and Loss Account

The profit for the year includes an amount of Rs 4.89 Crores, representing amount transferred from Blocked Nostro Accounts as per RBI directives. The amount has been appropriated to Other Revenue Reserves.

10. Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

10.1 In terms of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008, framed by the Government of India, the Bank has received Rs. 371.97 crores towards 1st and 2nd installment from Reserve Bank of India on account of loans to small and marginal farmers, out of the amount eligible for debt waiver of Rs.580.88 crores.

10.2 उक्त योजना के तहत भारत सरकार से बकाया रु.208.91 करोड़ की शेष रकम "एडीडब्ल्यू और डीआरएस 2008 के लिए भारत सरकार से प्राप्य दावे" के रूप में दर्शाई गई है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र की अनुसूची 9 में अग्रिमों के तहत शामिल की गई है।

11 श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड

चालू वित्तीय वर्ष में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन से 19.05.2009 को कारोबार समाप्ति के समय से मेसर्स श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (जो पहले अधिस्थगन में था)की विशिष्ट आस्तियों व देयताओं को ले लिया है । कथित तारीख तक ली गयी आस्तियों से अधिक देयताओं की रु 246.52 करोड़ की घाटा रकम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अनुसार तीन वर्षों में आमेलित किया जाना है । बैंक ने घाटे की एक तिहाई रकम जो रु 82.17 करोड़ है, को वर्तमान वर्ष के दौरान आमेलित किया । घाटे की शेष रु 164.35 करोड़ रकम 31. 03. 2012 से पहले आमेलित कर ली जाएगी ।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01 07 2009 में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं:

1. पूंजी

(रु.करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2009-10	2008-09
i	सीआरएआर(%) (बेसल I)	14.26%	12.70%
ii	सीआरएआर टायर I पूंजी (%)	8.36%	7.58%
iii	सीआरएआर टायर II पूंजी (%)	5.90%	5.12%
iv	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	61.23%	61.23%
v	आइपीडीआइ के निर्गमन से एकत्रित रकम	300.00	शून्य
Vi	प्रवर टायर II लिखतों के निर्गमन से एकत्रित रकम	800.00	955.30

10.2 The balance amount due from the Government of India under the above scheme amounting to Rs.208.91 crores is shown as 'Claim Receivable from Government of India for ADW&DRS 2008' and included under advances in Schedule 9 as per Reserve Bank of India circular.

11 Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd

During the current financial year, the Bank has taken over specific assets and liabilities of M/s. Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd., Pune (which was under moratorium), with effect from the close of business on 19.05.2009 with the approval of RBI and other authorities. The deficit representing excess of liabilities over assets taken over as on the said date amounting to Rs.246.52 crore has to be absorbed over a period of three years, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank has absorbed one-third of the deficit, amounting to Rs.82.17 crores during the current year. The balance of deficit amounting to Rs.164.35 crore will be absorbed before 31.03.2012.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 1.07.2009, the following additional disclosures are made :-

1. Capital:

(Rs. In Crore)

S.No.	Particulars	2009-10	2008-09
i)	CRAR (%) (Basel I)	14.26%	12.70%
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	8.36%	7.58%
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	5.90%	5.12%
iv)	Percentage of shareholding of Government of India	61.23%	61.23%
v)	Amount raised by issue of IPDI	300.00	Nil
vi)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	800.00	955.30

2. निवेश :

2.1 निवेशों का मूल्य

(रु करोड में)

		31.03.2010	31.03.2009
I.	निवेशों का सकल मूल्य		
	i) भारत में	36795.09	30497.19
	ii) भारत के बाहर	1086.16	1056.46
II.	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	i) भारत में	174.01	255.21
	ii) भारत के बाहर	56.68	83.00
III.	निवेशों का निवल मूल्य		
	i) भारत में	36621.08	30241.98
	ii) भारत के बाहर	1029.48	973.46

2.2 - भुगतान हेतु परिपक्व हुई प्रतिभूतियों सहित निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

		2009-10	2008-09
i.	आरंभिक शेष	342.82	314.41
ii.	जोडें :वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	141.08	253.23
iii.	घटाएँ : वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / पुनरांकन करना	249.33	224.82
iv.	समापन शेष	234.57	342.82

2.3 रिपो लेनदेनों

(रु करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च तक के लिए	
	09-10	08-09	09-10	08-09	09-10	08-09	2010	2009
रिपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ (एलएएफ)	120.00	245.00	595.00	3500.00	222.40	575.68	शून्य	245.00
रिपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ (अंतर-बैंक)	4.93	5.51	159.23	375.08	15.64	40.89	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ (एलएएफ)	300.00	50.00	7800.00	4700.00	2927.33	307.12	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ (अंतर-बैंक)	शून्य	189.98	शून्य	698.74	शून्य	38.36	शून्य	शून्य

2. Investments:

2.1 Value of Investments

(Rs. in Crore)

		31.03.2010	31.03.2009
(i)	Gross Value of Investments		
	(a) In India	36795.09	30497.19
	(b) Outside India	1086.16	1056.46
(ii)	Provision for Depreciation		
	(a) In India	174.01	255.21
	(b) Outside India	56.68	83.00
(iii)	Net value of Investments		
	(a) In India	36621.08	30241.98
	(b) Outside India	1029.48	973.46

2.2 Movement of Provision held towards depreciation on Investments including securities matured for payment

(Rs. In Crore)

		2009-10	2008-09
(i)	Opening Balance	342.82	314.41
(ii)	ADD Provisions made during the year	141.08	253.23
(iii)	LESS Write off/Write Back of excess provisions during the year	249.33	224.82
(iv)	Closing Balance	234.57	342.82

2.3 Repo transactions:

(Rs in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		As on March 31	
	09-10	08-09	09-10	08-09	09-10	08-09	2010	2009
Securities sold under Repos (LAF)	120.00	245.00	595.00	3500.00	222.40	575.68	Nil	245.00
Securities sold under Repos (Inter Bank)	4.93	5.51	159.23	375.08	15.64	40.89	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse repo (LAF)	300.00	50.00	7800.00	4700.00	2927.33	307.12	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse repo (Inter Bank)	Nil	189.98	Nil	698.74	Nil	38.86	Nil	Nil

2.4 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु करोड़ में)

सं .	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश के कम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ	गैर दर्शकित प्रतिभूतियाँ	असूचित प्रतिभूतियाँ का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	623.51	595.33	0.00	9.00	15.29
2	वित्तीय संस्थाएँ	253.48	233.00	0.00	18.21	18.21
3	बैंक	2578.73	2569.25	0.00	0.00	0.00
4	निजी कार्पोरेट	783.19	650.01	0.00	84.76	114.55
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	196.39	182.60	0.00	45.26	0.00
7	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान*	127.33	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल	4591.13	4258.69	0.00	157.23	148.05

* अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान व पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज के त्याग को छोड़कर

2.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु करोड़ में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2009 तक का आरंभिक शेष	16.83
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड	0.00
उपर्युक्त वर्ष के दौरान कटौतियाँ	12.72
31 03 2010 तक का अंतिम शेष	4.11
कुल धारित प्रावधान	**4.11**

3. डेरिवेटिव्स :

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रु.करोड में)

विवरण	2009-10 रुपया जोखिम	2009-10 एफ एक्स	2009-10 कुल जोखिम	2008-09 रुपया जोखिम	2008-09 एफएक्स	2008-09 कुल जोखिम
i) स्वैप करारों की काल्पनिक मूल रकम	1075.00	1932.60	3007.60	1800.00	1756.42	3556.42
ii) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यता को पूरा करने में असफल होती है तो उससे होने वाली हानि	23.92	9.16	33.08	54.33	66.58	120.91
iii) स्वैप करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम पर केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	13.88	-7.94	5.94	26.07	-9.98	16.09

2.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition Of Non-SLR Investments

(Rs. in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below Investment grade Securities	Extent of Unrated Securities	Extent of Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	623.51	595.33	0.00	9.00	15.29
2	FIs	253.48	233.00	0.00	18.21	18.21
3	Banks	2578.73	2569.25	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	783.19	650.01	0.00	84.76	114.55
5	Subsidiaries / Joint Ventures	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00
6	Others	196.39	182.60	0.00	45.26	0.00
7	Provision held towards depreciation*	127.33	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total	4591.13	4258.69	0.00	157.23	148.05

* Exclusive of provision for non-performing investments and interest sacrifice on restructured investments.

2.5 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. In Crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1st April 2009	16.83
Additions during the year since 1st April	0.00
Reductions during the above period	12.72
Closing Balance as on 31st March 2010	4.11
Total Provisions held	**4.11**

3. DERIVATIVES:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	2009-10 Rupee Exposure	2009-10 FX	2009-10 Total Exposure	2008-09 Rupee Exposure	2008-09 FX	2008-09 Total Exposure
i) The notional principal of swap agreements	1075.00	1932.60	3007.60	1800.00	1756.42	3556.42
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligations under the agreements	23.92	9.16	33.08	54.33	66.58	120.91
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swap	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book	13.88	-7.94	5.94	26.07	-9.98	16.09

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु.करोड में)

क्रम सं	विवरण	रकम
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखतवार)	शून्य
ii)	31 मार्च 2010 तक बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखतवार)	शून्य
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "उच्च प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स बकाया के बाजार मूल्य को बहीगत मूल्य में अंकित करना और जो "उच्च प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)	शून्य

3.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेजरी (विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस), मुद्रा स्वैप व खुले बाज़ार का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंकों के साथ ही रखे जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं ।

अ) विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर [बी] पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज / विनमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी शाखाओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये डेरिवेटिव उत्पाद दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती हैं।

आ) डेरिवेटिव्स एक्स्पपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेन-देन के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुडे जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. In crore)

S. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2010 (instrument wise)	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil

3.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

3.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policies of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest / Exchange rates that arise on account of overseas borrowing / FCNR (B) portfolio / the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back-to-back basis to customers.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposures separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place

प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित जोखिम रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध करवाई हैं । प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमा के अंदर डेरिवेटिव लेन-देन ही सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ तय की हैं और इनकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है ।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम में परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की भी प्रणाली है ।

ऊ) बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा करने और कार्पोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग किया जाता है । प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध में प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया। पारस्परिक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णत: मेल किए गए हैं और अनारक्षित एक्सपोज़र नहीं हैं ।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और उसे संविदा की अवधि के दौरान उपचित के आधार पर लाभ व हानि खाते में लिया गया है । तुलन पत्र हेतु किए गए स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभ के कारण प्राप्त आय की पहचान स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । ग्राहकों के लिए दुतरफा आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र निरसन के संबंध में प्राप्त होनेवाली आय की पहचान निरसन के आधार पर की जाएगी ।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेनदेन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाया संविदाओं का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया । डेरिवेटिव्स में लेनदेन करने के लिए बैंक के पास विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

ट्रेज़री - (देशीय)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और गौण ऋणों व सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइआरएस)

to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with counterparties well within the exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance Sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges has not exceeded that of the underlying exposure. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party bank transactions and there is no uncovered exposure.

g) The income from such derivatives are amortised and taken to Profit and Loss Account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet management, income on account of such gains would be recognised over the remaining contractual life of the swap or life of the assets / liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back-to-back basis, income on account of such things will be recognised on termination.

h) All the hedge transactions have been accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses the Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt and

का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याजदर स्वैप को अपनाता है । स्वैप लेनदेन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते है जिनके पास आइएसडीए करार विद्यमान है।

क. बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढाँचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेज़री विभाग, बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है ।

ख. डेरिवेटिव लेनदेनों में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न), तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियन की जरूरतों की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियात्मक जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है । बैंक ने डेरिवेटिव्स का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित कर रखी हैं और डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइआरएस लेनदेन केवल बैंकों के साथ प्रति पार्टी के रूप में किए जाते हैं और ये हर प्रति पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अन्दर होते हैं।

ग. बैंक डेरिवेटिव्स का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में डेरिवेटिव्स के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने डेरिवेटिव्स का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन-पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने एक्स्पोज़र के मूलाधार का अधिगमन नही किया है।

ङ. डेरिवेटिव्स के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति सं 8) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गई हैं।

term deposits. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The Bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), credit risk (arising from probable counter party failure), liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), operational risk, regulatory risk and reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of the Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the Bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The Accounting Policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.8).

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण (रु.करोड़ में)

क्रसं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i.	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)		
	क. प्रतिरक्षा के लिए	2620.98	1998.85
	ख. व्यापार के लिए	155.84	1008.75
ii.	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति		
	क. आस्तियाँ (+)	245.79	0.47
	ख. देयताएँ(-)	47.19	39.69
iii.	उधार एक्स्पोजर	506.99	99.16
iv.	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव (100*पीवी01)		
	क. प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	75.64	42.31
	ख. व्यापार डेरिवेटिव्स पर	12.05	69.43
v.	वर्ष के दौरान पाऐ गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम		
	क. प्रतिरक्षा पर	अधिकतम 75.64 न्यूनतम 23.24	अधिकतम 29.78 न्यूनतम 0.00
	ख. व्यापार पर	अधिकतम 12.05 न्यूनतम 8.04	अधिकतम 41.81 न्यूनतम 0.00

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु.करोड़ में)

		2009-10	2008-09
i.	निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम (%)	2.52	1.33
ii.	एनपीए की प्रचलन (सकल)		
	क. प्रारंभिक शेष	1923.41	996.95
	ख. वर्ष के दौरान परिवर्धन	3126.83	2261.85
	ग. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1439.16	1335.39
	घ. समापन शेष	3611.08	1923.41
iii.	एनपीए की प्रचलन		
	क प्रारंभिक शेष	999.14	363.20
	ख वर्ष के दौरान परिवर्धन	2097.21	1971.33
	ग वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1101.38	1335.39
	घ समापन शेष	1994.97	999.14
iv.	एनपीए की प्रचलन के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोडकर)		
	क. प्रारंभिक शेष	752.04	569.94
	ख. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1183.66	365.50
	ग. बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	571.91	183.40
	घ. समापन शेष	1363.79	752.04

3.3.2 Quantitative Disclosures (Rs. in Crore)

S. NO.	PARTICULARS	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	2620.98	1998.85
	b) For Trading	155.84	1008.75
(ii)	Marked to Market Positions		
	a) Asset (+)	245.79	0.47
	b) Liability (-)	47.19	39.69
(iii)	Credit Exposure	506.99	99.16
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	75.64	42.31
	b) on trading derivatives	12.05	69.43
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Maximum 75.64 Minimum 23.24	Maximum 29.78 Minimum 0.00
	b) on trading	Maximum 12.05 Minimum 8.04	Maximum 41.81 Minimum 0.00

4. ASSET QUALITY:

4.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(Rs. In Crore)

		2009-10	2008-09
i)	Net NPA to Net Advances(%)	2.52	1.33
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	1923.41	996.95
	b) Additions during the year	3126.83	2261.85
	c) Reductions during the year	1439.16	1335.39
	d) Closing Balance	3611.08	1923.41
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	999.14	363.20
	b) Additions during the year	2097.21	1971.33
	c) Reductions during the year	1101.38	1335.39
	d) Closing Balance	1994.97	999.14
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	752.04	569.94
	b) Provisions made during the year	1183.66	365.50
	c) Write-off/Write-back of excess provisions	571.91	183.40
	d) Closing balance	1363.79	752.04

4.1.2 प्रावधान कवरेज़ अनुपात:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2010 तक परिकलित प्रावधान कवरेज का अनुपात (पीसीआर) 53.97 % रहा।

4.2. पुनर्संरचित खातों के विवरण

(रु.करोड़ में)

		सीडीआर प्रणाली	एसएमई/ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	10	1401	6626
	बकाया रकम	285.66	791.38	5745.00
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	11.47	9.00	50.71
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	2	96	290
	बकाया रकम	49.94	14.41	32.80
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.30	-	-
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	-	16	67
	बकाया रकम	-	9.96	64.18
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	-	-	-
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	12	1513	6983
	बकाया रकम	335.60	815.75	5841.98
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	11.77	9.00	50.71

4.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10	2008-09
(i) खातों की संख्या	शून्य	1
(ii) एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का समेकित मूल्य [प्रावधानों का निवल]	शून्य	शून्य
(iii) समेकित प्रतिफल	शून्य	1.94
(iv) गत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में उगाही किए गए अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही-मूल्य पर कुल योग लाभ/हानि	शून्य	1.94

4.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 53.97% as on 31.03.2010.

4.2 Particulars of Accounts Restructured

(Rs. In Crore)

		CDR Mechanism	SME/Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	10	1401	6626
	Amount outstanding	285.66	791.38	5745.00
	Sacrifice (diminution in the fair value)	11.47	9.00	50.71
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	2	96	290
	Amount outstanding	49.94	14.41	32.80
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.30	—	—
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	—	16	67
	Amount outstanding	—	9.96	64.18
	Sacrifice (diminution in the fair value)	—	—	—
TOTAL	No. of Borrowers	12	1513	6983
	Amount outstanding	335.60	815.75	5841.98
	Sacrifice (diminution in the fair value)	11.77	9.00	50.71

4.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company, for Asset reconstruction

(Rs. in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(i) No. of accounts	Nil	1
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii) Aggregate consideration	Nil	1.94
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v) Aggregate gain/loss over net book value	Nil	1.94

4.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

4.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10	2008-09
1. [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] समेकित बकाया	शून्य	शून्य
2. [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुन: संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] समेकित बकाया	शून्य	शून्य

4.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10	2008-09
1 . विक्रय किए गए खाते	शून्य	शून्य
2 . समेकित बकाया	शून्य	शून्य
3 . प्राप्त समेकित प्रतिफल	शून्य	शून्य

4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10	2008-09
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	440.24	359.95

5. कारोबार अनुपात

विवरण	2009-10	2008-09
(i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.85%	9.67%
(ii) कार्यकारी निधियों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.99%	1.60%
(iii) कार्यकारी निधियों के प्रति प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.59%	2.53%
(iv) औसत आस्तियों से लाभ	0.53%	1.17%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाएँ + अग्रिम) (रु. करोड़ में)	7.120	6.895
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)	0.0263	0.0520

4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

4.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(Rs. in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
1 (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

4.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(Rs. in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil

4.5 Provisions on Standard Asset

(Rs. in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
Provisions towards Standard Assets	440.24	359.95

5 BUSINESS RATIOS

Particulars	2009-10	2008-09
(i) Interest Income as a percentage to Average Working Funds	8.85%	9.67%
(ii) Non Interest Income as a percentage to Working Funds	0.99%	1.60%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.59%	2.53%
(iv) Return on Avg. Assets	0.53%	1.17%
(v) Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in crore)	7.120	6.895
(vi) Profit per employee (Rs. in crore)	0.0263	0.0520

6 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2010

(Rs. in crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3mnth	>3m to 6 mnth	>6m to 1 yr	> 1yr to 3 yrs	>3 yrs to 5 yrs	> 5 yrs	TOTAL
Deposits	1600.03	2340.35	3461.44	1606.05	9617.84	19815.50	20943.86	44648.08	1882.16	4879.40	110794.71
Advances (Gross)	2847.29	4202.46	7445.38	1690.45	4984.56	3808.50	5674.82	29147.41	9488.39	11493.22	80782.48
Investments (Gross)	334.22	1719.42	1616.22	1221.05	2135.58	4111.75	6339.30	11438.16	1103.89	7861.67	37881.26
Borrowings	57.56	330.10	384.23	46.43	138.36	162.28	991.62	2036.33	400.00	4435.29	8982.20
Foreign Currency Assets	789.47	193.27	647.36	510.95	2652.75	1244.03	2056.90	1347.90	611.18	1067.13	11120.94
Foreign Currency Liabilities	465.37	217.98	518.79	441.89	2067.25	1861.85	2771.81	1370.30	253.55	1395.12	11363.91

6. आस्ति देयता प्रबंधन

मार्च 31, 2010 तक के लिए आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(रु. करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिनों से 3 माह	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाएँ	1600.03	2340.35	3461.44	1606.05	9617.84	19815.50	20943.86	44648.08	1882.16	4879.40	110794.71
अग्रिम (सकल)	2847.29	4202.46	7445.38	1690.45	4984.56	3808.50	5674.82	29147.41	9488.39	11493.22	80782.48
निवेश (सकल)	334.22	1719.42	1616.22	1221.05	2135.58	4111.75	6339.30	11438.16	1103.89	7861.67	37881.26
उधार	57.56	330.10	384.23	46.43	138.36	162.28	991.62	2036.33	400.00	4435.29	8982.20
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	789.47	193.27	647.36	510.95	2652.75	1244.03	2056.90	1347.90	611.18	1067.13	11120.94
विदेशी मुद्रा देयताएँ	465.37	217.98	518.79	441.89	2067.25	1861.85	2771.81	1370.30	253.55	1395.12	11363.91

7. संवेदनशील क्षेत्रों को उधार [बैंक द्वारा प्रमाणितानुसार]

7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ में)

	प्रवर्ग	2009-10	2008-09
अ)	**प्रत्यक्ष ऋण ज़ोखिम**		
	i) रिहाइशी बंधक उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूत उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जाएगा	3162.22	3900.36
	जिनमें से प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	2240.13	3027.34
	ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुविध-परिवार रिहाइशी भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास व निर्माण आदि) उधार ज़ोखिम में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ सम्मिलित हैं।	7100.57	5819.07
	iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार ज़ोखिम -		
	क. रिहाइशी	0.32	0.63
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	ग. अन्य	15.00	--
आ)	**अप्रत्यक्ष ऋण ज़ोखिम:** राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार ज़ोखिम	949.10	751.71
	स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण ज़ोखिम	11227.21	12219.17

7.2 पूँजी बाज़ार को ऋण ज़ोखिम

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2008-09
i)	उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	348.00	396.82

7 LENDING TO SENSITIVE SECTOR (As certified by the Bank)

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs in crore)

	Category	2009-10	2008-09
(a)	Direct Exposure		
	i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	3162.22	3900.36
	Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	2240.13	3027.34
	ii) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	7100.57	5819.07
	iii) Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures -		
	a. Residential	0.32	0.63
	b. Commercial Real estate		
	c. Others	15.00	--
(b)	**Indirect Exposure:** Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	949.10	751.71
	Total Exposure to Real Estate Sector	11227.21	12219.17

7.2 Exposure to Capital Market:

(Rs in crore)

	Category	2009-10	2008-09
(i)	direct investment made in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	348.80	396.82

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2008-09
ii)	शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम;	10.81	18.94
iii)	किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को प्रधान प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	896.26	812.72
iv)	जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नही करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्ही अन्य उद्देश्यों कि लिए प्रदत्त अग्रिम;	शून्य	शुन्य
v)	स्टॉक ब्रोकर को दिए गए प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	141.89	175.43
vi)	संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण;	शून्य	250.00
vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा की गयी अधोलिखित प्रतिबद्धताएँ;	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना;	0.42	शून्य
x)	उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण ज़ोखिम;	314.71	116.96
	पूंजी बाजार को कुल उधार ज़ोखिम	1712.89	1770.87

(Rs in crore)

	Category	2009-10	2008-09
(ii)	advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	10.81	18.94
(iii)	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	896.26	812.72
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	Nil
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	141.89	175.43
(vi)	loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	250.00
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii)	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	0.42	Nil
(x)	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	314.71	116.96
	Total Exposure to Capital market	1712.89	1770.87

7.3 जोखिम प्रवर्ग-वार देशगत ऋण ज़ोखिम

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग	31.3.2010 तक निवल अग्रिम	31.3.2010 तक धारित प्रावधान	31.3.2009 तक निवल अग्रिम (निवल)	31.3.2009 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	6196.37	3.43	7219.74	2.93
कम	1988.30	शून्य	2012.35	शून्य
सामान्य	1545.76	शून्य	1305.87	शून्य
उच्च	5.92	शून्य	17.39	शून्य
उच्चतर	0.80	शून्य	5.78	शून्य
प्रतिबंधित	0.00	शून्य	1.27	शून्य
उधार-इतर	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	9737.15	3.43	10562.40	2.93

7.4 बैंक द्वारा अधिगमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और 2010 के लिए हमारे बैंक के ऋण नीति दस्तावेज की शर्तों के अनुसार एकल उधारकर्ता ऋण ज़ोखिम सीमा का अनुमेय स्तर रु.1557.04 करोड़ (पूंजीगत निधियों का 15%)है और समूह उधारकर्ता सीमा के लिए रु.4152.11 करोड़ (पूंजीगत निधियों का 40%) है।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	उस अवधि की बकाया रकम जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2010 तक के लिए बकाये की स्थिति
1.	भारतीय कृषक व उर्वरक कंपनी लिमिटेड (इफ़को)	1557.04	एफबी 1650.00 एनएफबी 350.00	अधिगमन नहीं	लागू नहीं	रु.2076.05 करोड़ तक के लिए उधार सुविधाओं पर विचार करने के लिए अनुमति	एफबी : जमा शेष एनएफबी : 123.52
2.	एम्मार प्रॉपर्टीस पीजेएससी, सिंगापुर	89.80 (यूएसडी 20 मियो)	224.50 (यूएसडी 50 मियो)	रकम अभी संवितरित की जानी है	लागू नहीं	22-09-09	शून्य
3.	श्रीलंका सरकार - श्रीलंकन डेवेलपमेंट बॉन्ड्स, कोलम्बो में निवेश	89.80 (यूएसडी 20 मियो)	157.15 (यूएसडी 35 मियो)	2009-10	157.15 (यूएसडी 35 मियो)	22-09-09	157.15 (यूएसडी 35 मियो)
4.	ओलम इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	89.80 (यूएसडी 20 मियो)	179.60 (यूएसडी 40 मियो)	2009-10	179.60 (यूएसडी 40 मियो)	29-10-09	180.81 (यूएसडी 40.27 मियो)

7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.3.2010	Provision held as at 31.3.2010	Exposure (net) as at 31.3.2009	Provision held as at 31.3.2009
Insignificant	6196.37	3.43	7219.74	2.93
Low	1988.30	Nil	2012.35	Nil
Moderate	1545.76	Nil	1305.87	Nil
High	5.92	Nil	17.39	Nil
Very High	0.80	Nil	5.78	Nil
Restricted	0.00	Nil	1.27	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	9737.15	3.43	10562.40	2.93

7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank:

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank for 2010, the permissible level of Single Borrower exposure ceiling is Rs. 1557.04 crores (15% of Capital funds) and Rs. 4152.11 crores for Group Borrower limit (40% of Capital funds)

(Rs. In crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Period during which limit exceeded	Amount Outstanding during the period limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.03.2010 outstanding
1.	Indian Farmers & Fertilisers Company Ltd. (IFFCO)	1557.04	FB 1650.00 NFB 350.00	Not exceeded	Not applicable	Permitted to consider Credit facilities upto Rs. 2076.05 Crores	FB: Credit Balance NFB: 123.52
2.	Emmar Properties PJSC, Singapore	89.80 (USD 20 mio)	224.50 (USD 50 mio)	Amount yet to be disbursed	NA	22.09.09	NIL
3.	Government of Sri Lanka investment in Sri Lankan Development Bonds, Colombo	89.80 (USD 20 mio)	157.15 (USD 35 mio)	2009-10	157.15 (USD 35 mio)	22.09.09	157.15 (USD 35 mio)
4.	Olam International Pte Ltd., Singapore	89.80 (USD 20 mio)	179.60 (USD 40 mio)	2009-10	179.60 (USD 40 mio)	29.10.09	180.81 (USD 40.27 mio)

8. विविध

8.1 वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधानों की रकम

(रु. करोड़ में)

	2009-10	2008-09
आय कर के लिए प्रावधान (निवल)	45.94	698.20
निम्नतम वैकल्पिक कर (मैट) के लिए प्रावधान	250.74	---
मैट उधार पात्रता	(250.74)	---
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	---	12.94

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण : शून्य

8.3 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ - ब्रेक अप

(रु. करोड़ में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधान व आकस्मिकताओं" का ब्रेकअप	2009-10	2008-09
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-120.02	1.07
अनर्जक आस्तियों के प्रति प्रावधान	919.46	365.50
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	6.01	47.40
आयकर (एफबीटी, आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित) के प्रति किया गया प्रावधान	271.99	628.51
अन्य प्रावधान व आकस्किताएँ	60.22	155.45
कुल	1137.66	1197.93

8.4 अस्थायी प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10	2008-09
क) अस्थायी प्रावधानों के खाते में आरंभिक शेष	171.36	259.92
ख) लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की प्रमात्रा	शून्य	शून्य
ग) लेखांकन वर्ष के दौरान की गई निकासियों की रकम	शून्य	88.56
घ) अस्थायी प्रावधानों के खाते में अंतिम शेष	171.36	171.36

8. MISCELLANEOUS

8.1 Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(Rs. in crore)

	2009-10	2008-09
Provision for Income Tax (net)	45.94	698.20
Provision for Minimum Alternate Tax (MAT)	250.74	—
MAT Credit Entitlement	(250.74)	—
Provision for Fringe Benefit Tax	—	12.94

8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI: NIL

8.3 Provisions and Contingencies – Break-up

(Rs. in crore)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2009-10	2008-09
Provisions for depreciation on Investment	-120.02	1.07
Provision towards NPA	919.46	365.50
Provision towards Standard Assets	6.01	47.40
Provision made towards Income Tax (incl FBT, Deferred Tax & Wealth Tax)	271.99	628.51
Other Provision and Contingencies	60.22	155.45
TOTAL	1137.66	1197.93

8.4 Floating Provisions

(Rs. in crore)

Particulars	2009-10	2008-09
(a) Opening balance in the floating provisions account	171.36	259.92
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	Nil	88.56
(d) Closing balance in the floating provisions account	171.36	171.36

8.5 शिकायतों का प्रकटीकरण

8.5.1 ग्राहकों की शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	47
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1291
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	1280
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	58

8.5.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के प्रारंभ में अ-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	2
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	1
(घ)	उच्च न्यायालय में अधिनिर्णयों के विरुद्ध अनुमत अपीलों की संख्या	1
(च)	वर्ष के अंत में अ-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	1

8.6 चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी)

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन-पत्र	1
मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव	शून्य
संचयी मूल्यांकित वित्तीय बाध्यताएं	शून्य

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने एक चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) इस वचन के साथ जारी किया है कि वह अपनी बैंकाक शाखा के सम्बन्ध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर को बनाए रखेगा।

उल्लिखित के अलावा और कोई एलओसी नहीं है जिसे बैंक ने जारी किया है और मूल्यांकन के अनुसार 31-03-2010 तक के लिए इस एलओसी के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

8.7 अप्रत्याभूत अग्रिम (बैंक द्वारा प्रमाणित अनुसार)

(रु.करोड़ में)

कुल रकम जिसके लिए अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस प्राधिकरण आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गयी हैं	1292.01
इस प्रकार की अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	7218.87

8.5 Disclosure of complaints

8.5.1 Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	47
(b)	No. of complaints received during the year	1291
(c)	No. of complaints redressed during the year	1280
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	58

8.5.2 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	1
(c)	No. of Awards implemented during the year	1
(d)	Appeal against the awards allowed in the High Court	1
(e)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

8.6 Letters of Comfort (LoC)

Letters of Comfort issued during the year	One
Assessed Financial Impact	Nil
Cumulative Assessed Financial Obligations	Nil

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch.

There is no other LoC issued by the Bank other than the one mentioned above and as assessed there is no financial impact on account of this LoC as on 31.03.2010

8.7 Unsecured Advances (As certified by the Bank)

(Rs. In crore)

Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licences authority, etc., has been taken	1292.01
Estimated value of such intangible collateral	7218.87

8.8 बैंकएश्यूरन्स कारोबार (रु.करोड़ में)

प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक 14.38

9 लेखांकन मानकों के निबंधनों के अनुसार प्रकटीकरण:

9.1 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारी लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया था।

ii) इस वर्ष के शुरुआत में कर्मचारी पेंशन के लिए अनभिज्ञ संक्रमणकालीन देयता का शेष रु.267 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए रु.356 करोड़) है। 31-03-2010 को समाप्त चालू वर्ष के लिए रु.89 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष रु.89 करोड़) लाभ व हानि खाते को प्रभारित की गयी है। रु.178 करोड़ (पिछले वर्ष रु.267 करोड़) की शेष अनभिज्ञ देयता को आगे ले जाया जा रहा है ताकि इसे अगले दो वर्षों में प्रभारित किया जा सके।

iii. लेखांकन मानक -15(परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों व दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की सारांशगत स्थिति निम्नवत है:

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	1709.90	1572.27	507.34	466.18	254.00	247.83
ब्याज लागत	136.79	117.92	39.26	36.37	18.48	18.96
वर्तमान सेवा लागत	31.10	28.57	26.91	25.83	15.22	14.96
प्रदत्त लाभ	(104.43)	(73.60)	(33.20)	(23.21)	(15.13)	(21.63)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान/(लाभ)	276.11	64.74	(17.03)	2.17	(8.22)	(6.12)
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	2049.47	1709.90	523.28	507.34	264.35	254.00

8.8 Bancassurance Business (Rs. In crore)

Fees / Remuneration Received 14.38

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

9.1 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i) The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.

ii) The balance of unrecognised Transitional Liability on account of Employee Pension amounted to Rs.267 Crores (previous year Rs.356 Crores) at the beginning of this year. A sum of Rs. 89 Crores (previous year Rs. 89 Crores) has been charged to Profit & Loss Account of the current year ended 31.03.2010. The balance Unrecognized Liability of Rs.178 crores (previous year Rs.267 crores) is being carried forward to be charged off in the next two years

iii) The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard–15 (Revised) are as under:

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(Rs. in crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Present Value of obligation as at the beginning of the year	1709.90	1572.27	507.34	466.18	254.00	247.83
Interest Cost	136.79	117.92	39.26	36.37	18.48	18.96
Current Service Cost	31.10	28.57	26.91	25.83	15.22	14.96
Benefits Paid	(104.43)	(73.60)	(33.20)	(23.21)	(15.13)	(21.63)
Actuarial loss/ (gain) on Obligations	276.11	64.74	(17.03)	2.17	(8.22)	(6.12)
Present Value of Obligation at year end	2049.47	1709.90	523.28	507.34	264.35	254.00

योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य @	1709.90	1572.27	507.34	466.18	0.00	0.00
योजना आस्ति पर प्रत्याशित लाभ	115.43	91.22	55.58	43.02	0.00	0.00
नियोक्ता का अंशदान	366.12	192.91	180.00	11.00	15.13	21.63
प्रदत्त लाभ	(104.43)	(73.60)	(33.20)	(23.21)	(15.13)	(21.63)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान/(लाभ)	(92.05)	(72.90)	(33.66)	10.35	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य @	1994.97	1709.90	676.06	507.34	0.00	0.00

@ संक्रमणकालीन देयता सहित - उक्त नोट सं-9.1(ii) देखें

तुलन - पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	2049.97	1709.90	523.28	507.34	264.35	254.00
वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का वास्तविक उचित मूल्य	1816.97	1442.90	676.06	507.34	0.00	0.00
अनिधिक निवल देयता	232.50*	267.00(141.46)**		-	264.35	254.00

* रुपये 178 करोड़ की अनभिज्ञ संक्रमणकालीन देयता शामिल है, जिसे आगे ले जाया गया है।

** यह एएस 15 आर के पैरा 59(बी) के तहत रु.152.78 करोड़ की भविष्यगत कमी के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है।

Change in Fair Value of Plan Asset

(Rs. in crores)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year @	1709.90	1572.27	507.34	466.18	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	115.43	91.22	55.58	43.02	0.00	0.00
Employer's contribution	366.12	192.91	180.00	11.00	15.13	21.63
Benefit Paid	(104.43)	(73.60)	(33.20)	(23.21)	(15.13)	(21.63)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	(92.05)	(72.90)	(33.66)	10.35	0.00	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year @	1994.97	1709.90	676.06	507.34	0.00	0.00

@ including transitional liability – See Note 9.1(ii) above

Amount recognised in Balance Sheet

(Rs. in crores)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	2049.97	1709.90	523.28	507.34	264.35	254.00
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1816.97	1442.90	676.06	507.34	0.00	0.00
Un-funded Net Liability	232.50*	267.00(141.46)**		-	264.35	254.00

* Includes unrecognized transitional liability carried forward Rs.178 crores.

** This represent the Present Value of future reduction of Rs.152.78 crores under Para 59(b) of AS15R.

लाभ व हानि में पहचाना गया व्यय

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
वर्तमान सेवा लागत	31.10	28.57	26.91	25.83	15.22	14.96
ब्याज लागत	136.79	117.92	39.26	36.37	18.48	18.96
योजना आस्ति पर प्रत्याशित लाभ	(115.43)	(91.22)	(55.58)	(43.02)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	368.16	137.64	16.63	(8.18)	(8.22)	(6.12)
एएस15आर के अनुसार सीमा का प्रभाव	—	—	11.32	—	—	—
लाभ व हानि खाते में पहचाना गया कुल व्यय	420.62	192.91	38.54	11.00	25.48	27.80

पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

	पेंशन न्यास (%)		ग्रैच्युटी न्यास (%)	
	2010	2009	2010	2009
क. ऋण लिखतें				
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.67	25.53	18.89	27.32
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.25	16.17	29.51	18.17
पीएसयु में निवेश *	40.92	50.41	38.51	43.97
अन्य निवेश	9.15	7.89	13.10	10.54
ख. ईक्विटी लिखत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के अंतर्गत इस बैंक की पेंशन निधि में रु.99.50 करोड़ (17.36%) और ग्रेच्युटी निधि में रु.0.05 करोड़ (0.02%) की खुद की मियादी जमाएं शामिल हैं।

तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
बट्टा दर	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	8.00%	9.23%	9.57%	9.57%	0%	0%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	4%	5%	4%	5%	4%	5%
अपनायी गयी प्रक्रिया	प्रक्षेपित इकाई उधार		प्रक्षेपित इकाई उधार		प्रक्षेपित इकाई उधार	

योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ: ग्रैच्युटी रु.21.92 करोड़ (पिछले वर्ष रु.53.37 करोड़)

Expenses Recognised in Profit & Loss

(Rs. in crores)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Current Service Cost	31.10	28.57	26.91	25.83	15.22	14.96
Interest Cost	136.79	117.92	39.26	36.37	18.48	18.96
Expected return on Plan Asset	(115.43)	(91.22)	(55.58)	(43.02)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	368.16	137.64	16.63	(8.18)	(8.22)	(6.12)
Effect of limit as per AS15R	—	—	11.32	—	—	—
Total expenses recognised in Profit & Loss Account	420.62	192.91	38.54	11.00	25.48	27.80

Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust

	Pension Trust (%)		Gratuity Trust (%)	
	2010	2009	2010	2009
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	18.67	25.53	18.89	27.32
State Government Securities	31.25	16.17	29.51	18.17
Investment in PSU*	40.92	50.41	38.51	43.97
Other Investments	9.15	7.89	13.10	10.54
b) Equity Instruments	Nil	Nil	Nil	Nil

* Investments in PSU includes own Fixed Deposits of this Bank Rs.99.50 Crores (17.36%) in Pension Fund and Rs.0.05 Crores (0.02%) in Gratuity Fund.

Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Discount Rate	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%
Expected rate of return on Plan Assets	8.00%	9.23%	9.57%	9.57%	0%	0%
Expected Rate of Salary increase	4%	5%	4%	5%	4%	5%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

Actual return on Plan Assets: Gratuity Rs. 21.92 Crores (Previous Year Rs.53.37Crores)

अनुभवगत समंजन

विवरण	ग्रैच्युटी (निधिक) 2010	2009	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक) 2010	2009
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(33.66)	10.35	शून्य	शून्य
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(21.67)	10.52	(9.30)	8.87

वास्तविक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारियों के वेतन स्तरों में प्रत्याशित वृद्धि के कारण किए गए प्रावधान की रकम रु.168 करोड़ है, जिससे रु.406 करोड़ का समेकित प्रावधान बनता है, जिसे वृद्धिशील देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

(ख) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2010) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

प्रत्याशित लाभ दर: पेंशन व छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में प्रत्याशित लाभ दर को सरकारी बाँड पर लाभ के आधार पर तय किया गया है। ग्रैच्युटी के संबंध में वास्तविक लाभ को लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : गत डाटा के आधार पर ।

(ग) अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन शून्य है।

(घ) परिभाषित अंशदान योजना - भविष्य निधि के कारण होनेवाले अंशदान की राशि है रु.716.16 करोड़ (पिछले वर्ष - रु.620.25 करोड़)।

Experience Adjustments

Particulars	Gratuity (Funded) 2010	2009	Leave Encashment (Un funded) 2010	2009
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	(33.66)	10.35	Nil	Nil
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(21.67)	10.52	(9.30)	8.87

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

The provision made on account of expected increase in salary levels of employees for the year ended 31.03.2010 is Rs.168 crores, forming an aggregate provision of Rs.406 crores, which is considered adequate for meeting the incremental liability.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(b) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation. (Balance sheet date 31.03.2010)

Expected Rate of Return: In case of Pension and Leave Encashment, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds. In case of gratuity, the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data.

(c) Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Nil.

(d) The contribution on account of Defined Contribution Scheme – Provident Fund Rs.716.16 Crores (previous year Rs. 620.25 Crores).

9.2 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
Revenue	2892.04	2917.86	4862.74	4487.28	3269.72	3288.83	350.84	447.42	11375.34	11141.39
Result	33.29	310.44	901.06	1145.66	975.14	766.74	-78.36	205.22	1831.13	2428.06
Unallocated Income	-	-	-	-			-	-	13.68	95.84
Unallocated Expenses									0.19	0.18
Operating Profit/Loss									1844.62	2523.72
Income Taxes									271.99	628.51
Provisions & Contingencies									783.50	569.42
Extraordinary profit / loss	-	-	-	-			-	-	(82.17)	-
Net Profit									706.96	1325.79
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	41385.24	35306.77	52492.03	39708.52	33759.65	43396.01	2076.97	1835.54	129713.89	120246.84
Unallocated Assets									1382.50	826.56
Total assets									131096.39	121073.40
Segment Liabilities	36982.33	29271.97	51131.13	39280.99	33523.92	30689.07	1526.60	14378.49	123163.98	113620.52
Unallocated Liabilities									407.83	301.88
Total Liabilities									123571.81	113922.40

9.2 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	ट्रेज़री		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
राजस्व	2892.04	2917.86	4862.74	4487.28	3269.72	3288.83	350.84	447.42	11375.34	11141.39
परिणाम	33.29	310.44	901.06	1145.66	975.14	766.74	-78.36	205.22	1831.13	2428.06
अनाबंटित आय	-	-	-	-			-	-	13.68	95.84
अनाबंटित व्यय									0.19	0.18
परिचालनगत लाभ/हानि									1844.62	2523.72
आय कर									271.99	628.51
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									783.50	569.42
असाधारण लाभ / हानि	-	-	-	-			-	-	(82.17)	-
निवल लाभ									706.96	1325.79
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	41385.24	35306.77	52492.03	39708.52	33759.65	43396.01	2076.97	1835.54	129713.89	120246.84
अनाबंटित आस्तियाँ									1382.50	826.56
कुल आस्तियाँ									131096.39	121073.40
खण्डवार देयताएँ	36982.33	29271.97	51131.13	39280.99	33523.92	30689.07	1526.60	14378.49	123163.98	113620.52
अनाबंटित देयताएं									407.83	301.88
कुल देयताएं									123571.81	113922.40

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

	देशी		अन्तरराष्ट्रीय		कुल	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
राजस्व	10928.21	10655.40	460.81	513.33	11389.02	11168.73*
आस्तियाँ	121744.12	113595.78	9352.27	7477.62	131096.39	121073.40

*इसमें रु.68.50 करोड़ की अपवादस्वरूप मदें शामिल नहीं है।

9.3 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों के नाम व बैंक के साथ उनका संबंध

1	मूल संस्था	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
2	सहयोगी संस्थाएँ	पाण्डियन ग्रामा बैंक नीलाचल ग्राम्य बैंक
3	अनुषंगियाँ	कोई नहीं
4	संयुक्ततः नियंत्रित इकाई	युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड

5 प्रमुख प्रबन्धन पदाधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* रकम (रु.)
1	श्री एस.ए. भट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	23,41,058
2	श्री वाई.एल.मदान	कार्यपालक निदेशक	16,82,445
3	श्रीमती नूपुर मित्रा	कार्यपालक निदेशक	3,14,223
4	श्री जी.नारायणन	पूर्व कार्यपालक निदेशक	14,04,027

* पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादनगत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं।

नोट: लेखांकन मानक-18 में "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के पैरा 9 के मद्देनजर सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देनों को प्रकट नहीं किया गया है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को, उन अन्य संबंधित पार्टियों के साथ अपने लेन-देनों से जुडे प्रकटीकरण करने से छूट देता है, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित उद्यम है और उसी लेखांकन मानक के पैरा 5 में उल्लिखित है कि यदि संबंधित पार्टी के किसी प्रवर्ग में केवल एक ही इकाई है तो प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

9.4 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2009-10	2008-09
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (रु. करोड़ में)	706.96	1325.79
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	54,48,00,000	54,48,00,000
मूल तथा कम की हुई प्रति शेयर अर्जन	12.98	24.34
प्रति शेयर का नाम मात्र मूल्य	10.00	10.00

Part B - Geographic segments

	Domestic		International		Total	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
Revenue	10928.21	10655.40	460.81	513.33	11389.02	11168.73*
Assets	121744.12	113595.78	9352.27	7477.62	131096.39	121073.40

* Does not include exceptional items of Rs. 68.50 crores.

9.3 Accounting Standard 18- Related Party Disclosures

Names of the related parties and their relationship with the bank

1	Parent	Indian Overseas Bank
2	Associates	Pandyan Grama Bank Neelachal Gramya Bank
3.	Subsidiaries	None
4	Jointly controlled entity	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

5 Key Management Personnel

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.)
1.	Shri S.A. Bhat	Chairman & Managing Director	23,41,058
2.	Shri Y.L. Madan	Executive Director	16,82,445
3.	Smt. Nupur Mitra	Executive Director	3,14,223
4.	Shri G. Narayanan	Ex-ED	14,04,027

* Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

Note: The transactions with associates / joint ventures have not been disclosed in view of Para 9 of Accounting Standard – 18 "Related Party Disclosures", which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises and Para 5 of the same Accounting Standard states that no disclosure is required if there is only one entity in any category of related party.

9.4 Accounting Standard 20 – Earning Per Share

Particulars	2009-10	2008-09
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. In Crore)	706.96	1325.79
Weighted Average Number of Equity Shares	54,48,00,000	54,48,00,000
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs. 12.98	Rs. 24.34
Nominal value per Equity Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

9.5 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, इसलिए किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई।

9.6 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखा

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.226.21 करोड़ की आस्थगित कर देयता (पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्ति रही रु.82.74 करोड़) को हिसाब में लिया है। बैंक के पास रु.169.12 करोड़ की बकाया निवल आस्थगित कर देयता है (पिछले वर्ष की आस्थगित कर देयता रु.57.09 करोड़ रही)। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का प्रमुख मदों में ब्रेकअप निम्नवत दिया गया है:

(रु.करोड़ में)

	31-03-2010		31-03-2009	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		388.74		67.43
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	7.46			15.66
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	138.41		129.07	
धोखाधडियों के लिए प्रावधान	9.23		8.63	
अन्य	64.52		2.48	
कुल	219.62	388.74	140.18	83.09
निवल डीटीए/डीटीएल	169.12			57.09

9.7 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक में प्रयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को स्वयं ही तैयार किया गया है और यह एक सुदीर्घ अवधि में विकसित हुआ है। अत: सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालनात्मक व्यय जैसे वेतन आदि का अनिवार्य अंश है और इसे लाभ-हानि खाते के संबंधित व्यय शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

9.8 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

युनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. के साथ संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक ने रु.28.50 करोड़ का निवेश किया है जो ईक्विटी में 19% शेयर है। एएस 27 के अनुसार प्रकट की जानेवाली अपेक्षित सूचना इसीलिए नहीं प्रस्तुत की गई है कि 31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. के वित्तीय आंकडों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

9.5 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

9.6 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Deferred Tax Liability of Rs.226.21 crores during the year (Previous year Deferred Tax Asset of Rs.82.74 crores). The Bank has outstanding net deferred tax liability of Rs.169.12 crores (Previous year Deferred Tax Asset of Rs.57.09 crores). The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Rs. in crore

	31.03.2010		31.03.2009	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		388.74		67.43
Depreciation on Fixed Assets	7.46			15.66
Provision for Employee Benefits	138.41		129.07	
Provision for Frauds	9.23		8.63	
Others	64.52		2.48	
Total	219.62	388.74	140.18	83.09
Net DTA / DTL		169.12	57.09	

9.7 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The application software in use in the bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

9.8 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

In the case of Joint Venture with Universal Sompo General Insurance Company Ltd., the bank has made an investment of Rs.28.50 crores being 19% share in Equity. Information required to be disclosed as per AS 27 has not been furnished since the financials for the year ended 31.03.2010 of Universal Sompo General Insurance Company Ltd., is yet to be finalised.

9.9 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को "कार्पोरेट आस्तियाँ" माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 28 के जरिए परिभाषित अनुसार "नकदी सृजन इकाइयाँ" नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति का कोई हानिकरण नहीं है ।

9.10 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

10 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.आरबीआई/2009-10/347 डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.79/21.04.018/2009-10 दिनांकित 15-03-2010 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण

(चूँकि निम्नलिखित मदों के प्रकटीकरण का यह पहला वर्ष है, इसीलिए पिछले साल के आंकडे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं)

I. जमाओं, अग्रिमों, ऋण जोख़िमों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	14125
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	12.75

अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	9057
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	11.21

ऋण जोखिमों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋण सम्बन्धी कुल जोखिम	16727
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋणों के कुल जोखिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋण सम्बन्धी जोखिमों का प्रतिशत	14.08

9.9 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

9.10 Accounting Standard 29 - Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

10 ADDITIONAL DISCLOSURES PURSUANT TO RBI CIRCULAR No. RBI/2009-10/347 DBOD.BP.BC.No.79/21.04.018/2009-10 DATED 15.03.2010

(Previous year's figures have not been furnished since this is the first year of disclosure of the following items)

I. CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAS

Concentration of Deposits

(Rs. in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	**14125**
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the bank	12.75

Concentration of Advances

(Rs. in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	9057
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	11.21

Concentration of Exposures

(Rs. in crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	16727
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	14.08

अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण (रु. करोड़ में)

उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल ऋण जोखिम	660.48

II. प्रवर्ग-वार अनर्जक आस्तियाँ

क्रम सं.	प्रवर्ग	सम्बन्धित प्रवर्ग में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
1	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	1.33
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम व बडे)	5.99
3	सेवाएँ	4.20
4	वैयक्तिक ऋण	3.37

III. अनर्जक आस्तियों का संचलन

विवरण	रकम रु.करोड़ में
01.04.2009 तक सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष)	1923.41
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	3126.83
उप-योग (अ)	5050.24
घटाएँ :	
i. उन्नयन	547.82
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोडकर)	502.78
iii. बट्टे खाते में डाली गई रकम	388.56
उप-योग (आ)	1439.16
31-03-2010 के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	3611.08

IV. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

विवरण	रकम रु.करोडों
कुल आस्तियाँ	9352.27
कुल अनर्जक आस्तियाँ	169.41
कुल राजस्व	460.81

V. तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन मानदण्डों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम

देशीय	विदेशी
शून्य	शून्य

11 तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया।

Concentration of NPAs Rs. in crore

Total Exposure to top four NPA accounts	660.48

II SECTOR-WISE NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector
1	Agriculture & allied activities	1.33
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	5.99
3	Services	4.20
4	Personal Loans	3.37

III MOVEMENT OF NPAs

Particulars	Amount in Rs.Crores
Gross NPAs as on 01-04-2009 (Opening Balance)	1923.41
Additions (Fresh NPAs) during the year	3126.83
Sub-total (A)	5050.24
Less:-	
(i) Up gradations	547.82
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	502.78
(iii) Write-offs	388.56
Sub-total (B)	1439.16
Gross NPAs as on 31.03.2010 (closing balance) (A-B)	3611.08

IV OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

Particulars	Amount in Rs.Crores
Total Assets	9352.27
Total NPAs	169.41
Total Revenue	460.81

V OFF-BALANCE SHEET SPVs SPONSORED (WHICH ARE REQUIRED TO BE CONSOLIDATED AS PER ACCOUNTING NORMS)

Name of the SPV sponsored

Domestic	Overseas
NIL	NIL

11 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

नकद प्रवाह विवरण

31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

रु. हजारों में

	31.3.2010 को समाप्त वर्ष		31.3.2009 को समाप्त वर्ष	
परिचालनगत गति-विधियाँ				
आय				
अर्जित ब्याज	102 45 77 35		96 41 40 33	
अन्य आय	11 66 27 67	114 12 05 02	15 27 32 68	111 68 73 01
व्यय व प्रावधान				
प्रदत्त ब्याज	66 84 71 82		64 67 13 74	
परिचालनगत व्यय व प्रावधान	23 54 73 77	90 39 45 59	18 40 75 23	83 07 88 97
परिचालनगत देयताओं और आस्तियों में परिवर्तनों के प्रभाव के पहले परिचालनगत गति-विधियों पर नकद की निवल वृद्धि		23 72 59 43		28 60 84 04
परिचालनों से सर्जित नकदी लाभ		**23 72 59 43**		**28 60 84 04**
परिचालनगत देयताओं और आस्तियों से नकदी बहाव				
परिचालनगत देयताओं पर निवल वृद्धि / ह्रास				
i) ग्राहकों से निक्षेप	106 78 82 15		157 90 30 68	
ii) बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से उधार	-24 37 38 05		1 94 63 61	
iii) अन्य परिचालनगत देयताएं और प्रावधान	-5 62 18 53		-10 98 85 45	
		76 79 25 57		**148 86 08 84**
परिचालनगत आस्तियों पर निवल वृद्धि/ह्रास				
(i) विनिधान	64 88 45 55		27 40 73 03	
(ii) ग्राहकों को अग्रिम	41 18 65 31		144 83 45 17	
(iii) अन्य आस्तियाँ	6 54 93 62	112 62 04 48	2 79 63 80	175 03 82 00
परिचालनगत आस्तियों से परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि		-35 82 78 91		-26 17 73 16
परिचालनगत गति-विधियों से नकद प्रवाह (अ)		**-12 10 19 48**		**2 43 10 88**
विनिधान संबंधी गति-विधियों से नकद प्रवाह				
(i) अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	20 94 69		1 42 08 95	
(ii) अचल आस्तियों की खरीद	-1 52 99 69		-2 32 15 56	
विनिधान संबंधी गति-विधियों से निवल नकद प्रवाह (आ)		**-1 32 05 00**		-90 06 61
वित्तपोषण संबंधी गति-विधियों से नकद प्रवाह				
अंतर्वाह				
(i) टायर I / टायर II बाँडों से धनागम	11 00 00 00		9 55 30 00	

बाहिर्वाह				
(i) टायर II बाँडों से शोधन	1 75 00 00			
(ii) टायर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	3 93 19 13		3 04 67 61	
(iii) प्रदत्त लाभांश	2 86 82 49		2 23 08 61	
		8 55 01 62		5 27 76 22
वित्तपोषण संबंधी गति-विधियों से निवल नकद प्रवाह (इ)		**2 44 98 38**		**4 27 53 78**
वर्ष के दौरान कुल नकद प्रवाह (अ+आ+इ)		**-10 97 26 10**		**5 80 58 05**
वर्ष के आरम्भ में शेष				
भा.रि.बैंक के साथ नकदी व शेष	59 40 44 42		91 24 23 28	
बैंकों के साथ शेष तथा माँग द्रव्य	49 81 45 75	109 21 90 17	12 17 08 84	103 41 32 12
वर्ष के अंत में शेष				
भा.रि.बैंक के साथ नकदी व शेष	76 66 44 72		59 40 44 42	
बैंकों के साथ शेष तथा माँग द्रव्य	21 58 19 35	98 24 64 07	49 81 45 75	109 21 90 17
वर्ष के दौरान कुल नकद प्रवाह		**-10 97 26 10**		**5 80 58 05**

यह विवरण प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है ।

बी.एस.केशवमूर्ति
महा प्रबंधक

एस.ए.भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हम, अधोहस्तारकर्ता-गण, इण्डियन ओवरसीज बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31/03/2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उक्त नकदी-प्रवाह विवरण की जाँच की है । यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीबद्ध खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप व बैंक के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते जो कि भारत के राष्ट्रपति को उसी तिथि पर दी गयी हमारी रिपोर्ट द्वारा आवरित है, के अनुसार व उस पर आधारित है ।

ओम अग्रवाल ऐण्ड कंपनी

वर्मा ऐण्ड वर्मा

पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम

भास्करन ऐण्ड रमेश

एम.भास्कर राव ऐण्ड कंपनी

मित्तल गुप्ता ऐण्ड कंपनी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 29- 04. 2010

Indian Overseas Bank

Cash Flow Statement

Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2010

(Rs. in '000s)

	Year ended 31.03.2010		Year ended 31.03.2009	
Operating Activities				
Income				
Interest Earned	102 45 77 35		96 41 40 33	
Other Income	11 66 27 67	114 12 05 02	15 27 32 68	111 68 73 01
Expenditure & Provisions				
Interest Paid	66 84 71 82		64 67 13 74	
Operating Expenses & Provisions	23 54 73 77	90 39 45 59	18 40 75 23	83 07 88 97
Net Increase of cash on operating activities prior to the effect of changes in Operating Liabilities & Assets		23 72 59 43		28 60 84 04
Cash Profit generated from Operations		**23 72 59 43**		**28 60 84 04**
Cash Flow from operating Liabilities & Assets				
Net Increase / Decrease in Operating Liabilities				
i) Deposits from Customers	106 78 82 15		157 90 30 68	
ii) Borrowings From Banks & Financial Institutions	-24 37 38 05		1 94 63 61	
iii) Other Operating Liabilities & Provisions	-5 62 18 53		-10 98 85 45	
		76 79 25 57		**148 86 08 84**
Net increase / decrease in Operating Assets				
i) Investments	64 88 45 55		27 40 73 03	
ii) Advances to customers	41 18 65 31		144 83 45 17	
iii) Other Assets	6 54 93 62	112 62 04 48	2 79 63 80	175 03 82 00
Net Increase in Operating Liabilities over Operating Assets		-35 82 78 91		-26 17 73 16
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**-12 10 19 48**		**2 43 10 88**
Cash Flow from Investing Activities				
i) Sale / disposal of Fixed Assets	20 94 69		1 42 08 95	
ii) Purchase of Fixed Assets	-1 52 99 69		-2 32 15 56	
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		**-1 32 05 00**		**-90 06 61**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
Inflow				
i) Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	11 00 00 00		9 55 30 00	
Outflow				
i) Redemption of Tier II Bonds	1 75 00 00			
ii) Interest Paid on Tier II Capital	3 93 19 13		3 04 67 61	
iii) Dividend Paid	2 86 82 49		2 23 08 61	
		8 55 01 62		5 27 76 22
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		**2 44 98 38**		**4 27 53 78**
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A) +(B) + (C)		**-10 97 26 10**		**5 80 58 05**

Balances at the Beginning of the year				
Cash & Balances with RBI	59 40 44 42		91 24 23 28	
Balances with Banks & Money at Call	49 81 45 75	109 21 90 17	12 17 08 84	103 41 32 12
Balances at the end of the year				
Cash & Balances with RBI	76 66 44 72		59 40 44 42	
Balances with Banks & Money at Call	21 58 19 35	98 24 64 07	49 81 45 75	109 21 90 17
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR		**-10 97 26 10**		**5 80 58 05**

This Statement has been made prepared in accordance with Direct Method.

B.S. Keshavamurthy
General Manager

S.A.Bhat
Chairman & Managing Director

AUDITORS' CERTIFICATE

We , the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2010 . The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32 , of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank, covered by our report of even date to The President of India .

Om Agarwal & Co

Varma & Varma

PKF Sridhar & Santhanam

Bhaskaran & Ramesh

M Bhaskara Rao & Co

Mittal Gupta & Co

Place : Chennai

Date : 29.04.2010

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्तम्भ III की अपेक्षाओं के तहत दिनांक 27-04-2007 की नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते समय अपनी गतिविधियों में बैंक कई प्रकार के जोखिम लेते हैं। जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। सामान्य कारोबार के दौरान बैंक को इस प्रकार के उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम जैसे जोखिम उठाना पड़ता है। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबन्धन उपाय और पद्धतियाँ तैयार की हैं जिनमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन तंत्र और प्रबन्धन सूचना प्रणालियाँ (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक निरंतर आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त तालमेल प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन, नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों की स्पष्ट समझ और जोखिम की वहन क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम वहन क्षमता के मानदण्ड सामान्यत: जोखिम सीमा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। बैंक की जोखिम वहन क्षमता जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबन्धन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबन्धन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति के नाम से आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियाँ भी गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के उत्तम कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। बैंक के महा प्रबंधक की श्रेणी में एक मुख्य जोखिम अधिकारी इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेशरी (देशीय) और ट्रेशरी (विदेशी) और उधार समर्थन सेवा विभाग भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं जो नीतियों के पालन /

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Mumbai, under New Capital Adequacy Framework (Basel II) dated 27.04.2007 under Pillar III requirement, the following disclosures are made as per the specified Formats:

RISK MANAGEMENT

Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services. As such, risk taking is an integral part of the banking business. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Risk appetite parameters are normally expressed in terms of risk limits. Bank's risk appetite is demonstrated through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk and Operational Risk Management Committee for managing operational risk.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank. In addition, the Mid-Office in Treasury (Domestic) and Treasury (Foreign) and Credit Support Services Dept. also carry out the risk management functions and monitor the adherence/

अनुपालन, जोखिम सीमा फ्रेमवर्क और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं।

बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) को कार्यान्वित की है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में तैयार रूपरेखा के अनुसार इसका अनुपालन किया गया है। बेसल II फ्रेमवर्क तीन परस्पर पुनर्बलित स्तम्भों पर आधारित है। परिशोधित फ्रेमवर्क का पहला स्तम्भ उधार, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का समाधान करता है तो पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का दूसरा स्तम्भ सुनिश्चित करता है कि अपने जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश के अनुरूप अपने कारोबार से जुडे सभी प्रकार के जोखिमों को संभालने के लिए बैंक के पास यथेष्ट पूंजी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षा अनुसार बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन पक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को तैयार किया है ताकि दूसरे स्तंभ की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस नीति का उद्देश्य प्रथम स्तंभ के जोखिमों तहत विनियामक निर्धारणों से अधिक व ऊपर के उन सभी भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करना है जो बैंक को उठाने पड़ सकते हैं और सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना सुनिश्चित करना है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप "तनाव जांच संबंधी रूपरेखा "तैयार की है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका निराकरण करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्टें प्रस्तुत करता है।

बेसल II फ्रेमवर्क का तीसरा स्तम्भ बाजार अनुशासन से संबंधित है। बाजार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ 2 के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1)अनुप्रयोग की गुंजाइश (डीएफ-1), (2) पूंजी संरचना (डीएफ-2), (3) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम : पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-5) (6) उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ-6) (7) प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-7), (8) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-8) (9) परिचालन जोखिम (डीएफ-9) और (10) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (डीएफ-10) आदि। इससे बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी।

compliance to policies, risk limit framework and internal approvals.

The bank has implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" in line with the RBI guidelines to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and place the reports to ALCO / RMCB / Board.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (1) Scope of application (DF-1), (2) Capital Structure (DF-2), (3) Capital Adequacy (DF-3), (4) Credit Risk: General Disclosures (DF-4), (5) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-5), (6) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-6), (7) Securitisation: Disclosure for Standardised Approach (DF-7), (8) Market Risk in Trading Book (DF-8), (9) Operational Risk (DF-9), and (10) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-10) etc. This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

तालिका डीएफ-1
लागू करने की गुंजाइश

गुणात्मक प्रकटीकरण		हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क.	जिस समूह पर फ्रेमवर्क लागू होती है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम	बैंक किसी भी वर्ग का सदस्य नहीं है।
ख.	समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप्त विवरण सहित, लेखाकरण और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अन्तर की रूपरेखा (i) जो पूरी तरह समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक रूप से समेकित हैं (iii) जिनमें कटौती की गई है (iv) जिन्हें समेकित नहीं किया गया है न ही कटौती की गई है (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारित है)	लागू नहीं।
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
ग.	सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम	लागू नहीं
घ.	बीमा इकाइयों में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामित्व हित का अंश और यदि कोई भिन्न है तो इन इकाइयों में मताधिकार का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौती का प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव दर्शाएं।	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कं.लि. जैसे बीमा संयुक्त उपक्रम में ईक्विटी अभिदान के ज़रिए रु.28.50 करोड़, जो अपनी कुल जारी की गई पूंजी का 19% निवेश है। इसे सीआरएआर परिकलन से छूट है।

तालिका डीएफ-2
पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण		हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क.	सभी पूंजी लिखतों की विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेषत: टायर 1 या उच्चतर टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिखतों के मामले में हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	बैंक पर लागू है चूंकि हमने समय-समय पर पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 पूंजी उठाई है।

Table DF –1
Scope of application

Qualitative Disclosures		Applicability to Our Bank
a)	The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b)	An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures		
c)	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d)	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities.In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Rs. 28.50 crores by way of equity subscription in an insurance JV ie. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., representing 19% of its total issued capital. The same is excluded from CRAR computation.

Table DF – 2
Capital structure

Qualitative Disclosures		Applicability to Our Bank
a)	Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier I and Tier II capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख.	निम्नलिखित के अलग से प्रकटीकरण सहित टायर 1 पूंजी की रकम:	
*	प्रदत्त शेयर पूंजी	रु.544.80 करोड़
*	आरक्षितियां	रु.5715.37 करोड़
*	नवोन्मेषी लिखत (टायर 1 पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)	रु.780.00 करोड़ (वर्ष के दौरान उठाए गए - रु.300 करोड़)
*	अन्य पूंजी लिखतें	शून्य
*	टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर	रु.165.24 करोड़
ग.	टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौतियों का निवल)	रु.4846.28 करोड़
घ.	उच्चतर टायर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें	रु.3942.50 करोड़ (डिसकाउंट में) (वर्ष के दौरान उठाए गए - रु.800.00 करोड़)
*	कुल बकाया रकम	रु.1665.30 करोड़
*	जिसमें से चालू वर्ष के दौरान ली गई रकम	रु.510.00 करोड़
*	पूंजीगत निधियों के रूप में परिकलन हेतु पात्र रकम	रु.1665.30 करोड़
च.	निम्नतर टायर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण	
*	कुल बकाया रकम	रु.2426.00 करोड़
*	इसमें से चालू वर्ष के दौरान ली गई रकम	रु.290.00 करोड़
*	पूंजीगत निधियों के रूप में परिकलन हेतु पात्र रकम	रु.2277.20 करोड़
छ.	पूंजी में से अन्य कटौतियाँ, यदि हो	शून्य
ज.	कुल पात्र पूंजी	रु.11721.20 करोड़

Quantitative Disclosures

b)	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	
*	paid up share capital	Rs. 544.80 crore
*	reserves	Rs. 5715.37 crore
*	innovative instruments (Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)	Rs. 780.00 crore (raised during the year – Rs.300Cr)
*	other capital instruments	Nil
*	amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	Rs. 165.24 crore
c)	The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	Rs. 4846.28 crore
d)	Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	Rs. 3942.50 crore (at discount) (raised during the year Rs.800.00 crores)
*	Total amount outstanding	Rs. 1665.30 crores
*	Of which amount raised during the current year	Rs. 510.00 crores
*	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 1665.30 crores
e)	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
*	Total amount outstanding	Rs. 2426.00 crores
*	Of which amount raised during the current year	Rs. 290.00 crores
*	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs 2277.20 crores
f)	Other deductions from capital, if any	Nil
g)	Total eligible capital	Rs.11721.20 crores

तालिका डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

वर्तमान और भविष्यगत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी पूँजी की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए बैंक के रुख की सारांशगत चर्चा:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए था जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को "पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क" जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के व्यवहार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में परिशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देश जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप के जरिए बेसल - I फ्रेमवर्क का प्रयोग जारी रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने और आगे सूचना मिलने तक समानांतर चालन और विवेकपूर्ण मानक को जारी रखने हेतु दिनांकित 07 अप्रैल 2010 के परिपत्र के जरिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक ने इन दिशानिर्देशों का पूर्णत: अनुपालन किया है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। यह फ्रेमवर्क बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि एप्रोच (एसडीए) और परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures:

A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework. In addition to this, the bank continues the parallel run of Basel I framework in terms of the guidelines issued by the RBI through prescribed reporting formats. The RBI has issued directions vide their circular dated 7th April 2010 continuance of the parallel run and prudential floor until further advice. The Bank is in full compliance with these guidelines.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Duration Approach (SDA) for market risks and Basic Indicator

है। अत: इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने 31-03-2010 तक के लिए उधार, बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखी है।

बैंक ने संबंधित डाटा के आधार पर केन्द्रीय कार्यालय में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन किया है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करने के लिए बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में धारित पोर्टफोलियो के अलावा हर शाखा से लिए गए उधारकर्तावार डाटा को लिया है। इसके लिए बैंक ने स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करता है और शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट का सृजन करता है। सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम घटाने का प्रयोग किया है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) परिकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात सीआरआर के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात रखने के लिए नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी निर्धारित करता है कि 31.03.2010 तक उधार और बाज़ार जोखिमों के लिए बेसल I फ्रेमवर्क के मुताबिक परिकलित न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं का 80% पर विवेकपूर्ण स्तर हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क अतिरिक्त रूप से 31 मार्च 2010 तक या इसके पहले 6% का न्यूनतम टायर-I सीआरएआर बनाए रखने के लिए निर्धारण करता है। इन निर्धारणों के प्रति बैंक का कुल सीआरएआर और टायर-I सीआरएआर क्रमश: 14.78% और 8.67% पर है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

जहाँ तक भविष्यगत गतिविधियों को अनजाम देने के लिए पूँजी पर्याप्तता की बात है, वहाँ बैंक कारोबार की भविष्यगत वृद्धि को ध्यान में लेते हुए पूँजीगत अपेक्षाओं का आवधिक मूल्यांकन करता है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अतिरिक्त सीआरएआर भविष्यगत गतिविधियों को पूरा करने के लिए

Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. As such, the Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk as on 31.3.2010, in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Regional Office and Central Office of the bank. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office level. Necessary training is imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation to ensure accuracy and adequacy.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and capital to risk weighted assets ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8% prescribed in the Basel document. RBI has also prescribed Prudential Floor at 80% of minimum capital requirements computed as per Basel-I Framework for Credit and Market risks as on 31.3.2010. The framework issued by RBI additionally prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 6% on or before March 31, 2010. Against this, the Bank's total CRAR and Tier-1 CRAR stand at 14.78% and 8.67% respectively, which are well above the minimum level prescribed by RBI.

The Bank has put in place the policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by RBI in their guidelines.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support

बफर का काम करता है। साथ ही टायर I और टायर II पूंजी संघटकों में बैंक के पास उपलब्ध छूट भविष्यगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूँजी समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मानकीकृत दृष्टिकोण	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	6232.28
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	0.00
कुल	6232.28
बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	236.02
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	8.82
ईक्विटी जोखिम	149.58
कुल	394.42
परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मूल संकेतक दृष्टिकोण	
परिचालनगत जोखिम	511.42
बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात	
कुल सीआरएआर	14.78%
कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के अनुप्रयोग के अनुसार)	14.78%
टायर 1 सीआरएआर	8.67%

तालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम

उधार जोखिम का तात्पर्य उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास सहित शामिल हानियों की संभावना से है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक के प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार

the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed.

Quantitative disclosures

(Rs. In Crore)

Capital requirements for credit risk: Standardised Approach	
Portfolios subject to standardised approach	6232.28
Securitisation exposures	0.00
Total	6232.28
Capital requirements for market risk: Standardised Duration Approach	
Interest rate risk	236.02
Foreign Exchange risk (including gold)	8.82
Equity risk	149.58
Total	**394.42**
Capital requirements for operational risk Basic indicator approach	
Operational Risk	511.42
Total Capital Ratio for the Bank	
Total CRAR	14.78%
Total CRAR (subject to application of Prudential Floor)	14.78%
Tier 1 CRAR	8.67%

Table DF-4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending activities of the Bank if a borrower is unable to meet its financial obligations to the lender. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that

प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है। इस प्रक्रिया को और भी अधिक कवरेज देने और व्यापक बनाने के उद्देश्य से बैंक ने अतिरिक्त रेटिंग प्रतिमानों का उपयोग शुरू कर दिया है जो स्वविकसित हैं। इसमें रु.5 लाख और उससे अधिक के उधार खाते कवर किये जायेंगे।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, उद्योग जोखिम, व्यापार जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि से संबंधित आंतरिक रेटिंग के कारक हैं। उद्योग जोखिम विषयक यह आँकडें बाजार की परिस्थितियों के आधार पर नियमति रूप से अद्यतन किये जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया है। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। बैंक उधार खातों पर ब्याज दरों का निर्णय करने के लिए उधार रेटिंग का प्रयोग करता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पादों के अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले उनमें निहित प्रक्रिया / जोखिम के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति / उधार नीति समिति / आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा जांच कर ली जाती हैं। ऐसे नए उत्पादों के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति व प्रक्रिया का निर्धारण पद्धति व प्रक्रिया समिति (एसएपीसीओ) द्वारा किया जाता है।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंकवार आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को ध्यान में रखकर और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal. In order to widen the scope and coverage further, the bank has started using additional rating models, which were developed in-house. This will cover borrower accounts of Rs. 5 lacs and above.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's central office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The Bank uses credit rating for deciding interest rates on borrowal accounts. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for considering fresh/enhancement proposal. The new products introduced by bank are examined by the internal Operational Risk Management Committee (ORMC), Credit Policy Committee/ Asset Liability Management Committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to Board for approval. The system and procedure committee (SAPCO) lays down the system and procedure to be followed for such new products.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organization structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। ये प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।विभाग का उद्देश्य है फिसलन में कमी करना ताकि निष्पादक खातों को अनर्जक खाते में बदलने से रोका जा सके । विभाग द्वारा सेगमेंटेशन द्वारा खातों की सूक्ष्म निगरानी की जाती है और खातों का दैनिक आधार पर अनुवर्तन किया जाता है ताकि फिसलन को कम किया जा सके ।

रु. 1 करोड़ और उससे अधिक के निधि आधारित सीमाओं वाले सभी उधार खाते ऋण पुनरीक्षा तंत्र के तहत पुनरीक्षित किए जाते हैं जो अनवार्यत: एक ऑफ साइट लेखा परीक्षा तंत्र है । उधार लेखा परीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक और हमारे बैंक की उधार जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा जारी उधार जोखिम पर दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

उधार लेखा परीक्षा से बैंक को उधार खातों में रुग्णता / कमजोरी के प्रारंभिक चेतावनी -संकेत और उनकी कमियों की पहचान करने में मदद करता है। अनिवार्यत: यह अग्रिमों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने तथा इस प्रकार बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए एक ऑन साइट प्रणाली है।

अनर्जक खातों का वर्गीकरण

बैंक अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण के लिए समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करता है और समय समय पर आवश्यकतानुसार प्रावधान करता है :

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy Credit Risk Management Policy the bank has also framed Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. These securities act as mitigation against credit risk to which the bank is exposed.

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category. The department is also micro monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages.

All the borrowal accounts with fund based limit of Rs. 1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

The credit audit exercise has helped the bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts. Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the bank.

Classification of non-performing accounts:

The bank follows the prudential guidelines issued by RBI on classification of non-performing assets from time to time and makes provisions as required.

उधार खातों की पुनर्संरचना

पुनर्संरचित खातों के वर्गीकरण के संबंध में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है और प्रावधान किया है।

(रु. करोड़ों में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
क) कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि आधारित 80782.48 गैर निधि आधारित 16739.97	
ख) प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
● विदेशी	73025.81	15363.06
● देशीय	7759.67	1376.91
ग) उधार जोखिम का औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित	
घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित	
च) एनपीए (सकल) की राशि		
● अवमानक	1265.48	
● संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	2246.84	
● हानि	98.76	
छ) निवल एनपीए	1994.97	
ज) एनपीए अनुपात		
● सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	4.47%	
● निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	2.52%	
झ) एनपीए का प्रचलन (सकल)		
● प्रारंभिक शेष	1923.41	
● जोड़	3126.83	
● घटाव	1439.16	
● अन्तिम शेष	3611.08	
ट) एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन		
● प्रारंभिक शेष	752.04	
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1183.66	
● बट्टे खाते में डाला गया	571.91	
● अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	-	
● अन्तिम शेष	1363.79	
ठ) अनर्जक निवेशों की राशि	4.11	
ड) अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	4.11	
ढ़) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव		
● प्रारंभिक शेष	342.82	
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	141.08	
● बट्टे खाते में डाला गया	0.00	
● आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	249.33	
● अन्तिम शेष	234.57	

Restructuring of borrower accounts

The bank has followed RBI guidelines in respect of classification of re-structured accounts and makes provisions as required.

Rs. in Crores

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB NFB	80782.48 16739.97
b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
• Domestic	73025.81	15363.06
• Overseas	7759.67	1376.91
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non fund based separately.	Annexed	
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed	
e) Amount of NPAs (Gross)		
• Substandard	1265.48	
• Doubtful (D1,D2,D3)	2246.84	
• Loss	98.76	
f) Net NPAs	1994.97	
g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	4.47 %	
• Net NPAs to net advances	2.52 %	
h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	1923.41	
• Additions	3126.83	
• Reductions	1439.16	
• Closing balance	3611.08	
i) Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	752.04	
• Provisions made during the period	1183.66	
• Write off	571.91	
• Write back of excess provisions	-	
• Closing balance	1363.79	
j) Amount of Non-Performing Investments	4.11	
k) Amount of provisions held for non-performing investments	4.11	
l) Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening Balance	342.82	
• Provisions made during the period	141.08	
• Write-off	0.00	
• Write-back of excess provisions	249.33	
• Closing Balance	234.57	

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु.करोड़ों में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि-3 म	3-6 म	6म - 1 वर्ष	>1 से 3 वर्ष	>3 से 5 वर्ष	>5 वर्ष
4224.27	6844.10	7324.65	2263.97	7795.39	9763.13	13317.47	42139.68	10376.94	77222.11

देशीय परिचालन के लिए सकल आस्तियों की कवरेज

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(रु.करोड़ों में)

उद्योग का नाम	बकाया
कोयला	106.58
खान	469.19
लौह और इस्पात	4452.25
अन्य धातु व धातु उत्पाद	886.35
सभी इन्जीनियरिंग	2295.28
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	79.33
इलेक्ट्रीसिटी	208.77
सूती वस्त्र उद्योग	2915.07
जूट वस्त्र उद्योग	19.91
अन्य वस्त्र उद्योग	1302.20
चीनी	777.32
चाय	19.93
खाद्य संसाधन	331.04
वनस्पति तेल और वनस्पति	139.03
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	41.59
कागज और कागज उत्पाद	1080.96
रबड़ और रबड़ उत्पाद	466.89
रसायन, डाइ, पेन्टस आदि	1658.14
उनमें से उर्वरक	24.94
उनमें से पेट्रो रसायन	6.13
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	100.25
सीमेंट	679.10
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	209.92
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	286.84
निर्माण	1963.44
पेट्रोलियम	521.99
ऑटोमोबाइल जिसमें ट्रक भी शामिल है	901.44
कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर	162.19
इन्फ्रास्ट्रक्चर	9688.44
उनमें से शक्ति	1157.67
उनमें से दूर संचार	1373.27
उनमें से रोड और पोत	1293.72
अन्य उद्योग	4992.24
एनबीएफसीएस और व्यापार	1727.84
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिमों	42478.53
कुल	80782.48

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. In crores)

Day 1	2-7 D	8-14 D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1 Year	>1 to 3 Years	>3 to 5 years	>5 years
4224.27	6844.10	7324.65	2263.97	7795.39	9763.13	13317.47	42139.68	10376.94	77222.11

Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. In Crore)

Industry Name	Outstanding
Coal	106.58
Mining	469.19
Iron and Steel	4452.25
Other Metal and Metal Products	886.35
All Engineering	2295.28
Of which Electronics	79.33
Electricity	208.77
Cotton Textiles	2915.07
Jute Textiles	19.91
Other Textiles	1302.20
Sugar	777.32
Tea	19.93
Food Processing	331.04
Vegetable Oils and Vanaspati	139.03
Tobacco and Tobacco Products	41.59
Paper and Paper Products	1080.96
Rubber and Rubber Products	466.89
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	1658.14
Of which Fertilisers	24.94
Of which Petro-Chemicals	6.13
Of which Drugs and Pharmaceuticals	100.25
Cement	679.10
Leather and Leather Products	209.92
Gems and Jewellery	286.84
Construction	1963.44
Petroleum	521.99
Automobiles including trucks	901.44
Computer Software	162.19
Infrastructure	9688.44
Of which Power	1157.67
Of which Telecommunications	1373.27
Of which Roads & Ports	1293.72
Other Industries	4992.24
NBFCs & Trading	1727.84
Residual Advances to Balance Gross Advances	42478.53
TOTAL	**80782.48**

तालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्त पर पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्त पर पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन हेतु नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चार देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण एवं रिसर्च लि., क्रिसिल लि., फिच इंडिया और आइसीआरए लि., की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने इन सभी बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ई सी आर ए)द्वारा आबंटित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

बाहरी रेटिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने और ग्राहकों को अपने एक्सपोज़र के लिए सरलता से बाहरी रेटिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने इन चारों उधार रेटिंग एजेन्सियों के साथ अलग समझौता ज्ञापन करने के लिए कार्रवाई की है। इस करार से बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों की रेटिंग के लिए रियायती शुल्क प्रदान किया जाता है।बहरहाल समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई विशेषीकरण उपबंध नहीं है। उधारकर्ता अपने विचार से इन चारों एजेन्सियों में से किसी एक या अधिक से अपने एक्सपोज़र की रेटिंग के लिए कह सकते हैं। बैंक ने बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी द्वारा आबंटित किसी भी एजेन्सी द्वारा निर्धारित रेटिंग का प्रयोग किया है। पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

Credit Risk: Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardised Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk. In computation of capital the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (Basel-II). Exposures on Corporates / PSEs/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the four domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd, CRISIL Ltd, FITCH India and ICRA Ltd.

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs.

In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure smoothly, the bank has taken the initiative by entering into separate MOU with all these four credit rating agencies. The agreement provides for extending concessional fees by the ECRAs for rating bank's customers. The MOUs do not have any exclusivity clause to deal with. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. The Bank has only used the solicited ratings assigned by any of the ECRAs. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability

की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए इस प्रकार की रेटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तदनुसार बैंक ने, 31-03-2010 तक उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को संगणित किया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और स्टैंडर्ड एण्ड पूर अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत का लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं को अपने करोबार विस्तार के लिए एक अवसर के रूप मे बाह्य रेटिंग पर विचार करने की आवश्यकता हैं जिसमें कुछ समय लग सकता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
आग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	54409.69	10106.55	44303.13
100% जोखिम भार	41821.57	2541.89	39279.68
100% जोखिम भार से अधिक	9763.98	423.63	9340.35
घटाया हुआ	0.00	0.00	0.00
कुल	**105995.24**	**13072.07**	**92923.16**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	12236.96	0.00	12236.96
100% जोखिम भार	2995.00	0.00	2995.00
100% जोखिम भार से अधिक	40.00	0.00	40.00
घटाया हुआ	0.00	0.00	0.00
कुल	**15271.96**	**0.00**	**15271.96**

of proposals and level of exposures and pricing. However, such rating cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. Accordingly the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.03.2010 under corporate and PSE segments

In case of bank's investment in particular issues of corporates / PSEs the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moodys and Standard & Poor's is used, whichever is available, as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES/ INVESTMENT			
Below 100% risk weight	54409.69	10106.55	44303.13
100% risk weight	41821.57	2541.89	39279.68
More than 100% risk weight	9763.98	423.63	9340.35
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**105995.24**	**13072.07**	**92923.16**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	12236.96	0.00	12236.96
At 100% risk weight	2995.00	0.00	2995.00
More than 100% risk weight	40.00	0.00	40.00
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**15271.96**	**0.00**	**15271.96**

तालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण:

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत प्रणाली के तहत उधार जोखिम कम करने से संबंधित व्यापक प्रणाली अपनाया है, जिससे प्रतिभूतियों पर नियत मूल्य से ऋण राशि को प्रभावी ढंग से कम कराके उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति प्राप्त होती है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार राशि को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गया। ऐसा करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दिया जैसा कि क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद)।

ख) ऑन / ऑफ तुलन पत्र नेटिंग्स:

उधार जोखिम को कम करने की तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन के सदुपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋणों /

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach:

(a) <u>Eligible Financial Collaterals</u>:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) bank deposits (b) gold/ ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) <u>On/Off Balance Sheet Nettings</u>:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available

अग्रिमों (ऋण सीमा तक अधिकतम) के प्रति ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गयी है जहाँ बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है जिसमें दस्तावेजीकरण के साक्ष्यों के साथ ग्रहणाधिकार शामिल है। ऐसे मामलों में पूँजी की गणना निवल उधार के आधार पर की जाती है। जहाँ तक ऑफ साइट बैंलंस शीट नेटिंग का संबध है, इनपर भारतीय रिज़र्व बैंक से विशेष रूप से अनुमति प्राप्त होने पर, गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स से कवर प्राप्त है। वर्तमान में बैंक में कोई भी ऑफ साईट बैलंस शीट नेटिंग नहीं है।

ग) पात्र गारंटियाँ:

साथ ही, उधार जोखिम कम करने का अन्य अनुमोदित रूप "पात्र गारंटियों" की उपलब्धता है। उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं क) केंद्र सरकार (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे गए / भुनाए गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दोनों देशी एवं विदेशी बैंकों के दिशा-निर्देश के अनुसार)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए बैंक द्वारा प्रयोग के लाए जा रहे जोखिम के प्रकारों को दर्शाते हुए नीतियाँ एवं प्रक्रिया प्रस्तुत हैं। उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ आसानी से उगाही योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वस्तुत: बैंक में उधार जोखिम कम करने के लिए कोई संकेन्द्रीयकरण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के तहत प्रत्येक प्रकार की संपार्श्विक की प्रमात्रा के लिए कोई ऋण सीमा/सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases the capital computation is done on the basis of net credit exposure. In so far as off-balance sheet netting is concerned, these are covered by guarantees/credit derivatives whenever specifically permitted by RBI. Presently, the bank does not have any off-balance sheet netting.

(c) Eligible Guarantees:

Besides, other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital the types of guarantees recognized for taking mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigations the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

(रु. करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	
अलग से प्रत्येक प्रकटीकृत उधार जोखिम पोर्टफोलियो के लिए हेयरकट के अनुप्रयोग के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किये गये कुल जोखिम (जहाँ लागू हो, ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद)	11413.33
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान	157.84
कार्पोरेट	3137.33
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी)	1018.62
आवासीय परिसंपत्ती द्वारा सुरक्षित दावा	12.29
वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा सुरक्षित दावा	34.29
उपभोक्ता उधार	6753.58
पूँजीगत विपणन जोखिम	38.86
एनबीएफसी	3.13
अर्नजक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.09
अर्नजक आस्तियाँ - आ) अन्य	28.02
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	30.48
अन्य आस्तियाँ	37.92
पुनर्संरचित खाता	160.58

(रु. करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	
अलग से प्रत्येक प्रकटीकृत उधार जोखिम पोर्टफोलियो के लिए गारंटियों/उधार व्युत्पन्नों (जब कभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत हो) द्वारा कवर किये गये कुल ऋण (जहाँ लागू हो,ऑन या ऑफ बैलंस शीट नेटिंग के बाद)	6470.36
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी	2490.24
कार्पोरेट	3641.12
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी)	286.03
पुनर्संरचित खाता	52.97

(Rs. In Crore)

Quantitative Disclosures	
For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	11413.33
Public Sector Entities	157.84
Corporates	3137.33
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	1018.62
Claims secured by Residential Property	12.29
Claims secured by Commercial Real Estate	34.29
Consumer Credit	6753.58
Capital Market Exposure	38.86
NBFC	3.13
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.09
Non Performing Assets – b) Others	28.02
Other Assets – Staff Loans	30.48
Other Assets	37.92
Restructured Account	160.58

(Rs. In Crore)

Quantitative Disclosures	
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	6470.36
Public Sector Entities	2490.24
Corporates	3641.12
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	286.03
Restructured Account	52.97

तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क)	निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा	31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।
*	विद्यमान प्रतिभूत ज़ोखिमों के उधार ज़ोखिम को ये गतिविधियाँ जिस हद तक बैंक से परे अन्य इकाइयों को अंतरित करती हैं उस हद तक इन्हें शामिल करते हुमु प्रतिभूतिकरण की गतिविधि के संबध में बैंक का उद्देश्य।	
*	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की भूमिका और उससे संबंधित प्रत्येक कार्य में बैंक के शामिल होने के बारे में सूचना और	
*	अपने प्रतिभूतिकरण कार्य के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी विनियामक पूँजी दृष्टिकोण	
ख)	निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार	
*	बिक्री पर लाभ की पहचान और	
*	प्रतिधारित हितों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख पूर्वधारणाएँ, जिसमें पिछले रिपोर्टिंग अवधि के बाद उल्लेखनीय परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव शामिल है	
ग)	प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयोग की गई इसीएआइ के नाम और प्रतिभूतिकरण जोखिमों के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया गया है ।	

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत और जोखिम प्रकारों के ज़रिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के शर्तों के अनुसार कुल बकाया	शून्य

Table DF 7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:	No securitisation for the year ended 31.03.2009
*	The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.	
*	The roles played by the bank in securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them, and	
*	The regulatory capital approach that the bank follows for its securitisation activities.	
b)	Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :	
*	Recognition of gain on sale, and	
*	Key assumption for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes.	
c)	Names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	

Quantitative Disclosures

d)	the total outstanding exposures securitised by the bank and subject to securitisation framework by exposure type.	Nil

जोखिम

ङ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन लाये गये जोाखिम

* विनष्ट / पुराने देय आस्तियों की प्रतिभूतिकृत रकम और

* चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार के अनुरुप बाँट दी गई हो

च) प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की औसत रकम जिसे जोखिम के प्रकार के अनुरुप बाँट दी गई हो

छ) प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की औसत रकम जिसे जोखिमवाली बैंड की अर्थपूर्ण संख्या में काट दिया गया हो । टायर-I पूँजी से पूरी तरह से घटा दिए गए एक्सपोजर, कुल पूँजी से घटा दिए गए उधार बढ़ाने वाले आइ/ ओ और कुल पूँजी से घटाए गए अन्य जोखिमों को आधारभूत एक्सपोजर के प्रकार के आधार पर अलग से प्रकट करना चाहिए।

ज) तुलन-पत्र के खातों पर टिप्पणियों के एक भाग के रूप में दो वर्षों के लिए तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने वाले प्रतिभूतिकरण का सार

* प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या और बही मूल्य - आधारभूत आस्तियों के प्रकार द्वारा

* प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त ब्रिकी रकम और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री हुई हानि / लाभ : और

* उधार संवर्धन, तरलता समर्थन, पर प्रतिभूतिकरण अस्ति सेवाएँ आदि के द्वारा दी गई सेवाओं का रूप तथा प्रमात्रा (बकाया मूल्य)

e) For exposures securitised by the Bank and subject to thesecuritisation framework.

* Amount of impaired/past due assets securitised; and

* Losses recognised by the Bank during the current period broken down by exposure type

f) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type

g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.

h) Summary of securitisation activity presenting a comparative position for two years, as a part of the Notes on Accounts to the balance sheet

* Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets

* Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and

* Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post securitisation asset servicing, etc

तालिका डीएफ - 8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण बैलेंस शीट की स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति यदि कोई हो, को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिब्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि और बाजार जोखिम में उत्पन्न ईक्विटी पूंजी को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किए जाने के लिए प्रभाव बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है। जोखिम प्रबंधन से भी संबंधित अन्य नीतियाँ, निधि प्रबंधन व निवेश नीति, डेरिवेटिव नीति, विदेशी परिचालनों के लिए जोखिम प्रबंधन नीति और स्ट्रेस टेस्टिंग नीति हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा वहन किए गए जोखिम के तहत एएलएम फ्रेमवर्क के अधीन बैंक द्वारा लिए जा रहे बाजार जोखिम का पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व नियंत्रण किया गया। बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु और उचित आस्ति देयता प्रबंधन के ज़रिए बाज़ार जोखिम से प्राप्य लाभ पर बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार सूचना डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक आधार पर आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है। बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना का उपाय बनाया है। कुशल आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (उदारता) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों का गठन किया है। तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभालने के लिए बैंक देशी ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्याप्त तरलता को सुनिश्चित करता है।

Table DF – 8

Market Risk in Trading Book:

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in balance sheet position caused by changes/ movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations, and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन दर अस्थिर आस्तियों एवं देयताओं के जीएपी विश्लेषण के प्रयोग के ज़रिए होता है और उसकी निगरानी निर्धारित विवेकपूर्ण (उधारता) सीमाओं के ज़रिए होता है। शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने की दृष्टि से निवल ब्याज आय और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बैंक जोखिम पर अर्जन तथा माडिफैड ड्यूरेशन गैप का प्राकलन करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का प्रबोधन करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट अनुसार बाजार स्थितियों (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर रूप से प्रबोधन करता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल-।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित किया है। 31.03.2010 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ निम्न प्रकार हैं:

(रु.करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिमवाली आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	2622.42	236.02
ईक्विटी स्थिति जोखिम	1662.01	149.58
विदेशी विनिमय जोखिम	98.04	8.82
कुल	4382.47	394.42

तालिका डीएफ - 9

परिचालनात्मक जोखिम:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर ऋणनीति एवं प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ:

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अपनायी गयी अन्य नीतियाँ: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों पर नीतिगत दस्तावेज (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा संकट निवारण योजना (आइटी-बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं की आउटसोंसिंग पर नीति।

Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk and modified duration gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office of Treasury monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2010 in trading book of the bank is as under:

(Rs. In crores)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital requirement
Interest Rate Risk	2622.42	236.02
Equity Position Risk	1662.01	149.58
Foreign Exchange Risk	98.04	8.82
TOTAL	4382.47	394.42

Table DF – 9

Operational Risk:

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk:

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) information systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and disaster recovery plan (IT_BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताती है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित या कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा बैंक के परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम को व्यापक तथा सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी की है और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। बैंक में कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम भी उपलब्ध हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति को अपनाया है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। प्रत्येक शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है और पालन की जा रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक बेसिक इण्डिकेटर दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के पास परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर की पूँजी होनी चाहिए।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुरूप हमारे बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी के परिकलन हेतु बेसिक इंडिकेटर प्रणाली को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के समान है। इस प्रकार के प्राक्कलन के अनुसार दिनांक 31.03.2010 तक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता रु.511.42 करोड़ है।

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risk in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional area is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place compliance policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/ office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual gross income as defined by RBI.

Quantitative disclosures

In line with final guidelines issued by RBI, our Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. As per the guidelines, the capital for Operational Risk is equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual Gross Income as defined by RBI. As per such estimate, the capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2010 is Rs. 511.42 crores.

तालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित कर सकता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

अल्पावधि (अर्जन परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य से बैंकिंग बुक में ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 100 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से मापता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ की प्रतिशतता के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, दर संवेदिता विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जाता है और विशेष अवधि के मध्य से शेष समयावधि के आधार पर ब्याज दर में 100 बीपीएस तक के परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। दर संवेदनशील विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। ऋण सीमाओं को पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत किया जाता है।

बैंक ने ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण करने के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है। बैंक आशोधित ड्यूरेशन गैप और ईक्विटी पर आर्थिक मूल्य प्रभाव का परिकलन करता है। आस्तियों, निवेशों और देयताओं को छोडकर दर संवेदनशील विवरण के अनुसार समूहबद्ध हैं और इन आस्ति व देयता समूहों के लिए सामान्य परिपक्वता, कूपन व प्रतिफल मानदण्डों का प्रयोग करके समयवार (बकेट) आशोधित अंतराल का परिकलन किया जाता है। निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रत्येक मद के आशोधित अंतराल को परिकलित करके लिया जाता है। बैंक में डीजीएपी को महीने में एक बार परिकलित किया जाता है और ऑल्को को रिपोर्ट किया जाता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑल्को) / बोर्ड बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का प्रबोधन करता है और बाजार स्थिति (चालू तथा प्रत्याशित) की दृष्टि में रणनीति निर्धारित करता है।

Table DF –10

Interest rate risk on the Banking Book:

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock upto 100bps as prescribed in the bank's ALM Policy. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of NII of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap is taken from the Rate sensitivity statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate upto 100 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the rate sensitivity statement. The limits are fixed on the basis of previous year's NII.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. For the purpose a limit of (+/-) 1% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically. The bank calculates Modified Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity. Assets excluding investment and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. For investment portfolio the modified duration of individual items are computed and taken. The DGAP is calculated by the Bank once a month and is reported to ALCO.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to the prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in the light of market conditions (current and expected)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर परिवर्तन को दिनांक 31.03.2010 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 26.03.2010	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	135.30 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 5%)	4.91	13.50
0.50% परिवर्तन	270.60 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 10%)	9.81	27.01
0.75% परिवर्तन	405.90 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	14.72	40.51
1.00% परिवर्तन	405.90 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	19.62	54.02

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	26.03.2010
आशोधित ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी)	1.00%
इक्विटी की आशोधित-अवधि (एमडीइ)	9.63%
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी मूल्य में घटाव	19.26%

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2010 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs in crores)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earning at Risk (EaR) 26/03/2010	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	135.30 (5% of NII of previous year)	4.91	13.50
0.50% change	270.60 (10% of NII of previous year)	9.81	27.01
0.75% change	405.90 (15% of NII of previous year)	14.72	40.51
1.00% change	405.90 (15% of NII of previous year)	19.62	54.02

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	26/3/2010
MODIFIED DURATION GAP (DGAP)	1.00%
MODIFIED DURATION OF EQUITY (MDE)	9.63%
FOR A 200 BPS RATE SHOCK THE DROP IN EQUITY VALUE	19.26%

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

1. हम ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के 31 मार्च 2010 तक के संलग्न तुलन-पत्र, उसके अनुबंध में दिए गए 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते और नक़दी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं और 41 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं सहित 1705 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। तुलन-पत्र और लाभ व हानि खातों में अ-लेखा परीक्षित 305 शाखाओं / केन्द्रों से प्राप्त विवरण सम्मिलित हैं। इन अ-लेखा परीक्षित शाखाओं द्वारा अग्रिम के 1.35%, जमाओं के 4.99%, ब्याज आय के 2.19% और ब्याज व्यय के 2.35% का अंशदान है । इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन पर है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देना ही हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनायें और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जायें कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिये गये साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किये गये समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।

3. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमश: फार्म ए और फार्म बी में तैयार किए गए हैं।

4. निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:

   i. राजस्व के अभिज्ञान के संबंध मे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानदण्ड - 9 के साथ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.2.2, एवं 2.5 (अनुसूची -17) मेल नहीं खाते हैं।

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Indian Overseas Bank as at 31st March 2010, the Profit and Loss Account and Cash Flows Statement of the Bank for the year ended 31st March 2010 annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches and 41 Regional Offices audited by us and 1705 branches including 6 Overseas Branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss Account are the returns from 305 branches / centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.35 % of advances, 4.99 % of deposits, 2.19% of interest income and 2.35% of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examination on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. Reference is invited to

   i) Significant Accounting Policy No.2.2 and 2.5 (Schedule – 17) regarding revenue recognition which are not in conformity with Accounting Standard – 9 issued by

ii. लम्बित दावों की वसूली और/अथवा गारंटी संस्थाओं में दावे अभी प्रस्तुत किए जाने के संबंध में लेखों पर नोट्स (अनुसूची - 18) की नोट संख्या 3.2।

लेखों पर नोट्स (अनुसूची -18) में लाभ व हानि खाता, तुलन-पत्र, पूँजी पर्याप्तता अनुपात और कारोबार अनुपातों पर ऊपर उल्लिखित मदों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. पुन: संरचित खातों, कारोबार अनुपात, आस्तियों व देयताओं के परिपक्वता पैटर्न , संवेदनशील प्रवर्गों को ऋण जोखिम, अप्रत्याभूत अग्रिम व जमाओं का केन्द्रीकरण, अग्रिम, ऋण जोखिम और अनर्जक आस्ति के संबन्ध में सूचना के सिलसिले में लेखों पर नोट्स (अनुसूची 18) के नोट सं- 4.2, 5, 6 ,7 8.7 और 10.1 में दिए गए अतिरिक्त प्रकटन, बैंक द्वारा प्रमाणित सूचना / रिकॉर्ड पर आधारित हैं और उन पर हम ने विश्वास किया है।

6. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार और बशर्ते -

i) उक्त परिच्छेद 1 में दर्शाये गये लेखापरीक्षा की परिसीमा, और इसमें आवश्यक प्रकटन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए

ii) उपयुक्त पैरा 4 एवं 5 में हमारे अभिमतों को ध्यान में रखते हुए और

iii) सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार रु.246.52 करोड की संपूर्ण कमी को बट्टे खाते में डालने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अनुसार एक बैंक की विशिष्ट आस्तियों और देयताओं के अधिग्रहण से उत्पन्न एक तिहाई कमी, जो कि रु.82.17 करोड है , को बट्टे खाते में डाला जाए, जिसका खातों (अनुसूची 18) से जुडी टिप्पणियों की टिप्पणी सं.11 में उल्लेख है।

हम निम्न प्रकार से रिपोर्ट करते हैं:

क) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप अनुरक्षित बैंक की लेखा बहियों में दर्शाये गये अनुसार :

the Institute of Chartered Accountants of India.

ii) Note No.3.2 in Notes on Accounts (Schedule – 18) regarding recoverablility of claims pending and / or yet to be lodged with Guarantee Institutions.

The impact of the items stated herein above on the Profit & Loss Account, Balance Sheet, Capital Adequacy Ratio and business ratios as stated in Notes on Accounts (Schedule-18) is not ascertainable.

5. The additional disclosures made in Note No.4.2, 5, 6,7, 8.7 and 10.I to the Notes on Accounts (Schedule 18) with regard to information in respect of Restructured Accounts, Business Ratios, Maturity Pattern of Assets and Liabilities, Exposure to Sensitive Sectors, Unsecured Advances and Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs respectively are based on the records / information as certified by the Bank and relied upon by us.

6. As required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and subject to

i) the limitation of the audit indicated in Paragraph 1 above, and the limitation of disclosure required therein

ii) our observations in Paragraph 4 & 5 above, and

iii) Note No. 11 in Notes on Accounts (Schedule 18) regarding the write off of a sum of Rs 82.17 Crores being one third of the deficit arising on the takeover of the specific assets and liabilities of a bank – as permitted by Reserve Bank of India – as against writing off the entire deficit of Rs 246.52 Crores as is the Generally Accepted Accounting Practice.

we report as under :

a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank maintained in accordance with generally accepted Accounting Principles in India.

i) यह तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही है और उसमें आवश्यक जानकारी शामिल है तथा इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है ।

ii. लाभ व हानि खाता 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है और

iii. नकदी प्रवाह विवरणी, 31 मार्च, 2010को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं उचित चित्र दर्शाता है।

ख) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है ।

ग) बैंक के जो लेनदेन हमारी जानकारी में आये हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

घ) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

कृते ओम अग्रवाल ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण	कृते वर्मा ऐण्ड वर्मा सनदी लेखाकारगण	कृते पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड संतानम सनदी लेखाकारगण
(के.सी.गुप्ता) साझेदार स.सं. 072936 एफआरएन सं.000971सी	(के.एम.सुकुमारन) साझेदार स.सं. 015707 एफआरएन सं. 004532एस	(टी.वी.बालसुब्रमणियन) साझेदार स.सं. 027251 एफआरएन003990एस
कृते भास्करन ऐण्ड रमेश सनदी लेखाकारगण	कृते एम. भास्कर राव ऐण्ड कं सनदी लेखाकारगण	कृते मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं सनदी लेखाकारगण
(जे.रंगराजन) साझेदार स.सं.024327 एफआरएन000462एस	(के.आर.रत्नम) साझेदार स.सं.002316 एफआरएन000459एस	(बी.एल.गुप्ता) साझेदार स.सं.073794 एफआरएन001874सी

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 29.04.2010

i) The Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2010.

ii) The Profit and Loss Account shows a true balance of Profit for the year ended 31st March 2010 and

iii) The Cash Flows Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year ended 31st March 2010.

b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found the same to be satisfactory.

c) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

For Om Agarwal & Co Chartered Accountants	For Varma & Varma Chartered Accountants	For PKF Sridhar & Santhanam Chartered Accountants
(K.C.GUPTA) Partner M.No. 072936 FRN 000971C	(K.M.SUKUMARAN) Partner M.No.015707 FRN 004532S	(T.V.BALASUBRAMANIAN) Partner M.No.027251 FRN 003990S
For Bhaskaran & Ramesh Chartered Accountants	For M Bhaskara Rao & Co Chartered Accountants	For Mittal Gupta & Co Chartered Accountants
(J.RANGHARAJAN) Partner M.No.024327 FRN 000462S	(K.R.RATNAM) Partner M. No.002316 FRN 000459S	(B.L.GUPTA) Partner M.No.073794 FRN 001874C

Place: Chennai
Date: 29.04.2010

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii)) देखें)

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत न हो)
डीपीआइडी सं: सीएलआइडी सं.:

मैं/हम, ...निवासी ....जिला ....राज्य ....इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ....निवासी .... जिला .... राज्य .... को, मंगलवार दिनांक 20 जुलाई 2010 को नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्दा हाल) 314, टी टी के रोड, चेन्नै - 600 018 में होने वाली इंण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक और इससे संबंधित कोई अन्य स्थगन हो तो उसमें मुझे/हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं ।

वर्ष 2010 के .... माह के .... दिन हस्ताक्षरित

पन्द्रह पैसे का राजस्व टिकट चिपकाएँ

....
(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

नाम ....

पता ....
....

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

(कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरकर बैठक के प्रवेश द्वार पर सौंप दें)

शेयरधारक का नाम व पता

....
....
....

धारित शेयरों की संख्या : ....

पंजीकृत फोलियों सं ....
(यदि बेकागज़ीकृत न हो)

डीपी आइडी सं ....
(यदि बेकागज़ीकृत है तो)

ग्राहक आइडी सं : ....

मैं 20 जुलाई 2010 को सुबह 10.00 बजे, नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्द हाल) 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में आयोजित बैंक की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता करती हूँ ।

(शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70
(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
D P Id No. Cl. Id No.	

I/We .... resident of .... in the district of .... in the State of ...., being a shareholder / shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt .... resident of .... in the district of .... in the State of .... as my/our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the 10th Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Tuesday, 20th July 2010 at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTk Road, Chennai - 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of .... 2010.

....
(Signature of the Proxy)

Name ....
Address ....
....
....

Please affix 15 paise Revenue Stamp

Signature of the first named/sole holder

ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

(Please fill this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall)

Name and address of the shareholder ....
....

No of shares held : .... Regd Folio No : ....
If not dematerialised)

DP ID No: .... Client Id No: ....
(If dematerialised)

I hereby record my presence at the 10th Annual General Meeting of the Bank held on 20th July 2010 at 10.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314, TTK Road, Chennai - 600 018

....
(Signature of the shareholder / proxy holder / representative)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
डिपॉज़िटरी सेवाएँ
नई सं. 47 (पुरानी सं. 22), हॉल्स रोड़,
एगमोर, चेन्नै 600 008
फोन : 044 - 28193617/3618, फैक्स : 044-28193619

अपने शेयरों को अमूर्तीकृत रूप में (इलेक्ट्रानिक फॉर्म) रखें

अपने शेयरों को डीमैट क्यों करें?

- ❖ चूँकि शेयर इलेक्ट्रनिक फॉर्म में हैं, अत: कोई हानि, चोरी या नुकसान नहीं
- ❖ किसी प्रकार की देरी एवं स्टाम्प शुल्क के बिना शेयरों का अंतरण
- ❖ लाभांश/ब्याज बैंक खाते में सीधे जमा किया जा सकेगा
- ❖ बोनस/राइट्स शेयर आपके डीमेट खाते में सीधे जमा हो जाएंगे
- ❖ यदि डीमेट खाते में परिवर्तन किया गया है तो सभी कंपनियों को पते एवं बैंक विवरण में हुए परिवर्तन की सूचना स्वत: मिल जाएगी
- ❖ डीमेट खाते में शेयरों के प्रत्येक नामे/जमा की सूचना पाने हेतु एसएमएस एलर्ट की सुविधा उपलब्ध
- ❖ खाता धारक की मृत्यु होने पर, यदि नामांकन का विकल्प लिया गया हो तो बिना किसी प्रकार की अड़चन के नामिती के डीमेट खाते में शेयरों के अंतरण
- ❖ पोर्टफोलियो के मूल्य में अनुकूल परिवर्तन होने पर प्रतिदिन एसएमएस अलर्ट प्राप्त करना
- ❖ आप बिना शुल्क इन्टरनेट (आइडियाज) के जरिए अपना खाता देख सकते हैं
- ❖ लेनदेनों/धारिताओं के मासिक/तिमाही विवरण प्राप्त करना

विद्यमान अमूर्तिकृत खाताधारकों द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु

- ❖ यदि खाते को अवरुद्ध/स्थगित किया गया है तो सभी खाता धारकों के पैन विवरण की प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जाए। **अवरुद्ध किए गए ऐसे शेयरों को आयकर प्राधिकारियों द्वारा कुर्क किए जाने की संभावना है।**
- ❖ यदि पहले नामांकन के विकल्प का प्रयोग न किया गया हो, तो नामांकन का विकल्प प्रयोग कर लें।
- ❖ मुफ्त में एसएमएस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपना मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएँ।
- ❖ प्रत्येक ग्राहक को लेनदेनों/धारिताओं का विवरण प्राप्त करने का अधिकार है:
  मासिक - यदि संबंधित महीने में कम-से-कम एक लेनदेन किया गया हो।
  तिमाही - यदि तिमाही के दौरान एक भी लेनदेन न किया गया हो।
- ❖ यदि लाभांश/ब्याज/वापसी आदेश ईसीएस के जरिए सीधे जमा न किया गया हो (जहाँ लागू हो) , तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि डीमेट खाते में शाखा का सही एमआइसीआर कोड उपलब्ध है।
- ❖ अब सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची किसी भी सेवा केन्द्र पर पेश की जा सकती है।

INDIAN OVERSEAS BANK
DEPOSITORY SERVICES
New No.47 (Old No.22), Halls Road,
Egmore, Chennai 600 008
Phone : 044-28193617/3618 Fax : 044-28193619

KEEP YOUR SHARES IN DEMATERIALISED FORM (ELECTRONIC FORM)

WHY TO DEMAT YOUR SHARES

- No loss, theft or damage to the shares as they are in electronic form
- Transfer of Shares without any delay and stamp duty
- Dividend/Interest can be credited to the bank account directly
- Bonus/Rights shares get credited to your demat account directly
- Change of Address/Bank particulars are communicated to all companies automatically if the change is effected in the demat account
- Facility available to get SMS alert for each debit / credit of shares in the demat account
- Opting for Nomination ensures hassle-free transfer of shares to the demat account of Nominee in the event of death of account holder
- Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio
- You can view your account through internet (IDeAS) free of charge
- Receive Monthly / Quarterly statement of Transactions / Holdings

POINTS TO BE NOTED BY EXISTING DEMAT ACCOUNT HOLDERS :

- Ensure to submit PAN particulars of all account holders if the status of account is blocked / suspended. **There is a possibility that the shares held in such blocked account are liable to be attached by Income-Tax Authorities**
- Opt for Nomination, if not already opted
- Provide your Mobile number to get SMS alert facility FREE OF COST
- Each client is entitled to receive statement of transactions / holdings:

  Monthly – If there is atleast one transaction in the respective month

  Quarterly – If there is no transaction in a quarter
- If Dividends/Interests/Refund Orders are not credited directly through ECS (wherever applicable), please ensure that correct MICR code of the branch is available in the demat account
- Delivery Instruction Slips can now be tendered at any of the Service Centres

प्रेषक : दिनांक:

सेवा में
मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड
यूनिट: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग
न.1 क्लब हाउस रोड
चेन्नै-600002

प्रिय महोदय,

संदर्भ : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के ज़रिए लाभांश का भुगतान

प्रथम धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)						
फोलियो सं.						
शेयरों की संख्या						
बैंक खाते का प्रकार (कृपया (✔) का निशान लगाए)	बचत खाता		चालू खाता		नकदी उधार खाता	
बैंक खाता सं.						
बैंक का नाम						
शाखा का नाम						
आइएफएससी कोड*						
बैंक का पूरा पता						
बैंक द्वारा जारी एमआइसीआर चेक पर दिखाई दे रहे बैंक एवं शाखा की 9 अंक की कोड संख्या (कृपया कोड की यथार्थता के सत्यापन के लिए अपने उक्त खाते से संबंधित अपने बैंक द्वारा जारी कोरी निरस्त चेक या चेक की छायाप्रति संलग्न करें)						

मुझे लाभांश भुगतान के लिए **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** द्वारा जब भी इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा कार्यान्वित किया जाएगा, तब मैं उस सेवा का उपयोग करने के लिए सहमत हूँ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है। यदि लेनदेन में देरी होती है या अपूर्ण या असत्य जानकारी के कारण पूरा नहीं होता है, तो मैं **इसमें इण्डियन ओवरसीज़ बैंक/रजिस्ट्रार को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी।**

मैं आगे भी अपने बैंक, शाखा एवं खाता सं. में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना **रजिस्ट्रार/इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को** देने का वचन देता / देती हूँ।

* अपनी शाखा से प्राप्त करें

(प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

From: Date :

To:
M/s. Cameo Corporate Services Limited
Unit : INDIAN OVERSEAS BANK
'Subramanian Building'
No.1 Club House Road,
Chennai - 600 002.

Dear Sir(s),

Ref: PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS)

Name of First Holder (In Block Letters)						
Folio No.						
No. of shares						
Bank A/c Type Please tick (✔)	Savings A/c		Current A/c		Cash Credit A/c	
Bank Account Number						
Name of the Bank						
Branch Name						
IFSC Code*						
Full Address of the Bank						
9-Digit Code number & Branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank (Please attach Photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code).						

I agree to avail of the Electronic Clearing Service, as and when implemented by **Indian Overseas Bank** for payment of dividend to me.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold **Indian Overseas Bank / Registrar responsible.**

I further undertake to inform the **Registrar / Indian Overseas Bank** of any change in my Bank, Branch and Account no.

(Signature of the First / Sole Shareholder)

** Obtain from your Branch*

OUR RETAIL PRODUCTS AT A GLANCE

1. EASY TRADE FINANCE

Hassle free working capital finance and Term Loan to Traders.

Purpose	:	To meet the working capital and term loan needs
Quantum	:	Maximum varies from Rs. 10 lakhs to Rs. 100 lakhs.
Security	:	Secured by immovable property / liquid security.
Margin	:	30 to 50 %
Repayment	:	Term Loan-48 EMI / cash credit- Annual renewal.

2. SUBHA GRUHA

Eligibility	:	Persons with Independent and reqular Income. Age not to exceed 60 years.
Purpose	:	Acquisition / Construction of a flat or a House.
Quantum	:	Upto 80% of the cost or Rs.50 lakhs whichever is less.
Margin	:	20 % inclusive of cost of land.
Security	:	Mortgage of property to be Financed.
Processing Charge	:	@ 1.50% Maximum of Rs. 30,000/-.
Repayment	:	Maximum 20 years

3. PUSHPAKA

Purpose	:	to purchase new / old car / new Two wheelers.
Quantum	:	New car 90% of cost, Old car 75% with a maximum of Rs. 5 lakhs. Two Wheelers 90%of cost or 10 times of Monthly salary or Rs. 60000/- whichever is lower.
Security	:	Hypothecation of vehicles
Margin	:	Varies from 10 to 25%
Repayment	:	Varies from 36 to 60 EMI: Old Car - 36 EMI.

4. SANJEEVINI

Loans for Doctors.

Purpose	:	To set up new Hospital / Nursing Home etc.
Quantum	:	Maximum Loan varies from Rs. 10 lakhs to Rs. 2 crores.
Security	:	Equipments / Immovable property / NSC/LIC.
Margin	:	Varies rom 15 to 30%
Repayment	:	5 to 7 years.

5. IOB - AKSHAY

Loans against LIC Policies

Quantum	:	90% of Surrender value of Life Polices.
Security	:	Assignment of LIC Policy.
Repayment	:	Maximum - 36 EMI.

6. Commercial Cash Credit Against Jewellery

- For business needs/ running a commercial activity of people engaged in business, against prime security of Jewels.

7. Clean Loan

- Loan for salaried employees to meet personal and domestic expenses.
- Quantum of loan - 10 times the monthly salary or Rs.5 lakhs whichever is lower for employees whose salary is routed through us and 5 times the monthly salary for other employees.
- Quantum of loan-for LIC agents, 10 times of average monthly commission in a year with a maximum of Rs. 2 lacs.
- Repayment - 60 EMI where the loan amount is based on 10 months salary / commission and 36 EMI for others.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

8. SAHAYIKA

- Loan to meet Social Commitments like marriage etc. Applicant should be an individual in employment or Business/ professional or self employed with regular income.
- Quantum of loan amount Rs. 5 Lacs.
- Repayment Period : 48 EMIs.

9. Pensioners' Loan Scheme

- All pensioners to meet personal expenses.
- Repayment out of pension amount in 48 EMI for those below 65 years and 24 EMI for above 65 years.
- Quantum of Loan : Up to 65 years of age - 10 times the monthly pension or Rs. 1.00 lac whichever is lower. Over 65 years of age - 10 times of monthly pension or Rs. 50,000 whichever is lower.

10. IOB Fine Gold

- IOB Fine Gold - 999.9 pure Gold from PAMP, Switzerland
- Why Gold?
  - Safest form of INVESTMENT
  - A Perfect GIFT for all occasions
  - Effective Hedge against Inflation
  - A very attractive corporate gift for employees as bonus during festive season
- Packed in attractive, tamper proof CERTICARDS from PAMP, Switzerland
- Available in 2,4,8,20 gram coins, and 50 & 100 gram rectangular Bars.
- Highly Competitive rates - Discount can be considered on case to case basis for bulk orders.
- For today's rates, vist IOBONLINE or call our toll free Number 1800 4251 230

11. IOB Jeevan

- Group Insurance scheme in association with LIC for all account holders of IOB
- Life Cover for Rs. 1 lakh (Natural Death) and Rs. 2 lakh (Accidental Death)
- Coverage for a year, renewable every year
- Very Low Premium - depends on age and month of joining the scheme
- Simple procedure, no medical certification required
- Nomination allowed
- Members of joint accounts can be covered individually

12. IOB Healthcare Plus

- Health insurance for entire family including parents, of our individual account holders at a very low premium
- No medical examination required
- Provides hospitalization expense in case of accidents, sudden illness, surgery, in respect of any disease
- Entry age limit is between 3 months and 65 years, coverage is available upto age of 80 years only. Age limit for dependent children - for male upto 21 years, for female upto 25 years or till their marriage, whichever is earlier
- Pre Hospitalization (Period upto 30 days prior to hospitalization) and Post Hospitalization (Period upto 60 days after hospitalization) expenses can also be reimbursed
- Ambulance Charges : Rs. 1000 per policy period
- Funeral Expenses - in case of death of any insured persons, funeral expenses of Rs. 1000/- will be paid under the policy
- Pre-existing diseases can also be covered after three consecutive claim free policy years
- Cashless transaction through Third Party Administrator of the policy
- Coverage: Rs. 50,000 to Rs. 5 lakhs.
- Accidental Death can be covered on payment of additional Premium
- Maternity Expenses and Baby Care Expenses covered subject to terms and conditions
- Tax Benefit under Section 80D
- Treatments for NRIs while in India are covered.

FOR YOUR NEEDS, PLEASE CONTACT YOUR NEAREST BRANCH